आवास भारती

वर्ष 14, अंक 54, जनवरी–मार्च, 2015

स्मार्ट सिटी की संकल्पना

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

आप की पाती

महोदय,

आपके बैंक की गृह–पत्रिका 'आवास भारती' का अक्टूबर–दिसम्बर, 2014 अंक प्राप्त हुआ, तदर्थ धन्यवाद। 'आवास भारती' के इस अंक में विविध विषयों पर ज्ञानवर्धक आलेखों को शामिल किया गया है, जो आकर्षक एव उपयोगी हैं, 'वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी' एवं 'हिंदी साहित्य और सिनेमा' विषयक आलेख जहां हिंदी भाषा के विस्तार और उपयोगिता को प्रतिबिंबित करते हैं, वहीं बढ़ते ई–बाज़ार की पहुंच', 'प्रबंधन की बढ़ती मांग' एवं निगमित सामाजिक दायित्व' बैंकिंग पर समाहित ज्ञानवर्धक आलेख नवीन परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करते हैं, जहां 'चमत्कारी बाबा' तत्कालीन सामाज में फैले अन्धविश्वास और ढकोसले पर हास्य एवं व्यंग्य करता है तो 'किसना' कहानी मर्मस्पर्शी एवं आधुनिक समाज में अपने बच्चों द्वारा माता–पिता की उपेक्षा पर एक संवेदनपूर्ण कटाक्ष है, स्वास्थ्य एवं रोग उपचार खंड में विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी निश्चित ही उपयोगी होगी। श्रेष्ठ रचनाओं के संकलन से परिपूर्ण 'आवास भारती' के सुन्दर साज–सज्जायुत प्रकाशन से जुड़ी टीम को हार्दिक बधाई एवं आगामी अंक के लिए शुभकामनाएं।

भवदीय,

महेश मिश्रा
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई

आपकी पत्रिका पढ़ने का सुअवसर मिला। अक्तूबर–दिसम्बर, 2014 के अंक में 'किसना तथा 'चमत्कारी बाबा' लेख पढ़कर सामान्य ज्ञान में वृद्धि हुई। संपादकीय पढ़कर मन में राजभाषा के प्रति अत्यंत मन से कार्य करने की प्रेरणा मिली। संपादक जी को साधुवाद। पत्रिका को अखिल भारतीय पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान करना बैंक तथा संपादक मंडल हेतु गौरव की बात है। मैं पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु बधाई देता हूं। कामना करता हूं कि आगे भी आपकी पत्रिका पढ़ने को मिलेगी। धन्यवाद।

भवदीय
(एस. चन्द्रशेखर)
मेजर (हे0का0)
सीआईएसएफ यूनिट, एरिया न0 8,
कस्तोर, बीसीसीएल,
धनबाद (झारखंड)

महोदय,

सर्वप्रथम बैंक की गृह पत्रिका को लगातार दूसरी बार भारतीय रिजर्व बैंक से प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने हेतु हार्दिक बधाई। बैंकिंग के साथ–साथ सामाजिक, सांस्कृतिक तथा समसामयिक विषयों पर आलेख व काव्य से रचित पत्रिका संपूर्णता की परिभाषा पर खरी उतरती है। सभी रचनाएं अपने आप में विशिष्ट व आकर्षक है। रचनाएं ''किसना'' व ''चमत्कारी बाबा'' सामाजिक परिदृश्य की वास्तविकता को दर्शाती है। राजभाषा के कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा किए गए सार्थक प्रयास सराहनीय है। आगामी अंकों हेतु हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

(प्राची अग्रवाल)
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय महिला बैंक
9वां तल, आईएफसीआई टॉवर, 61,
नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा गृह प्रकाशित ''आवास भारती'' के अंक–53 अक्टूबर–दिसम्बर, 2014 की प्रति प्राप्त हुई। उक्त अंक के प्रेषण के लिए हार्दिक धन्यवाद। पत्रिका की रूप सज्जा तथा सामग्री संकलन अत्यंत आकर्षक है। हमेशा की भांति विभागीय जानकारी के संदेशों से समाहित इस पत्रिका में क्रेडिट कार्ड एवं एटीएम कार्ड एवं एटीएम कार्ड का विवेकपूर्ण उपयोग, किसना, चमत्कारी बाबा, रेडियो की दुनियां और मन की बात एवं ऐतबार तथा स्वच्छ भारत निर्माण जैसी रोचक व ज्ञानवर्धक लेख अपने अंदर ज्ञान–विज्ञान से परिपूर्ण हैं जिनके समावेश ने पत्रिका को संग्रहणीय बना दिया है। आशा करते हैं कि आपके द्वारा प्रकाशित आगामी पत्रिकाओं के नवीन अंक हमें निरंतर प्राप्त होते रहेंगे।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

(रविन्द्र कुमार)
प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा)
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
प्रधान कार्यालय, ओरिएण्टल हाउस, ए–25/27,
आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002

संपादकीय

प्रिय पाठको,

भारत रत्न महामना पं. मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि भारत की एकता का आधार एक संस्कृति है, जिसका प्रवाह कहीं नहीं टूटा, यही इसकी विशेषता है। भारतीय एकता अक्षुण्ण है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की धारा निरंतर बहती रहती है और बहेगी। पंडित जी के उपरोक्त उद्‌गार राजभाषा हिंदी के बारे में भी तथ्य उजागर कर जाते हैं कि सुसंस्कृति और निजभाषा दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसका प्रवाह निरंतर बहना चाहिए। गांधी जी ने हिंदी को भी स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा बनाया क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए हिंदी का महत्व अनुभव किया था। सत्ता के लिए सत्याग्रह जरूरी है ठीक उसी तरह राष्ट्र के लिए उसकी अपनी भाषाएं जरूरी है। हम जानते है कि भाषा किसी भी राष्ट्र की साहित्य, संस्कृति, परंपराओं और जीवन मूल्यों की संवाहक होती है, इसलिए राष्ट्र अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी भाषा को संरक्षित और सुरक्षित रखता है। हमें ऐसा ही करना चाहिए।

यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अब एमबीबीएस डाक्टरी की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। इसके लिए मध्य प्रदेश में पहल की गई है। अंग्रेजी में छपने वाली एमबीबीएस की किताबें हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए परेशानी का सबब रही है। अब इन किताबों का अनुवाद किया जाएगा जिसके लिए मेडिकल शब्दकोष भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि मेडिकल, टेक्निकल और सांइटिफिक शब्दों को वैसा ही रखा जाएगा। उदाहरण के लिए आंखों के कार्निया को हिंदी में भी कार्निया ही कहा जाएगा। ऐसी उम्मीद की जाती है कि एक साल के भीतर सभी पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद हो जाएगा। एक मेडिकल कॉलेज को एक पुस्तक का हिंदी अनुवाद करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह सामुहिक प्रयास अत्यंत सराहनीय है। यदि इसमें राज्य सरकार की पहल होगी तो उस राज्य सरकार को साधुवाद देना चाहिए। यह रही डाक्टरी पढ़ाई की बात। अब हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी को प्रस्थापित करने की बात है। हम समझते हैं इस दिशा में भी कदम उठाए जा सकेगें।

राजभाषा हिंदी के बारे में लापरवाही और उपेक्षा का आलम यह है कि कोई भी ऐरा–गैरा नत्थू खैरा सलाह दे जाता है और भाषा विशेषज्ञ बन जाता है। अभी कुछ दिनों से एक अंग्रेजी के लेखक महोदय हिंदी भाषा की प्रगति के लिए अजीबो गरीब सलाह दे रहे हैं उनका मानना है कि हिंदी की लिपि देवनागरी को त्याग कर अंग्रेजी (रोमन) लिपि अपना कर हिंदी की प्रगति होगी और आसानी भी। यह विचार जानकार पता नहीं उन्हें क्या कहें? किसी भी भाषा की पहचान और भाषा की मां उसकी लिपि होती है यदि लिपि अर्थात मां को ही समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर बचेगा क्या?

ऐसे लोगों की यह सलाह न सिर्फ हिंदी व देवनागरी लिपि के लिए काल का ग्रास साबित होंगे, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन संस्कृत साहित्य, धर्म, पुराण को भी चौपट करने वाला है। क्या ये महाशय यह बताएंगे कि वेद, पुराण कालिदास का साहित्य तथा आधुनिक लेखकों– प्रेमचंद, प्रसाद, पत, निराला आदि का साहित्य भी अंग्रेजी लिपि में लिखकर अगली पीढ़ियों को पढ़ाया जाएगा। मैं सभी हिंदी हितैषियों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे खतरनाक एवं कुत्सित विचार को अंकुरित होने से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। हिंदी को गर्त में ले जाने के लिए यह हिंगलिश ही काफी है, यह अंग्रेजीकरण तो हिंदी संसार को समूल नष्ट करने का हताहल विष है।

यह सर्वविदित है कि हम भारतीय स्वभावतः सहिष्णु एवं विनम्र होते हैं। हम सभी धर्मों एवं संस्कृतियों के साथ भाषाओं के शब्द भी उदारता से अपना लेते है। लेकिन भाषाओं के बारे में यह उदारता ठीक नहीं क्योंकि हमारी भारतीय भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है चाहे फिर वह तमिल, तेलगू, कन्नड़ हो या मलयालम या फिर संस्कृत एवं उससे निकली समस्त उत्तर भारतीय भाषाएं। इन सभी भाषाओं में परस्पर शब्दों का आदान–प्रदान भी देखने को मिलता है, जिसे नए दौर में और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। अब समय की पुकार है कि हम किसी बाहरी भाषा की बजाए अपनी ही भाषाओं को समृद्ध करें और एक दूसरे के बीच शब्दों के आदान–प्रदान को अधिक मात्रा में बढ़ाएं ताकि पूरे देश के लोग एक–दूसरे के बीच संवाद कायम कर सकें। आज हिंदी पूरे भारत में इसी लचीलेपन की वजह से पहुंच रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पश्चिम से लेकर पूर्व तक के सभी तीर्थ स्थलों, दर्शनीय स्थलों एवं बड़े शहरों में लोग मिली जुली हिंदी के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए सभी को प्रयास करते रहना है।

सधन्यवाद।

डॉ0 जी.एन. सोमदेवे
सहायक महाप्रबंधक एवं संपादक
मोबाइल नं0 9560900451
ई–मेलः gnsomdeve@nhb.org.in

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)
पंजी. संख्या, दिल्ली इन/2001/6138
वर्ष 14, अंक 54, जनवरी–मार्च, 2015

विषय सूची

विषय	पृष्ठ सं.	विषय	पृष्ठ सं.
राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	3	भाषा	29
अंतरवैयक्तिक कौशल	4	स्वाईन फ्लू	31
वैयक्तिक कंपनी–लघु उद्यम को निगमित	6	ई–कॉमर्स	33
भूमि अधिग्रहण कानून और विकास	8	किसना	35
बंगला बने न्यारा	10	अपना–अपना परमात्मा	39
ध्यान की प्रक्रिया	11	विशाल युवा वर्किंग फोर्स	40
मकान और मालकिन	12	शिक्षण प्रयास – तमिल सीखे	41
मर्यादा	14	उपदेश	42
चमकता सूरज दमकता घर	15	योजनाएं – मूल्यांकन एवं निगरानी	44
ज्ञान	16	स्मार्ट शहर की तेज होगी डगर	45
स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचार	17	तनाव और घटती क्षमता	46
वैश्वीकरण और विदेशी भाषा	20	प्रोफेशनल	47
समाधान	21	आपा–धापी	47
रोमन लिपि बनाम देवनागरी लिपि	22	देखो – मुमताज महल	48
किताबी ज्ञान तथा कौशल	25	हाथी	48
शक्ति व समृद्धि	27		

प्रधान संरक्षक
मो. मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक
अर्णव रॉय
कार्यपालक निदेशक

संपादक
डॉ. जी.एन. सोमदेवे
सहायक महाप्रबंधक

सहायक संपादक
डॉ. अमर सिंह सचान
राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल
एस.के. पाढ़ी, सहायक महाप्रबंधक
रंजन कुमार बरून, सहायक महाप्रबंधक
मोहित कौल, क्षेत्रीय प्रबंधक
पंकज चड्ढा, प्रबंधक
रवि कुमार सिंह, प्रबंधक
संजीव कुमार सिंह, उप प्रबंधक
सुश्री स्तुति रूचा, उप प्रबंधक
अड्डा लीला विजयकृष्ण, सहायक प्रबंधक

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

कोर–5 ए, 3–5 तल,
इंडिया हैबिटेट सेंटर
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए ज़िम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

लखनऊ (उ.प्र.) में 22 एवं 23 जनवरी, 2015 को ''ग्रामीण आवास वित्त'' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग्रामीण आवास वित्त पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र का शुभारंभ राष्ट्रीय आवास बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार जी ने किया। आपने प्रतिभागियों का कार्यक्रम में स्वागत करते हुए सर्वप्रथम रा. आ.बैंक की भूमिका के बारे में बताया और फिर ग्रामीण आवास तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य एवं भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान की तथा यह बताया कि ग्रामीण आवास वित्त में उनकी भागीदारी कितनी महत्त्वपूर्ण हो सकती है।

प्रशिक्षण का दूसरा सत्र रा.आ.बैं के महाप्रबंधक एवं मुख्य सर्तकता अधिकारी श्री ए.के. सिंह ने लिया जिसमें आपने प्रतिभागियों को बताया कि ऋण का मूल्यांकन तथा ऋण आवेदनाकें की प्रक्रियात्कता में क्या–क्या सन्निहित है। इसके लिए रोल प्ले एवं केस स्टडीज का सहारा लिया गया। प्रशिक्षण का तीसरा सत्र सरसाई के सीओओ श्री ए.के. रल्हन ने लिया जिसमें आपने सरसाई (सेंट्रल रजिस्ट्री फार सिक्योरटाईजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एवं सिक्योरिटी इंटरेस्ट आफ इंडिया) नाम संगठन की भूमिका के बारे में बताया और यह भी बताया कि यहां पर भू–संपदा के पंजीकृत होने के पश्चात किस प्रकार से ऋण संबंधी धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।

आज के प्रशिक्षण का चौथा सत्र नाबार्ड के महाप्रबंधक एवं संकाय डा0 पी.आर. सिन्हा ने लिया जिसमें आपने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) – एफपीसी दिशा–निर्देशों के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का पांचवा सत्र रा.आ.बैंक के सीवीओ श्री ए.के. सिंह ने लिया जिसमें आपने आवास–ऋण आवेदनों की जटिल प्रक्रियात्मकता तथा तकनीकी एवं कानूनी पहलुओं की जानकारी प्रदान की, जिसके लिए केस स्टडीज के साथ–साथ रोल प्ले के माध्यमों का सहारा लिया। आज का छठवां व अंतिम सत्र नाबार्ड के महाप्रबंधक एवं फैकल्टी श्री डी.एन. राव ने लिया जिसमें आपने कानूनी पहलुओं सहित आवास ऋणों के दस्तावेजीकरण पर प्रकाश डाला।

प्रशिक्षण के अगले दिन दिनांक 23 जनवरी, 2015 की सुबह का प्रथम एवं प्रशिक्षण का सातवां सत्र श्री डी.एन. राव जी ने लिया जिसमें आपने ग्रामीण आवास ऋणों का संवितरण, अनुपालन तथा कर्ज वसूली के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण के आठवें सत्र में रा. आ. बैंक की उप प्रबंधक सुश्री शालू देशपांडे ने ''निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास'' के बारे में जानकारी प्रदान की और बताया कि इस न्यास के माध्यम से उन गरीबों को भी गृह ऋण मिल सकेगा जिनके पास उनकी ज़मीन/फ्लैट या स्वत्व विलेख या परिसंपत्ति नहीं होती है।

प्रशिक्षण का नौंवा सत्र रा.आ.बैंक की प्रबंधक सुश्री प्राची तंवर ने लिया जिसमें आपने देश में ग्रामीण आवास परिदृश्य एवं राष्ट्रीय आवास बैंक की पुनर्वित्त परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण का अगला दसवां सत्र भी सुश्री प्राची तंवर तथा रा.आ.बैंक की सहायक प्रबंधक सुरी मधुमिता ने मिलकर लिया जिसमें आपने रा.आ. बैंक से पुनर्वित प्राप्त करने हेतु रा.आ.बैंक की पुनर्वित आवेदन के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण का ग्यारहवां सत्र भी सुश्री प्राची तंवर एवं सुश्री मधुमिता ने ही लिया और आरएचएफ तथा यूएचएफ के अधीन विवरणी के लिए अपेक्षित आकंडो के बारे में परिचर्चा की। प्रशिक्षण का अंतिम सत्र उपसंहार के रूप में रा.आ.बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार जी ने लिया। सभी प्रतिभागियों एवं आयोजक को धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा की।

अंतरवैयक्तिक कौशल

डॉ0 ए.के. सिंह,
महाप्रबंधक एवं सीवीओ

अंतरवैयक्तिक कौशल अन्य व्यक्तियों से व्यक्तिगत या समूह में संवाद और विचार सम्प्रेषण हेतु उपयोग में आने वाला जीवन कौशल है। ऐसे लोग जिन्होंने अंतरवैयक्तिक कौशल में महारत हासिल की वे व्यवसायिक व व्यक्तिगत जीवन में अधिक सफल रहे हैं। अंतरवैयक्तिक कौशल ऐसा गुण है जिसे हर नियोक्ता अपने कर्मचारी में चाहता है। यह कौशल कर्मचारी को एक टीम में काम करने में प्रभावी भूमिका निभाता है तथा इस कौशल के होने से व्यक्ति अपने साथियों व ग्राहकों से प्रभावी संवाद बना सकने में सफल होता है।

अंतरवैयक्तिक कौशल केवल कार्यस्थल के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है वरन इससे हमारा व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन भी लाभान्वित हो सकता है। ऐसे लोग जिनमें अच्छे अंतरवैयक्तिक कौशल का विकास होता है वे आशावादी, शांत, आत्मविश्वासी व जादुई व्यक्तित्व वाले होते है। इन गुणों के कारण वे अन्य व्यक्तियों पर प्रीतिकर और प्रभावी छाप छोड़ने में सक्षम होते है।

अंतरवैयक्तिक कौशल के गुणों का विकास निरंतर प्रयास द्वारा सम्भव है आइए हम जानने की कोशिश करते है कि अंतरवैयक्तिक कौशल के गुणों की सूची में किन दक्षताओं को स्थान मिला है:

1. मौखिक संवाद – हम क्या कहते है और कैसे कहते है।
2. अमौखिक संवाद – मौखिक संवाद से इतर भी देह की भंगिमाओं से किया जाने वाला संवाद
3. श्रवण कौशल – मौखिक व अमौखिक दोनों प्रकार के संवादों की हम कैसे व्याख्या करते हैं।
4. वार्ता व समझौता कौशल – दूसरों से वार्ता के माध्यम से परस्पर मान्य उत्तर/अभिप्राय तक पहुंचना
5. कठिनाई निवारण कौशल – दूसरों के साथ कार्य करते हुए कठिनाइयों को जानना, परिभाषित करना व समाधान निकालना
6. निर्णय लेने का कौशल – विकल्पों को खोजना व विवेचना कर सही निर्णय तक पहुंचना
7. निश्चयात्मकता – अपने मूल्यों, विचारों, विश्वासों, मतों, आवश्यकताओं का दृढ़तापूर्वक निश्चयात्मक क्रियान्वयन

आप में अंतरवैयक्तिक कौशल के गुण विद्यमान है। हम सब अपने बचपन से प्रायः बिना जाने ही अंतरवैयक्तिक गुणों की विकास यात्रा पर चल रहे होते है। ऐसे में विकसित अंतर वैयक्तिक कौशल हमारे प्राकृतिक व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होता है। इन गुणों का विकास थोड़ा समय और प्रयास से किया जा सकता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के लिए कई तरह के कौशल के विकास की आवश्यकता होती है किंतु सभी कौशलों के विकास का आधार अंतरवैयक्तिक कौशल है क्योंकि यह आपके व्यक्तिगत रिश्तों, सामाजिक कार्यों व व्यवसायिक जीवन के लिए प्रासंगिक है। बिना अंतरवैयक्तिक कौशल के सही विकास के जीवन में अन्य कौशलों को विकसित करना व आनन्द लेना सम्भव नहीं है।

चलिए हम अंतरवैयक्तिक गुणों के विकास के लिए प्रयास करें:

पहला कदम

श्रवण क्षमता का विकास : कृपया अंग्रेजी के Listening और Hearing के भेद को समझने का प्रयास करें। Listening का शाब्दिक अर्थ है कान लगाकर ध्यान से सुनना व Hearing का शाब्दिक अर्थ है सुनना। ध्यान से सुनना व सूचना के परिप्रेक्ष्य में समझना हमारे सम्प्रेषण को प्रभावी बनाता है मौखिक व अमौखिक संवादो को पृष्ठभूमि के साथ समझना ध्यान से सुनने से ही सम्भव है।

इसी प्रकार सुनने के लिए अधोलिखित 10 सिद्धांतों का अनुसरण करें:

1. सुनने के बीच बात न करें
2. एकाग्र होकर सुनें
3. बात कहने वाले को आराम से बात कहने का अवसर दें। आंख से आंख मिलाकर बात सुनें
4. सहानुभूति पूर्वक बात सुनें
5. अनावश्यक ध्यान भंग/टोकने से बचें
6. बात को धैर्यपूर्वक सुनें
7. व्यक्तिगत दुराग्रह की सोच को दूर रखें/निष्पक्ष रहें
8. बात के लहजे स्वर आवाज को समझें
9. बात को पूर्ण परिप्रेक्ष्य में समझें
10. अमौखिक संवाद/दैहिक संकेतो को ध्यान में रखें

दूसरा कदम

उचित शब्दों का चयन

ध्यान दीजिए कि आप संवाद करते समय किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। शब्दों का सही चयन आपके संवाद को स्पष्टता देता है। प्रभावी मौखिक संवाद सही शब्दों के चयन के साथ देह के विभिन्न अंगों की भंगिमाओं पर भी निर्भर करता है। बात करते समय सौम्य, शांत, सुस्पष्ट आवाज तथा

विषय केन्द्रित रहना संवाद को प्रभावी बनाने में सहायक है।

तीसरा कदम
संवाद क्यों सफल नहीं होते

संवाद के विफल होने के कारण उसके पीछे संवाद में कई गतिरोधों की भूमिका होती है। अधोलिखित गतिरोधों को समझने पर सफल संवाद की कुंजी की तलाश हो सकती है।

- भावनात्मक वर्जनाओं का गतिरोध
- विषय पर ध्यान/रुचि न होना या श्रोता के लिए अप्रासंगिक होना
- अपेक्षाएं/पूर्वग्रहों के कारण झूठी रूढ़िबद्ध अवधारणा बनाना
- सांस्कृतिक विभिन्नता/भाषायी भिन्नता

चौथा कदम : विश्रांति

जब हम तनाव में होते हैं तो बहुत शीघ्रता से बात कहने का प्रयास करते है। भाषा व विचारों के प्रवाह पर नियंत्रण नहीं होता। इसलिए संवाद स्थापित करते समय शांत व आराम से बात करें।

पांचवा कदम : स्पष्टता

वार्तालाप में स्पष्ट रहें। विचारों में निश्चयी प्रांजल भाव रखे। श्रोता में अभिरुचि प्रदर्शित करें। संवाद में स्पष्टता ऐसी कई परिस्थितियों में नितान्त आवश्यक है जहां संवाद में परिस्थितियों के कारण कठिनाई दृष्टि गोचर हो रही हो। हमेशा ध्यान रखें कि सुनने वाले को विषयवस्तु के परिप्रेक्ष्य के साथ विचार समझ में आया है। किसी गलतफहमी/गलत व्याख्या के अवसर कम करें।

छठा कदम : सकारात्मकता

वार्ता के दौरान हमेशा सकारात्मक व प्रसन्न रहें। आप सकारात्मक व्यवहार के साथ लोगों का अधिक ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। सकारात्मक व्यवहार आपकी स्वीकार्यता को बढ़ाता है और सकारात्मक व्यवहार के साथ कही बात का असर अधिक होता है। सकारात्मक व्यवहार आपके व्यक्तित्व के आत्म विश्वास व स्वाभिमान को परिलक्षित करता है।

सातवां कदम : परानुभूति रखें

कृपया समझे अन्य व्यक्ति भिन्न विचार रख सकते है। चीजों को दूसरों के नजरिये से भी देखने की क्षमता रखें। इस तरह से आप दूसरों से अधिक सम्मान व विश्वास प्राप्त कर सकेंगे। हमें परानुभूति और सहानुभूति के भेद को हमेशा ध्यान रखना है। परानुभूति का गुण आपकी भावनात्मक बुद्धि के विकास का घोतक है।

आठवां कदम
निश्चयपूर्वक बात कहना

हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम न तो निष्क्रिय हों और न ही आक्रामक हों। निश्चयपूर्वक बात कहना अपने विचारों व मूल्यों को ऐसे व्यक्त करना है कि अन्य उसे समझ सकें और सम्मान कर सकें। वार्ता के दौरान निष्क्रिय या आक्रामक होना आत्म विश्वास में कमी के कारण होता है। निश्चयपूर्वक बात कहना हमेशा अनुभूतियों, इच्छाओं, मूल्यों को समयानुकूल तर्कसंगत भाव से रखना है। इस गुण के कारण हम अपनी बात को कार्यस्थल अथवा घर में किसी भी दैनन्दिन संवाद में अधिक स्पष्टता से रख सकते हैं।

नौवां कदम
समूह में कार्य करने की क्षमता

मानव जीवन में समूह में कार्य करना दैनंदिन जीवन का अभिन्न भाग है।

हम दैनिक जीवन में हमेशा किसी न किसी समूह का हिस्सा हैं। यह समूह परिवार हो सकता है या कोई सामाजिक/समुदाय का समूह हो सकता है या फिर व्यवसाय/कार्यालयीन समूह या खेलकूद/संगीत से सम्बद्ध समूह हो सकता है हम किसी न किसी तरह सदैव समूह में ही कार्य कर रहे होते हैं। समूह में एकत्रित जन किसी समान गुण, स्वभाव विशिष्टता या उद्देश्य से एक सूत्र में बंधे होते है। हालांकि समूह में विभिन्न व्यक्तित्व, भिन्न आचार व्यवहार के व्यक्ति होते है। समूह के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए सदस्यों को समान सूत्र से जोड़ना नितान्त आवश्यक है। सदस्यों में सम्बद्धता समूह की सफलता में परिलक्षित होती है।

जीवन कौशल के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है नए गुणों को सीखने की क्षमता व अभिलाषा रखना। नए कौशल से समृद्ध होकर अपने आस–पास के संसार को भली–भांति समझ सकते है तथा एक उपयोगी व परिपूर्ण जीवन जी सकते है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का निर्वहन कर सकते है।

वैयक्तिक कंपनी
लघु उद्यम को निगमित करने की दिशा में व्यापक कदम

विनीत सिंघल,
सहायक महाप्रबंधक

कंपनी अधिनियम, 2013 भारतीय कार्पोरेट विधि प्रणाली में आमूल परिवर्तन लाया है तथा विद्यमान विधि विनयंत्रित कंपनियों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अनेक नई संकल्पनाओं को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें एक व्यक्ति (वैयक्तिक) कंपनी विशेष महत्वपूर्ण है जहां उदीयमान उद्यमियों को एक आयाम दिया गया है। हम यहां पर एक व्यक्ति कंपनी अर्थात वन पर्सन कंपनी (ओ.पी.सी.) की विशिष्टताओं पर प्रकाश डाल रहे हैं।

वैयक्तिक कंपनी (ओ.पी.सी.) को कंपनी अधिनियम, 2013 में एक नई अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह एक ऐसा कदम है जो व्यवसाय में उद्यमिता एवं निगमन को प्रोत्साहित करता है। इस प्रावधान के माध्यम से यह अधिनियम भारत में एक कारोबार को संगठित करने का नया संवर्ग खोलता है जो केवल एक सदस्यी व्यक्ति के साथ एक कंपनी को निगमित करने का वैधानिक मार्ग प्रशस्त्र करता है। अभी तक भारत में एक उद्यमी को अपने कौशलों को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी बनाने हेतु एक अन्य व्यक्ति साझेदार के रूप में खोजना पड़ता था, जबकि यूनाइटेड किंगडम, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर एवं पाकिस्तान जैसे देशों में एक अकेला व्यक्ति कंपनी स्थापित कर सकता है।

ओ.पी.सी. (वैयक्तिक कंपनी) की अवधारणा ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से एक स्वत्वधारी (सोलप्रोप्राइटरशिप) कारोबार की अवधारणा है जो इसकी वैधानिकता इसकी स्वत्वधारिता एवं प्रमोटर्स से अलग वैधानिक पहचान प्रदान करता है। अब ओ.पी.सी. के तहत एक व्यक्ति अपने कारोबार को एक स्वत्वधारी की भांति एक कंपनी के तौर पर चला सकता है। यह नई अवधारणा उन तमाम छोटे एवं मझोले उद्यमियों को एक कार्पोरेट के रूप में कारोबार को चलाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है जो अभी तक एकल स्वामित्वधारी की भांति कार्य करते थे। ओ. पी.सी. विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों को नैगमिक क्षमता प्रदान करते है तथा अपनी आर्थिक गतिविधियों की भागीदारी के लिए एक मंच भी दे सकते है।

उत्पत्ति एवं पृष्ठभूमि

डा0 जे.जे. ईरानी के मुताबिक 2 दिसम्बर, 2004 को भारत सरकार ने डा0 जे.जे. ईरानी की अध्यक्षता में कंपनी कानून के तहत एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करने के साथ ही साथ कंपनी अधिनियम 1956 के संशोधन से उठने वाले मुद्दों के लिए संस्तुतियां देने के लिए भी कहा गया था। इस कमेटी ने एकल व्यक्ति कंपनी की अवधारणा पर बहस चलाई एवं विद्यमान दो व्यक्तियों द्वारा कंपनी स्थापित करने की नीति के खिलाफ एक व्यक्ति कंपनी (वैयक्तिक कंपनी) अवधारणा को पेश करते हुए वैयक्तिक उद्यमिता पर जोर दिया। इसका संपूर्ण विचार यह था कि यदि कोई ऐसा उद्यमी है जो अपनी कंपनी गठित करना चाहता है तो उसे कंपनी कानून के तहत यह बाध्य नहीं किया जाना चाहिए कि उसे दूसरा साथी खोजना होगा।

एकल व्यक्ति कंपनी की अवधारणा पाकिस्तान में भी उपलब्ध है, जहां कंपनी आर्डिनेस. 1984 पूरे पाकिस्तान में एक कंपनी गठित करने का अधिकार देता है और यह बताता है कि कोई भी तीन या तीन से अधिक विधि सम्मत संगठित व्यक्ति किसी भी वैधानिक कार्य के लिए अपने नाम को अनुमोदित करते हुए सहमति संगठन/निकाय बनाकर इस आर्डिनेस की पंजीयन अपेक्षाओं को पूरा करते हुए एक पब्लिक कंपनी बना सकते है तथा इनमें से कोई एक या अधिक व्यक्ति एक निजी कंपनी के रूप में जुड़ सकते है। ठीक इसी प्रकार से एकल व्यक्ति कंपनी (ओ.पी.सी.) की अवधारणा यू.के. में कंपनी अधिनियम, 2006 के रूप में प्रावधानकृत है।

एकल व्यक्ति कंपनी (ओ.पी.सी.) हेतु सरल शासन व्यवस्था

अधिनियम के तहत, एक ओ.पी.सी. को सरलतम कानूनी प्रणाली को छूटों के तहत अनुपालित करना है ताकि एकल उद्यमी को प्रक्रियागत मामलों में समय, ऊर्जा एवं संसाधनों के लिए इधर–उधर न भटकना पड़े। उदाहरण के तौर पर इस नए संदर्भ में एक वार्षिक बैठक (एजीएम) करने जैसा कोई प्रावधान अनुपालित नहीं करना होता है। इसके साथ ही एकल व्यक्ति कंपनी, लघु कंपनी और सुशुप्त कंपनी के संदर्भ में ''वित्तीय विवरणी के साथ नकद प्रवाह विवरणी को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा इस अधिनियम से अनेक ऐसी धाराएं है जो ओ.पी.सी. पर लागू नहीं होती है। इसके साथ ही इसमें ऐसे अनेक प्रावधान, जैसे कि निदेशक मंडल की बैठकों आदि को ओ.पी.सी. के लिए विशेष राहत दी गई है। इस प्रकार से, ओ.पी.सी के लिए सरलीकृत शासन प्रणाली कार्पोरेट भारत में वैयक्तिक स्तर पर उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

एकल व्यक्ति कंपनी (ओ.पी.सी.) की परिभाषा एवं निगमन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा 62 ''एकल व्यक्ति कंपनी (वन पर्सन कंपनी)'' को एक सदस्य की एक कंपनी के रूप में पारिभाषित करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (सी) के अंतर्गत किसी विधि सम्मत कार्य के लिए एकल कंपनी स्थापित करने का प्रावधान इस प्रकार देता है – एक व्यक्ति, जहां एक कंपनी गठित करता है एकल व्यक्ति कंपनी के रूप में है, जिसे एक निजी कंपनी कह सकते है जो अपने नाम को एक ज्ञापन के तहत स्वीकार करता है तथा पंजीकरण के संदर्भ में इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं का अनुपालन करता है।

यह आगे भी प्रकट करता है कि एकल व्यक्ति कंपनी (ओ.पी.सी.) का सहमति पत्र/ज्ञापन दूसरे व्यक्ति के नाम का, उसकी पूर्व सहमति के बाद

निर्धारित फार्म में प्रकट करेगा, जोकि अनुमोदक की मृत्यु या उसकी संविदात्मक अनुमति के बाद कंपनी का सदस्य बनेगा और इसके साथ ऐसे किसी भी व्यक्ति की लिखित सहमति पत्र के साथ एकल व्यक्ति कंपनी का समझौता ज्ञापन तथा अंतर्नियमों के साथ भर कर जमा कराना होगा।

इस प्रकार की एकल व्यक्ति कंपनी (ओ.पी.सी.) या तो (क) शेयर्स के द्वारा एक लिमिटेड कंपनी या (ख) गारंटी के द्वारा एक लिमिटेड कंपनी या (ग) एक अनलिमटेड कंपनी हो सकती है। हांलाकि, यह ओ.पी.सी. (एकल व्यक्ति कंपनियां) किसी भी निगम की प्रतिभूतियों के निवेश सहित किसी गैर बैकिंग वित्तीय निवेश गतिविधियों का निर्वहन नहीं कर सकती है।

एकल व्यक्ति कंपनी (ओ.पी.सी.) के सदस्य के रूप में कार्य करने की पात्रता

एक एकल व्यक्ति कंपनी (ओ.पी.सी.) के नामांकित या एक सदस्य के रूप में कोई भी मूल सामान्य व्यक्ति जो कि भारतीय नागरिक हो और भारत का निवासी हो; कार्य करने के लिए पात्र है। उपरोक्त कार्य उद्देश्य हेतु ''भारत का निवासी'' शब्द से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति है जो भारत में कम से कम एक सौ बयासी दिनों तक किसी प्रक्रियाधीन एक वित्तीय वर्ष के दौरान रहा है।

हालांकि, यहां पर यह ध्यान रखा जाए कि एक व्यक्ति केवल एकमात्र एकल व्यक्ति कंपनी का सदस्य हो सकता है। कोई भी व्यक्ति एक अधिक ओपीसी का सदस्य या नामिनी बनने का पात्र नहीं है। जहां पर एक सामान्य/मूल व्यक्ति किसी एक एकल व्यक्ति कंपनी का सदस्य किसी अन्य एकल व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन जाता है तो स्वतः ही उस कंपनी का नामिनी बनने के बाद, ऐसा व्यक्ति किसी एक कंपनी की पात्रता मानदण्डों के आधार पर 180 दिनों की अवधि के भीतर स्वीकार कर सकता है अर्थात उसे 180 दिनों की अवधि के भीतर दूसरी कंपनी की सदस्यता या नामांकन से अपना नाम वापस लेना होगा।

एक एकल व्यक्ति कंपनी (ओ.पी.सी.) को निगमित करने हेतु क्रिया विधि

एक एकल व्यक्ति कंपनी (ओ.पी.सी.) को निगमित करने की क्रियाविधि बिल्कुल सरल और निम्नानुसार हैः–

(1) नाम आरक्षण : नाम की उपलबधता हेतु फार्म आईएनसी–1 को भरना होगा।

(2) ओ.पी.सी. निगमन : नाम के अनुमोदन के बाद एकल व्यक्ति कंपनी के निगमित करने के लिए फार्म आइएनसी–1 के भरने के 60 दिनों के भीतर फार्म आईएनसी–2 को भरना होगा।

(3) फार्म आइएनसी–2 के साथ ही साथ फार्म डीआईआर–12 को भी भरना होगा, केवल तब को छोड़ कर जब आयोजक (प्रवर्तक) उस ओ.पी.सी. का एकमात्र निदेशक हो।

(4) यदि किसी मामले में कंपनी के पत्राचार का पता एवं पंजीकृत कार्यालय का पता एक (समान) न हो, तब कंपनी को फार्म आईएनसी–2 के पंजीकरण के 30 दिनों की अवधि के भीतर फार्म आईएनसी–22 को भरना होगा।

''एकल व्यक्ति कंपनी'' (ओ.पी.सी.) शब्द ऐसी कंपनी के नाम के नीचे कोष्ठक में भरना/लिखना होगा जहां पर भी इस (कंपनी) का नाम मुद्रित, चिपकाया या उकेरा जाएगा।

सदस्यता में बदलाव

एक एकल व्यक्ति कंपनी के किसी सदस्य के स्मामित्व में परिवर्तन, किसी अनुबंध के अयोग्य होने की स्थिति में या फिर मृत्यु की दशा में कंपनी को आईएनसी–4 फार्म भरना होगा। ठीक इसी फार्म में प्रयोगकर्ता को ओ.पी.सी. के नए सदस्य विवरण भी उपलबध कराने होंगे।

एकल व्यक्ति कंपनी को प्राइवेट या सार्वजनिक कंपनी में बदलना

यदि किसी ओ.पी.सी. (एकल व्यक्ति कंपनी) की चुकता भुगतान पूंजी पचास लाख रुपये से अधिक या इसकी औसत वार्षिक टर्नओवर किसी उपयुक्त अवधि के दौरान दो करोड़ रु0 से ज्यादा हो जाता है तब ओ.पी.सी. के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह एक प्रायवेट या पब्लिक कंपनी में परिवर्तित हो जाए। ऐसी दशा में यदि प्रारंभिक सीमा बढ़ जाती है और अपेक्षित होता है कि कंपनी को प्रायवेट या पब्लिक कंपनी में बदलना है तो कंपनी ओ.पी.सी. फार्म आईएनसी–5 को भर कर कंपनी पंजीयक को सूचित करेगी।

निष्कर्ष इस प्रकार से एकल व्यक्ति कंपनी (ओ.पी.सी.) की प्रस्तावना एक स्वागत योग्य कदम है जो सीमित देयता वाले सदस्यों को निजी स्वामित्व वाले कारोबार से निगमितीकरण एवं उद्यमिता हेतु प्रोत्साहित करेगा। यह और अधिक निवेश एवं रोजगार पैदा करेगा। इस नए कारोबारी संरचना के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्यमी ऋणदाता संस्थानों से ऋण सुविधा को प्राप्त करने के योग्य बनेंगे।

कुल मिलाकर, इस प्रकार के कारोबार का स्वामित्व एक वैयक्तिक उद्यमी के लिए मिश्रित वरदान है। जहां एक ओर कुछ निश्चित छूटें एवं अधिक लाभ प्राप्त होते हैं, वहीं इस प्रकार के उद्यमियों में उच्च कर देयताएं बढ़ जाती है। यहां पर यह भी एक कारण है कि ओ.पी.सी. कर देय आम दर फ्लैट कार्पोरेट टैक्स दर पर कर देय होगी। दूसरे शब्दों में, ओ.पी.सी. के लिए एक निर्धारित व्यक्तिगत कर दयताएं लागू नहीं होती है। इसके अलावा एक लघु प्रतिस्थापना के रूप में ओ.पी.सी. के लिए विभिन्न प्रकटीकरण एवं अनुपालनाओं को सुनिश्चित करना बहुत कठिन प्रतीत हो सकता है। एक बेहतर ओ.पी.सी .अभिशासन के लिए पेशेवर कंपनी सेक्रेटरीज से सलाह प्राप्त करना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। फिर भी कुल मिला कर उन लघु उद्यमियों के लिए ओ.पी.सी. विश्वास जगाने हेतु एक धमाकेदार कदम है जो स्व–रोजगार युक्त एवं लघु पैमाने के उद्योग क्षेत्र में कार्यरत है।

भूमि अधिग्रहण कानून और विकास

मोहित कौल,
क्षेत्रीय प्रबंधक

किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए मूलभूत संरचना, खनिज संपदा तथा कौशल युक्त मानव संसाधन अनिवार्य तत्व होते हैं। विकसित देशों में यह तीनों तत्व पाए गए या फिर जो नहीं था, उसे जुटाया गया और इस तरह वे विकास के अग्र पथ पर खड़े है। भारत जैसे कई एशियाई एवं अफ्रीकी देश हैं जहां कुशल मानव संसाधन एवं प्राकृतिक संसाधन तो है परंतु उनके पास मूलभूत यानि कि आधार–भूत संरचना जैसे कि यातायात, संचार के साधन, हाइवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे तथा ऊर्जा जैसी मूल चीजों की कमी है और इसी कारण वे विकास की दौड़ में काफी पीछे रह गए। भारत के पास कुशल मानव संसाधन तथा प्राकृतिक संसाधन का अकूत भंडार है, लेकिन आधार–भूत संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) की कमी के चलते काफी पिछड़ गया। आधार–भूत संरचना को खड़ा करने के लिए सरकार को सरकारी एवं अर्धसरकारी कार्यों, उद्योगों, सड़कों, रेलमार्गों, आवासीय इकाइयों, शहरी विकास एवं विस्तार हेतु भूमि को अधिग्रहण करना पड़ता है। भारत में भूमि अधिग्रहण के बहुत पुराने कानून है, जिन्हें बदलने व संशोधित करने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने वर्ष 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था किंतु कई अर्थों में वह कानून अपंग एवं अक्षम साबित हुआ, अतः देश में आधारभूत संरचना एवं विदेशी निवेश को आमंत्रित करने तथा नए–नए सैन्य व असैन्य उद्यमों की स्थापना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में कुछ संशोधन पेश किए। इसे किसान व जन विरोधी करार दिया गया है जिसके कारण तमाम किसान संगठन व गैर सरकारी संगठन विरोध में खड़े हो गए। हालांकि सरकार बार–बार कह रही है कि किसान के हित सर्वोपरि है, बावजूद इसके विरोध जारी है।

भूमि अधिग्रहण कानून (उचित मुआवजे का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम, 2013) में संशोधन को लेकर किसान संगठनों ने आंदोलन की धमकी दी है। यह कानून 1 जनवरी, 2014 से लागू हुआ, लेकिन कई राज्यों में इस पर अमल नहीं हो पाया। वजह यह कि वहां की विधानसभाओं ने इसके लिए अब तक नियम ही नहीं बनाए। सो विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि इतनी जल्दी कानून में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ गई, जबकि इसका कोई आकलन भी नहीं हो पाया है कि वाकई कोई परेशानी हो रही है या नहीं। हालांकि पूरे देश के लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुपालन की जटिल बातों की ओर ध्यान खींचा तथा इसमें संशोधन करने की मांग कर डाली। यह भी कहा कि वर्तमान कानून के चलते देशभर में विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के काम रुक जाएंगे इनमें विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।

केन्द्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी किया है, जिसका मकसद यह संदेश देना है कि उद्योगों एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई सरकार कृतसंकल्प है। असली सवाल यह है कि भूमि का स्वामी कौन है – उसका मालिक या सरकार? अंग्रेजी राज में सार्वभौम संप्रभुता (एमिनेंट डोमेन) के सिद्धांत के तहत भूमि अधिग्रहण के मामले में सरकार का निर्णय अंतिम

होता था। दो साल पहले तक चले भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में प्रावधान था कि 'सार्वजनिक उद्देश्यों' के लिए सरकार किसी भी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। इसमें 'सार्वजनिक उद्देश्यों' को कहीं परिभाषित नहीं किया गया था और इसे अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया था। इस कारण चाहे जिस भी काम के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ, उसे सार्वजनिक उद्देश्यों के तहत किया गया अधिग्रहण मान लिया गया।

पहली बार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में इस प्रकार के अधिग्रहण पर रोक लगाई गई। इसमें भूस्वामियों की सहमति और सामाजिक प्रभाव के आकलन को अनिवार्य बनाया गया। इसमें अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले 70 प्रतिशत लोगों की सहमति हासिल करने की शर्त है। अधिनियम की चौथी अनुसूची में उन क्षेत्रों को रखा गया है जिनके लिए सहमति एवं सामाजिक प्रभाव आकलन की शर्तों से छूट दी गई है। इनमें रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, परमाणु ऊर्जा तथा बिजली आदि से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। अभी जारी अध्यादेश में सरकार ने कुछ अन्य परियोजनाओं को भी शामिल किया है, जिन्हें जल्द पूरा किया जाना है। जैसे औद्योगिक कॉरिडोर, रक्षा एवं उत्पादन तथा ग्रामीण बुनियादी ढांचा, जिसके तहत विद्युतीकरण, निर्धन वर्ग के लिए आवास, अस्पताल, विद्यालय तथा आधारभूत परियोजनाएं। किसान संगठनों का आरोप है कि इसमें

सार्वजनिक हित के नाम पर निजी हितों की रक्षा की जा रही है। जिन कॉरपोरेट अस्पतालों को सस्ते दाम पर जमीन दी गई, वहां किसी गरीब का इलाज नहीं हो पाया। किसान संगठन 2013 के अधिनियम से भी संतुष्ट नहीं थे, पर मुआवजे का जो प्रावधान 2013 के कानून में है, उससे किसानों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसमें सर्किल दर का दो गुना जमीन की कीमत के रूप में तथा दो गुना पारितोषिक के रूप में देने का प्रावधान है। अर्थात मौजूदा सर्किल दर का चार गुना किसान को मिलेगा। अध्यादेश में मुआवजे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। हाल ही में सरकार ने किसानों के ऐतराज को देखते हुए थोड़ा और लचीला रवैया अपनाया है जिस के आधार पर निजी क्षेत्र के संस्थानों तथा स्कूलों, कॉलेजों एवं अस्पतालों के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं करेगी, हालांकि इसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ने निश्चित हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि 2013 का कानून व्यापक विचार–विमर्श के बाद बनाया गया और इसमें नेताओं के सुझाए दो महत्वपूर्ण संशोधनों को भी स्वीकार किया गया। दरअसल इसी कानून के बाद पहली बार भूस्वामियों को उनकी भूमि पर पूरा अधिकार दिया गया। पर उद्योग जगत के दबाव में कानून की आत्मा को नष्ट नहीं कर देना चाहिए। आज जरूरत एक मध्यमार्ग की है ताकि औद्योगीकरण एवं विकास की गति भी मंद न हो और किसानों को भी नुकसान न हो। पिछले सालों में भूमि अधिग्रहण में किसानों के बीच जबर्दस्त आक्रोश उभरा। ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में उद्योगों के नाम पर अधिगृहीत जमीन आपातकालीन उपबंध का सहारा लेकर यूजर क्लॉज बदला गया। विकास के लिए जमीन का अधिग्रहण आवश्यक है, पर इसमें धोखा नहीं होना चाहिए। डिवेलपमेंट के लिए ली गई जमीन का इस्तेमाल व्यापारिक गतिविधियों के लिए न हो। एक महत्वपूर्ण आपत्ति यह है कि परियोजना पूरी करने की पांच साल की समय सीमा खत्म कर दी गई है। एसईजेड के लिए भूमि अधिग्रहण के

बाद जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की भी इजाजत दे दी गई है। जो उचित नहीं प्रतीत होता। सरकार को इस प्रकार के दुरूपयोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए तथा किसान, मजदूर, कृषि मजदूरों एवं जनहित को सर्वोपरि रखना चाहिए। इसके साथ ऐसे उपाय करे कि आधार–भूत संरचना के कार्य भी न रुकें।

सड़कों, हवाई अड्डों, आधारभूत संरचना आदि के लिए तो जमीन की जरूरत होगी ही। मुआवजे के प्रावधान में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है, लिहाजा किसानों को इस पहलू से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आलोचना का एक ही आधार हो सकता है कि इतना महत्वपूर्ण संशोधन अध्यादेश के जरिए किया जाना चाहिए या नहीं। राष्ट्रपति ने भी

संतुष्ट होने के बाद ही सहमति दी। सभी कॉमनवेल्थ देशों में भारत का संविधान इस मायने में अनूठा है कि इसमें अध्यादेश का प्रावधान है। आशा की जानी चाहिए कि जमीन के मामले में कोई एक सर्वमान्य रास्ता निकलेगा।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि भारत को पूरी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है। देश की कुशल एवं युवा शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना हैं, विश्व की एक अग्रणी अर्थ–व्यवस्था बन कर चीन एवं अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में खड़ा होना है तथा सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' जैसे यथार्थवादी नारे को साकार रूप देना है तो भूमि अधिग्रहण कानून को जल्द से जल्द पारित होना ही चाहिए। सभी देश एवं राष्ट्र के हित में काम करें तथा पूरी दुनिया के साथ विकास की रफ्तार में बढ़ने के लिए भारत सरकार लोक हित एवं राष्ट्रहित के कार्यों में सहयोग करे। विरोधी योजनाओं एवं परियोजनाओं में छिपी कमियों एवं दोषों की ओर सरकार का ध्यान खींचे तथा जनहित को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाने में आलोचना करते हुए सहयोग एवं समर्थन प्रदान करें। यदि सरकार देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए भूमि अधिग्रहण एवं निवेश संबंधी कानून पारित नहीं कर पाती तो इससे पूरी दुनिया में यह संदेश जाएगा कि भारत में निवेश अनुकूल माहौल नहीं है। यहां पर प्रारंभ की जाने वाली परियोजनाएं विभिन्न कानूनी अड़चनों का शिकार हो सकती है। कोई भी उद्यमी या निवेशक उन देशों में कारोबार करना चाहता है जहां आधारभूत संरचना के साथ–साथ निवेश एवं उद्यम के अनुकूल वातावरण हो। सरल एवं स्पष्ट कराधान तथा बैंकिंग व्यवस्था हो। वह समयबद्ध तरीके से बिना अड़चन एवं बाधा के अपनी परियोजनाएं पूरी करके यथोचित लाभ अर्जित कर सके। भारत का भूमि अधिग्रहण बिल पारित होना इस दिशा में एक मील का पत्थर है।

बंगला बने न्यारा

रवि कुमार सिंह,
प्रबंधक

मानव के जीवन में सदैव रोटी, कपड़ा और मकान जैसी तीन मूलभूत आवश्यकताओं की अपेक्षा होती है। वैसे तो ये तीनों ही अनिवार्य अपेक्षाएं हैं परंतु पहली दो को अपरिहार्य कहा जा सकता है। तीसरी आवश्यकता मानव के सामाजिक जीवन को स्थिरता प्रदान करने की दृष्टि से अनिवार्य माना जा सकता है। दुनिया भर में हर इंसान की चाहत और सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। यूं तो आज कल फ्लैट्स, अपार्टमेंट तथा सामूहिक आवास तेजी से बनाएं एवं वितरित किए जा रहे हैं, लेकिन गरीब से गरीब व्यक्ति की यह चाहत होती है कि उसका मकान एक अलब जमीन के टुकड़े पर हो उसका अपन प्लाट हो, जिस पर वह अपने सपनों का घर या बंगला बनाएं। कई बार देखन में आया है कि लोग 50 मीटर के क्षेत्र वाले फ्लैट/मकान की बजाए 25 मीटर का भूखंड लेकर उस पर अपना मकान बनाना पसंद करते है। हालांकि बढ़ती जनसंख्या के कारण प्लाट खरीदना एवं उस पर मकान बनाना बहुत महंगा पड़ता है। जबकि फ्लैट या अपार्टमेंट्स में मकान खरीदना सस्ता पड़ता है।

आज एक मकान खरीददार के पास आवासीय सैगमैंट में 2 मुख्य विकल्प हैं जिनमें से पहला है प्लॉट तथा दूसरा अपार्टमेंट। आमतौर पर लोगों के द्वारा प्रायः अपार्टमैंटस की तुलना में प्लॉट्स को अधिक पसंद किया जाता था, लेकिन हाल के सालों में कुछ बड़े शहरों में इस अंतर की सीमाएं घटने लगी थीं। खासकर दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़ तथा इसके आसपास के शहरों के विकसित हो रहे रियल्टी मार्किट्स में यह बात अधिक सटीक तरह से लागू होती है जहां एक दशक पहले की तुलना में खरीददार तथा निवेशक दोनों विकल्पों पर अधिक विचार करते हैं। परंतु अन्य सभी स्थानों पर आज भी प्लॉट्स को ही अधिक पसंद किया जा रहा है जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं –

परंपरा का पालन : सारे भारत के लोगों ने हमेशा अपने प्लॉटों पर बने मकानों में रहने में गर्व महसूस किया है। प्लॉट पसंद करने की एक और वजह है कि इन पर बनने वाले मकान जमीन के बेहद करीब होते हैं जैसा कि अपार्टमैंट्स के मामले में नहीं हो पाता। भारत में प्राचीन परंपरा के अनुसार आंगन युक्त घर होते थे, जिस के बीच में आंगन और अगल–बगल चौतरफ कमरे व दालानें होती थी। बीच आंगन में तुलसी का पेड़ एवं देव स्थान हो ता था आज भी लोग इसी कारण भूतल का मकान पसंद करते हैं। यही कारण है कि अपार्टमैंट सैगमैंट में भी हमेशा ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट्स को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता रहा है तथा इनकी कीमत भी सबसे ज्यादा होती है। लोग चाहते हैं कि वे घर के आगे पीछे कुछ फलों के पेड़–पौधे लगा सके। घर के आगे वाहन खड़ा हो ताकि उसकी निगरानी भी बनी रहे।

मांग तथा पूर्ति : पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र का खरीददार हमेशा से प्लॉट सैगमैंट को अपार्टमैंट सैगमैंट से ज्यादा पसंद करता रहा है। अधिकतर शहरों जैसे दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़ तथा साथ लगते उपनगरों को छोड़ कर मांग आज भी प्लॉट सैगमैंट में ही ज्यादा है जबकि अपार्टमैंट सैगमैंट में विकास सुस्त गति से चल रहा है। मुंबई, थाणे, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, लखनऊ, अमृतसर, भटिंडा तथा लुधियाना जैसे शहरों में अपार्टमैंट सैक्टर में बूम साल 2005 से 2007 के बीच देखा गया। आज भी निवेश की दृष्टि से लोग, खासकर एनआरआई इन्हें तेजी से खरीद रहे हैं। इस सेक्टर में निवेश की वापसी 10–15 फीसदी तक होती है।

समय पर कब्जा मिलने का मुद्दा : अपार्टमैंट खरीदने से संबंधित एक बड़ी समस्या हमेशा से रही है कि डिवैल्पर इन्हें समय पर तैयार नहीं कर पाते हैं जिस वजह से खरीददारों को समय पर इनका कब्जा नहीं मिल पाता है। ऐसा केवल गुड़गांव, नोएडा तथा लखनऊ आदि इलाकों पर ही नहीं बल्कि पंचकूला जैसे शहरों में भी देखने को मिलता है। मुंबई इस मायने में काफी सही है, किंतु थाणे तथा पुणे एवं बंगलौर आदि शहरों में सक्षम का अनुपालन नहीं होता है। इस मामले में सबसे अधिक खराब रिकार्ड दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव एवं एनसीआर इलाके का है। इस वक्त

कई रिहायशी परियोजनाएं तय समय से 6 से 8 साल पीछे चल रही हैं। प्लाट्स के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती इसलिए जाहिर है कि कुदरती तौर पर खरीददार अपार्टमैंट की तुलना में प्लॉट को ही ज्यादा पसंद करते हैं। प्लॉट खरीदने वालों को कब्जा मिलने में देरी होने का जोखिम जरा भी उठाना नहीं पड़ता है। इसके साथ ही मकान आदि बनाने

के लिए 3–4 साल का समय मिल जाता है और थोड़ी पेनल्टी देने के बाद कुछ समय और मिल जाता है। जहां अपनी पसंद से घर बनाया जा सकता है।

बेचने में दिक्कत : इन दोनों ही सैगमैंट्स में अपने निवेश से मुनाफा कमाने के लिए संपत्ति को बेचने में थोड़ी मुश्किल हमेशा से ही है परंतु अपार्टमैंट सैगमैंट में यह समस्या प्लॉटों की तुलना में कहीं ज्यादा हे। इस

वक्त निवेशक ज्यादा सक्रिय नहीं हैं। जो निवेश करना चाहते हैं वे भी प्लॉट को तरजीह देते हुए अपार्टमैंट्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि जरूरत पड़ने पर अगर बेचना पड़े तो अपार्टमैंट की तुलना में प्लॉट बेचना कहीं ज्यादा आसान है।

एक भूखंड (प्लाट) पर अपना मकान बनाने के भी कई फायदे है। गांव एवं कस्बे के स्तर पर लोग आंगन या बरांदा मुक्त मकान अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बना सकते हैं। वहां पर वे अपने पशुओं के लिए भी जगह बना लेते हैं। ताकि उनकी देखरेख आसानी से हो सके। गांव एवं कस्बों की अपेक्षा शहरों में प्लाट पर वहां के स्थानीय नियमों के अनुसार बहुमंजिला बना सकते हैं, जिसमें कुछ मंजिलें अपने उपयोग हेतु और शेष अपने काम–धंधे के लिए या किराए के लिए उपयोग कर सकते है। यहां पर एक सुविधा यह भी होती है कि भूखंड का स्वामी अपनी आर्थिक क्षमतानुसार पहले भू–तल एवं बाद में अन्य तलों को बना सकता है। इसमें एक यह भी सुविधा होती है कि भूखंड वाले मकानों को अपने परिवार के बढ़ने के हिसाब से अगली मंजिल बना सकते हैं। संयुक्त परिवारों के लिहाज से भी भूखंड (प्लाट) एक अच्छा विकल्प होता है। ताकि दो–तीन पीढ़ियों तक सारा परिवार अलग–अलग रहते हुए भी एक साथ रह लेता है और सभी पर्व, त्यौहारों एवं सामाजिक उत्सवों पर साथ रहने का सुख भोग सकते है। इन्हीं सब कारणों से लोग फ्लैट/अपार्टमेंटस की बजाय प्लाट लेना ज्यादा पसंद करते है और यही कारण है कि आज भी प्लाटों की खरीद को प्राथमिकता दी जाती है।

ध्यान की प्रक्रिया

चिंताएं, दुःख, पीड़ा, संताप इसलिए है क्योंकि तुमने इन्हें जोर से पकड़ रखा है। चिंताए किसी को पकड़ती नहीं, दुख किसी को पकड़ते नहीं, आदमी उन्हें पकड़ लेता है। ध्यान की सारी प्रक्रिया दुख छोड़ने की, पीड़ा छोड़ने की प्रक्रिया है। धन नहीं छोड़ना है, संसार नहीं छोड़ना है, छोड़ देना है दुख को पकड़ने की वृत्ति और एक बार यह अनुभव हो जाए कि दुख ने आपको नहीं, आपने दुख को पकड़ा हुआ था, तो जीवन में क्रांति घटित हो जाती है। क्योंकि फिर कोई भी जान कर दुख को पकड़ नहीं सकता। दुख को हम तभी पकड़ सकते हैं, जब हम सोचते हैं कि दुख हमें पकड़ लेता है और हम असहाय है। उल्टी ही है बात। दुख की सामर्थ्य नहीं किसी को पकड़ने की। हम ही पकड़ते हैं और हम ही छोड़ भी सकते हैं।

ध्यान है छोड़ना, दुख का, पीड़ा का, संताप का। जो नरक हमने निर्मित किए है अपने लिए, वह हमारा ही सृजन है और आदमी के मन में ही है दोनों संभावनाएं – या तो बना ले नरक, या बना ले स्वर्ग। और यही मन जो नरक बनाता है, स्वर्ग को बनाने वाला भी बन जाता है। और भेद बहुत थोड़ा है। सिर्फ छोड़ने की कला।

ध्यान हमारा स्वभाव है। उसे हम जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं और इसलिए बाद में ध्यान से परिचित होना कठिन नहीं है। क्योंकि कुछ जो हमारा है, जिसे हम केवल भूल गए हैं, विस्मरण किया है, उसे पुनः याद कर लेते हैं। स्मरण से ज्यादा नहीं है ध्यान – एक रिमेंबरिंग। कुछ था हमारे पास, जिसे हम भूल गए हैं और पुनः याद कर लेते हैं। इसलिए कठिन नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति ध्यान में प्रविष्ट हो सकता है।

'ओशो'

मकान और मालकिन

डॉ0 जी.एन. सोमदेवे,
सहायक महाप्रबंधक

हमारे समाज में बहनों, पत्नियों, बहुओं और बेटियों को विशेष सम्मानजनक दर्जा प्राप्त है। घरबार चलाने में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। कई बार तो वे महत्वपूर्ण और अंतिम फैसला लेती है। बिल्डर्स भी महिलाओं की रूचि के अनुसार अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डिजाइन करते हैं। खासकर किचन को प्लान करने में बिल्डरों की विशेष रूचि होती है ताकि इसी हथियार के द्वारा वे ग्राहक के साथ आयी उसकी पत्नी को प्रभावित कर सके। किचन के आकार से ही मकान का चित्र नजर के सामने रखा जाता है। महिला के अंतिम निर्णय को साधने का यह अच्छा प्रभावशाली उपाय है। वैसे भी घर खरीदने के मामले में घर की महिला को प्राथमिकता दी जाती है।

आजकल युवा लोगों द्वारा मकान खरीदने का चलन बढ़ा है। पहले कामकाजी लोग सेवानिवृत्ति पश्चात मकान बनाते थे। अब युवा वर्ग पैतृक मकान होने के बावजूद स्वयं का मकान खरीदने को प्राथमिकता देता है चाहे वह निवेश के लिए ही क्यों न हो। इसके लिए सबसे ज्यादा कारणीभूत है एकल परिवारों का प्रचलन। आजकल हर कोई परिवार से पृथक एकल चलो का नारा लिए बैठा है। घर की मालकिन वास्तव में पत्नी ही होती है। वह चाहे कामकाजी हो या गृहणी। दोनों भूमिका वह अच्छे से निभाती है। घर खरीदने के पश्चात उसके इंटीरियर को सजाने का काम भी महिला ही संभालती है। एक अध्ययन से साबित हुआ है कि महिलाएं कीमती कारों की बजाय सुविधाजनक आधुनिक किचन को पसंद करती है। उम्दा रसोईघर महिलाओं को अधिक संतुष्टी प्रदान करता है। रसोईघर को सुंदर तरीके से सजाने में पूरे घर की शोभा बढ़ जाती है।

सुरक्षा और निजता (प्राइवेसी) जिंदगी के खास पहलू होते है। मकान बनाते हुए इसका विशेष ध्यान रखना होता है। आजकल चोरों और अत्याचारी लोगों द्वारा नए–नए तरीके से कारनामों को अंजाम देना पाया जा रहा है। दिनों दिन विकृत होती मानसिकता का यह आलम है कि कब कौन किस समय आपके मकान में न जाने किस नियत से घुस जाए पता नहीं चलता। चोर और अत्याचारी लोग निरंतर आपके घर तथा व्यवहार का अध्ययन करते रहते है। आपके सूने घर की सूचना न जाने उन तक कैसे पहुंच जाती है कि ठीक उसी समय वे चोरी करते हैं जब आप घर से बाहर होते हैं। इस संबंध में एक अध्ययन बताता है कि जिस घर में सुरक्षा के लिए कुत्ता पाल रखा हो वहां चोर भी घुसने में कई बार सोचता है। अर्थात कुत्ते वाले घर चोरों की प्राथमिकता में नहीं आते। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। उसे उचित प्रशिक्षण देकर बहुत सी बातें सिखाई जा सकती है। काटने वाला कुत्ता खतरनाक होता है। अतः कुत्ता ऐसा हो जो पूर्ण अनुशासन में रहे तथा घर के सदस्यों की सुने। अनजान को देखकर उस पर झपटने वाला कुत्ता नहीं पालना चाहिए। अनजान या बाहरी व्यक्ति के लिए कुत्ते का भौंकना या गुर्राना ही उसके कदम रोकने के लिए पर्याप्त होता है। अतः पालतू कुत्तों को स्वयं प्रशिक्षण देना अनिवार्य है वरना वह मुसीबत खड़ी कर सकता है। कुत्ता बहुत ही कम खर्च वाला एक बढ़िया सुरक्षा कर्मचारी साबित होता है। वह आपसे केवल रोटी की अपेक्षा करता है। बदले में वह पूरी ईमानदारी से घर की सुरक्षा में जुटा रहता है। इसलिए हर घर में एक देशी कुत्ता जरूर पालना चाहिए जिससे कि आपके घर को चोर उच्चक्के सीधी तौर पर निशाना न बना सकें। यूं कहे तो उचित होगा कि घर का पालतू कुत्ता सुरक्षा का पहला कवच है।

एक जमाना था जब हम समृद्ध देश थे। समय बदला और हमारे देश की गिनती गरीब देशों में होने लगी। अब फिर हम उन्नतशील देशों की श्रेणी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। परंतु इस संदर्भ में आंतरिक सुरक्षा दांव पर लगी है। पूरे हिन्दुस्तान को 'रेप' की बीमारी हो गई है। हम पूरे विश्व में बदनाम हो गए हैं परंतु सुधारात्मक उपायों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। विकसित देशों का उदाहरण ले तो वहां हमारे देश जैसे रेप नहीं होते। वहां सहमति और सौदर्य का बाजार है। उस तरीके के बाजार और संबंधों को हमारे देश में मान्यता नहीं है। सेक्स को बांधे रखा गया है। वह घृणा की वस्तु है। कुछ अपवादों को छोड़कर दिगम्बर अवस्था में जीने की किसी को इजाजत नहीं है। ओशो ने इसी महात्म को समझाया परंतु उनकी बातों को उस समय दरकिनार कर दिया गया। आज वे सारी बातें प्रासंगिक है। ओशो ने एक बहुत ही सुंदर प्रयोग किया था मकान खरीदने के मामले में। उनके शिष्यों के आग्रह पर मुंबई में एक घर खरीदना तय हुआ। ओशो ने समझाया कि एक छोटे बच्चे को उसकी माता के साथ ले जाएं। यदि बालक रोया तो उस घर को न खरीदें। जहां बालक न रोये, हंसे और प्रसन्न रहें समझो वह घर बढ़िया है। यह हुई सुख समृद्धि की बात। हम बात कर रहे हैं घर में नारी सुरक्षा की। अक्सर पुरुष काम धंधे और नौकरी की वजह से दिन में बाहर रहते हैं। घर में रह जाती है महिलाएं। चाक चौबंद दरवाजे, बंद खिड़कियां और लैटरिन बाथरूम के प्रवेश द्वार तथा एक्जास्ट फैन तथा खिड़कियां आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरह से कहीं का भी लॉक सिस्टम यदि खराब होता है तो उसे तुरंत सुधार लेना चाहिए। आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। पश्चिम के देशों की तरह किसी भी अनजान व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रखना चाहिए। एकदम से दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। मैजिक आई या जाली वाले दरवाजे प्रयोग में लाने चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि अपनी तथा परिवार की सुरक्षा के लिए किचन के चाकू, छूरे प्रयोग पश्चात छिपाकर रखें। अपराधी घर के भीतर अपराध करने से नहीं चूकते। उन्हें मात देने के कुछ उपाय हमें करने ही चाहिए। हमे 24 घंटे सावधानी की जरूरत है। बिन बुलाए मेंटेनन्स करने वालों को अंदर आने नहीं देना चाहिए। घर का मुख्य दरवाजा तो हमेशा डबल डोरवाला होना चाहिए।

पिछले वर्षों में हमारे देश में कार, फ्रिज, महंगे टीवी और कीमती सजावट के सामान लेने का प्रचलन बढ़ा है। चोर आपकी इन चीजों पर ध्यान नहीं

देता। वह तो नगदी तथा गहने की तलाश में रहता है। आधुनिक समय में बैंकों का जाल सा बिछा है। घर के जेवर और नगदी बैंक के लॉकर में रखी जा सकती है। उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करके आप परिवार का भला करेंगे तथा आपकी कीमती चीजें सुरक्षित भी रहेगी। ज्यादा जोखिम लेना कभी भी महंगा पड़ सकता है। स्वयं एक खुफिया तंत्र को विकसित करना आवश्यक है। हमेशा अपने घर में आने–जाने वाले, संपर्क में आने वाले, गैस सिलिंडर वाले, कपड़े प्रेस करने वाले, दूध सप्लाई करने वाले, फेरी लगाने वाले, चंदा मांगने वाले, पुराने कपड़े खरीदने वाले, सड़कों पर खेल दिखाने वाले, रेहड़ी पटरी वाले, भिखारी, लाचार से दिखने वाले, रद्दी खरीदने वाले या छोटी–मोटी चीज बेचने वाले और सब्जी बेचने वाले आदि व्यक्तियों पर नजर रखनी चाहिए। किसी भी भेष में कोई आपकी दुर्गत कर जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए इनसे काम से काम ही रखना चाहिए। अपराध अधिकतर पैसों के लेन–देन पर होते है। अतः परिवार में पैसों का लेनदेन नहीं करना चाहिए। रिश्तेदारी में छोटी–मोटी रकम के लिए उधार देने की बजाय मदद के रूप में देनी चाहिए। पैसे लौटाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अनावश्यक रूप से नातेदारी में वैमन्स्य नहीं होगा। वरना उधार लेने वाला आप से मुंह चुराएगा और हो सकता है एक दिन घात भी कर दे। जहां तक हो सके अपने परिवार की दिनचर्या और कमजोरियां दूसरों को उजागर नहीं होने दें। घर के सभी लोगों को इसकी ताकिद देनी चाहिए वरना घर का भेदी लंका ढाए जैसी कहावत सच होते देर न लगेगी।

लोग लगातार बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं तो लाखों ग्रामीण और छोटे कस्बों की महिलाएं खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। समझ में नहीं आता कि मकान तो बना लिया परंतु शौचालय नहीं बनाया। महिलाओं पर अत्याचार होने में अधिकतर खुले में शौच को जाना पाया गया है। दरिंदे घात लगाकर बैठे रहते हैं। हालांकि दबंगों और बदमाशों द्वारा महिलाओं की अस्मिता से खेलना कोई नई बात नहीं है। बिजली न होने से घर में घुप्प अंधेरा भी अपराध को बढ़ावा देता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार का ध्यान इस बात पर होते हुए भी हम पूर्ण विद्युतीकरण तथा संपूर्ण रूप से प्रत्येक घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं कर पा रहे है। हालांकि बिजली की मांग प्रत्येक वर्ष बढ़ती चली जा रही है मगर न्यूनतम बिजली की भी आपूर्ति न होना खेद जनक है। ऐसे भी गांव कस्बे मिल जाएंगे जहां दिन–दिन भर बिजली नहीं आती। वहां सुरक्षा और मकान की मालकिन की सुरक्षा कैसे हो? हमें बिजली के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ानी होगी।

विश्व की बड़ी आबादी पीने के लिए पानी को तरसती है। उन्हें रोज़ पानी का जुगाड़ करना पड़ता है। इसलिए घर खरीदते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पानी की आपूर्ति के क्या प्रबंध हैं। बिन पानी सब सुन। पानी की व्यवस्था गृहिणी को करनी होती है। कहीं से भी पानी भर–भर कर लाना महिलाओं की जिम्मेदारी है ऐसा समझा जाता है। महिलाओं की सुरक्षा और सहुलियत को ध्यान में रख कर ही मकान खरीदना चाहिए। घर के प्रयोग के लिए दैनदिन तौर पर पानी की आपूर्ति मिल जाए यह जरूरी तौर पर सुनिश्चित करना चाहिए। इसके साथ यह भी विचार करना जरूरी है कि गरमी के दिनों में पानी आपूर्ति की स्थिति क्या है? इस संबंध में आस–पास के वातावरण का अध्ययन तथा पास पड़ोस से चर्चा कर वास्तविक स्थिति का पता लगाना जरूरी है। यथा संभव पानी संग्रहण (वाटर हार्वेस्टिंग) की संभावना वाले तथा हरित क्रांति की कल्पना से बने घर ही खरीदने चाहिए।

आस पड़ोस में निवास करने वाले रहिवाशियों से भी अनेक प्रकार की तकलीफें होने की संभावना रहती है। अतः घर की छत के ऊपर से जा रहे केबल वायर, घर के ऊपर से लिए गए बिजली कनेक्शन तथा पड़ोसी का बेतरतीब तरीके से उगा पेड़ भी झगड़े का कारण बन सकता है। पड़ोस के मकान की पानी की टंकी का ओवर फ्लो पानी आपकी छत पर गिरे और आपकी नींद खराब हो जाए ऐसी अव्यवस्था का भी बारीकी से अध्ययन करना जरूरी है। जहां असुविधा हो वहां तुरंत उसका समाधान निकालना जरूरी है। आपकी चुप्पी परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी प्रापर्टी में पानी का संकट जीवित रहने के लिए बाधा बन सकता है। भूमिगत जल का प्रयोग हानिकारक है जानते हुए भी गांवों और छोटे कस्बों में अत्यधिक प्रयोग में लाया जा रहा है। कम से कम उसे उबालकर और छान कर तो प्रयोग में लाया जा सकता है। आलस्य समस्या का समाधान नहीं है। जिंदा रहना है तो सुरक्षित पानी पीना जरूरी है। अधिकतर बीमारियां असुरक्षित पानी पीने से होती है यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। मीठा पानी केवल 3 प्रतिशत जल स्रोत्रों से मिलता है। हर जगह शुद्ध पानी मिले ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए पानी को शुद्ध कर

पीना परिवार के लिए राहत की बात हो सकती है। कम से कम छानना और उबालकर पीना जरूरी है।

एक घर की छत दूसरे घर से सटी होने से अपराधी के लिए आसानी होती है। इसलिए छत पर भी सुरक्षा के उपाय करना अनिवार्य है। मकान की मालकिन को केवल नाम की मालकिन न बनाकर उसके सौभाग्यनुसार उसे घर की स्वामीनी भी बनाना जरूरी है। उसे भी घर का मालिकाना स्वामित्व मिले। केवल मनोवैज्ञानिक सांत्वना देकर मकान की मालकिन कहना न्यायोचित नहीं है। मकान के टाइटल में नाम न होना, उचित प्रकार का वसियतनामा ना होना मकान मालकिन को दुख पहुंचाता है।

किसी अनहोनी की स्थिति में महिलाओं को हजारों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी–कभी उसका अपना परिवार भी साथ नहीं देता। ऐसे में अपने बच्चों की और स्वयं की सुरक्षा करना उसके लिए भारी पड़ जाता है। भविष्य में जनगणना करते वक्त इस प्रकार के डाटा बेस बनाने की आवश्यकता है कि घर–घर में महिलाओं की स्थिति क्या है? इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ होगा वहीं दूसरी ओर उनके उत्थान के लिए सरकार को योजना बनाने में आसानी होगी। इसके अलावा भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कई चौकाने वाले तथ्य सामने आयेंगे जिस पर विचार करना आवश्यक होगा। इससे गरीब महिलाओं को फायदा होगा।

विश्व भर में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता में रोटी और कपड़े के बाद मकान को ही माना गया है। उचित आवास पाना मानव का अधिकार है। सम्मानित जीवन जीना भी अधिकार है। प्रत्येक सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध होती है। मगर कथनी और करनी में अंतर होता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मकान की कमी को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि देश के लाखों करोड़ों नागरिक असुरक्षित आवास में निवास कर रहे हैं।

मकान के अंदर ही अनेक असुरक्षात्मक चीजों का रखरखाव करना जरूरी है। जैसे घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो बिजली के स्विच और प्लग उनके पहुंच से दूर रखें, घर के बाहर का दरवाजा या गेट बंद करके रखें बेहतर है ताला लगा दे। रसोई में प्रयोग लाने वाले कुकर और अन्य उपकरणों को रोज जांचना जरूरी है ताकि जानलेवा परिस्थिति से बचाव हो सके। चुंकि घर की मालकिन अधिक समय तक रसोई में रहती है इसलिए यह सावधानी जरूरी है। मेले, बाजार, मॉल आदि में छोटे बच्चों को न ले जाए तो अच्छा और यदि ले जाना पड़े तो सतत निगरानी में रखना चाहिए। इस मामले में लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। पुरुष यदि साथ है तो यह जिम्मेदारी उन्हें स्वयं उठानी चाहिए। गांव में एक कहावत है ''नारी, भांड, भैसा और बिगड़ गया तो कैसा''। लापरवाही की मार बहुत तगड़ी होती है।

असुविधाजनक फर्नीचर कदापि नहीं खरीदे जाने चाहिए। यदि घर में है तो इन्हें हटा देना चाहिए। जरूरत और आवश्यकता की वस्तुएं ही घर में हो। कबाड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। समय–समय पर फालतू अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान करते रहना चाहिए। घर में बहुत अधिक कबाड़ इकट्ठा करने से खुली जगह कम हो जाती है तथा घर के सदस्यों तथा आंगतुकों को असुविधा होती है। आजकल तो घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रचलन है। यह तब बहुत जरूरी है जब आप अपना बच्चा अकेले नौकरानी के भरोसे छोड़ कर जाते हैं। घर के आस–पास यदि लोगों की अनावश्यक चहल कदमी हो तो या फिर सुनसान अकेला कोने का मकान हो तब भी कैमरे लगाना जरूरी है। इससे चोर दूर रहेंगे क्योंकि उन्हें भी पकड़े जाने का डर तो होता ही है। मकान की सुरक्षा की जितनी चिंता करनी है उससे ज्यादा चिंता उसमें निवास करने वाले सदस्यों की करनी चाहिए। यही है घर परिवार का महात्मय।

मर्यादा

पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म। माता–पिता/पालकों के प्रति जिम्मेदारी एवं कर्तव्य का धर्म। मान मर्यादा। कुछ भी मर्यादा से हटकर नहीं होना चाहिए। आज ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएगें जहां पुत्र, पुत्रियों द्वारा माता–पिता का अपमान, उनसे मारपीट, अपशब्दों का प्रयोग नित होता है। माता–पिता संतान के प्रति प्रेम से भरे होते हैं मगर यह कैसा प्रतिफल? कहां ले जाएगा ज़माना अमर्यादित संतानों को? ऐसी संताने लाख प्रगति कर ले मगर मानसिक रूप से विकसित और संतुष्ट नहीं हो पाएगी। उन्हें अंत में पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। शिक्षा विवेकशील बनाती है। बच्चों में यह कैसा विवेक कि माता–पिता को तुच्छ समझें? यह जान लेना बहुत जरूरी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। उनकी संताने भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगीं। आधुनिक समय में कुछ औलादें ऐसी भी होती है जो अपनी मनमानी करने के लिए माता–पिता से इतनी कटुता कर लेती है कि वे उन्हें रोक–टोक न कर सकें। मां–बाप का खाकर उनके साथ सीनाजोरी करना अपना हक समझते हैं। बेटों के साथ–साथ बेटियां भी अब इस कुकृत्य में शामिल हो गई हैं। घोर कलियुग का असर दिख रहा है। कहते है कि मां–बाप का श्राप बच्चों को नहीं लगता। परंतु यह सत्य नहीं है। दुखी अंतर–आत्मा की आवाज गगन को भी भेद जाती है। मर्मांतक आहत मन से निकली बददुआ कभी बेकार नहीं जाती। यह एटम बम से भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए अपने आप को हिरोशिमा में मत झोको। बुजुर्गो का सम्मान करो। वे आर्शिवाद देगें। तन, मन व धन से आपकी सहायता करेगे।

'मां ज्ञान सुमन'

चमकता सूरज दमकता घर

अविशांत सिंह
सहायक प्रबंधक

आमतौर पर जनता परेशान दिखती है कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। बात सही है पिछले दस सालों में वहां बिजली की दरें तीन गुनी हो चुकी हैं। 2014–15 में जहां हर यूनिट रेट औसतन 6 रुपये है। ऐसे में 5 हॉर्स पावर का पंप एक घंटा भी चले तो 25 रुपये का खर्च पक्का। 30–35 वॉट की एक सीएफएल 24 घंटे जल कर 6 रुपये खर्च करवा ही देगी और फ्रिज तो रात दिन चलता है। वह भी 24 घंटे में 24 रुपये तो खा ही जाएगा और अगर ऊपर बर्फ जमी हो तो इससे भी ज्यादा की जरूरत होगी। इस गुणा भाग का रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला लेकिन हम इस नतीजे पर जरूर पहुंच गए कि सोलर एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल करके ही हम बिजली के बिल पर नकेल कस सकेंगे। हम इन ऑप्शंस को आजमा सकते हैं।

गेट लाइट्स : सबसे पहले जरूरी है गेट की दोनों ओर लगी लाइटस। आप छोटे घर के गेट पर भी इन्हें लगा सकते हैं। इस जगह पर तेज रोशनी की जरूरत नहीं होती है, बस एक सजावट–दिखावट ही है। सोलर लाइट्स वाली यह गेट लाइट्स, दिन भर सूर्य देवता से एनर्जी ले कर बैटरी में स्टोर करती है। यह सूरज ढलते ही जल जाती हैं और सूरज उगते ही बुझ जाती है। दिन भर सूरज अपनी कृपा ना भी करे तब भी पूरी तरह चार्ज होने के लिए चार घंटे की रोशनी काफी है।

कीमत : ईबे, फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन शापिंग साइट्स पर 2 वॉट से 20 वॉट की क्षमता वाली यह लाइटस प्लास्टिक/एल्युमीनियम/कास्ट आयरन/स्टेनलेस स्टील से बनी अलग–अलग आकारों में लाइट्स 500 से 6000 रुपये में मिल जाएंगे।

साइंस फिक्शन जैसी सोलर लाइट्स : कई सालों पहले हॉलिवुड की किसी साइंस फिक्शन मूवी में देखा गया कि एक इंसान दौड़ता हुआ किसी सुरंग से गुजरता है, जहां–जहां उस इंसान के कदम पड़ते हैं, उसके आगे की चंद लाइट्स जलती जाती हैं और जैसे जैसे वह इंसान लाइट्स को क्रॉस करता जाता है वैसे–वैसे उसके पीछे की लाइट्स बंद होती जाती है। भले ही उस सुरंग में सैकड़ों लाइट्स रही होगीं लेकिन एक बार में उस इंसान के आगे पीछे की दो चार लाइट्स ही जलती थीं। सूरज देवता की मेहरबानी से अब आंगन–चारदीवारी या लॉबी के लिए ऐसे अनोखे सोलर चार्जिंग वाले साधन आ गए हैं, जो अंधेरा होने पर खुद–ब–खुद रोशन हो जाते हैं और सुबह की पहली किरण पड़ने तक रोशनी बिखेरते है। इस तरह की लाइट्स में आप ऐसा ऑप्शन भी चुन सकते हैं कि वे तभी जलें, जब उसके आसपास कोई इंसान आ खड़ा हो और खुद ही एकाध मिनट में बंद हो जाएंगे। इस तरह से बेवजह बिजली की बर्बादी से बचा जा सकता है।

कीमत : इन लाइट्स को चारदीवारी के अंदरूनी हिस्से में एक कतार में लगा लें, छत पर नीचे आती रोशनी के लिए लगा लें या फिर सजावटी तौर पर कहीं और भी लगा सकते हैं। अलग–अलग तरह के मटीरियल, आकार, रोशनी की तेजी के हिसाब से इनकी कीमत 500 से 2000 रुपये की बीच है। इन्हें भी आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स से आसानी से खरीद सकते हैं। कुछ बरस पहले मुझे अपने घर की सीएफएल वाली गेट लाइट्स का ढांचा लगवाने में तकरीबन 1500 रुपये खर्च करने पड़े थे और इसकी वायरिंग ने दीवारों की शो खराब कर दिया था, वह अलग। इतना ही नहीं इन्हें सुबह–शाम ऑन–ऑफ करने का टेंशन अलग। इस लिहाज से यह ऑप्शन काफी बेफिक्री देने वाला है।

लाइट्स और पंखे : घर के भीतर कम से कम बिजली का खर्च करने पर भी लाइटस, पंखे और मोबाइल चार्जर बिजली की खपत तो करते ही हैं। लाइट्स के लिए तो बाजार में बहुत से ऑप्शन मौजूद है। टेबल लैंप से लेकर छत में फिट होने वाली, कई तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। नाइट बल्ब हो या चकाचौंध कर देने वाली रोशनी, सभी तरह की लाइटस बाजार में उपलब्ध है। छत में लगने वाले पंखे हों, टेबल फैन या बड़े पेडस्टल पंखे, सभी को सोलर पावर से बड़े आराम से चलाया जा सकता है। एक सोलर सीलिंग फैन वैसे ही काम करता है, जैसे कि आम फैन करता है। सोलर पैनल सहित कीमत 100 से 10,000 रुपये तक। 3 वाट, 60 एलईडी वाली 2 फुट वाली ट्यूबलाइट, बटैरी और सोलर पैनल के सेटअप सहित

तकरीबन 2000 रुपये मे आ जाती है। साइज और पावर के हिसाब से सोलर पैनल सहित यह पंखे 2000 से 5000 रुपये के मिल जाते हैं।

सोलर मोबाइल चार्जर : आजकल कुछ हो न हो, मोबाइल में तो पावर होनी ही चाहिए। ऐसे में सोलर मोबाइल चार्जर वक्त की जरूरत है। सूरज की रोशनी से चलने वाले मोबाइल चार्जर भी कई तरह के आते हैं। 800 रुपये वाला सोलर मोबाइल चार्जर जरूरत पड़ने पर यूएसबी से भी चलता है।

कीमत और इंस्टॉलेशन : 860 रुपये वाला पोर्टेबल मोबाइल चार्जर बरसात के दिनों में घर की बिजली से भी पावर ले सकता है। 2000 रुपये वाले चार्जर में टॉर्च और स्पीकर सहित एफएम रेडियो भी है। मूल रूप से तो इन सभी उपकरणों में बैटरी ही लगी होती है, जो सूरज की रोशनी से चार्ज होती है लेकिन अब ऐसे भी उपकरण आ गए हैं, जिनसे घर में लगे सामान्य बिजली के पंखे और लाइट्स भी चलाई जा सकती हैं।

सोलर इनवर्टर : इन्वर्टर का ख्याल आते ही हमेशा घर जगमग दिखाई देता है। लेकिन इसके लिए भी पावर सप्लाई की जरूरत होती है और इसकी चार्जिंग में भी बिजली की खपत होती है। सोलर इनवर्टर दिन भर सूरज की रोशनी से बैटरी को चार्ज करता है। रात में जरूरत पड़ने पर अपना दिमाग लगा कर घर की बिजली का इस्तेमाल करता है। वैसे ज्यादातर इसे सोलर एनर्जी ही भाती है। बिजली तो बस इमरजेंसी के लिए ही है। इस तरह से हम बिजली की भरपूर सप्लाई पाते हैं और वह भी कम से कम एनर्जी की खपत करके। 850 वीए वाला एक्साईड का यह सोलर इन्वर्टर/यूपीएस 9,900 रुपये का है। ऐसा ही काम 8,200 रुपये में मिलने वाला सु–काम का हाइब्रिड इन्वर्टर/यूपीएस करता है।

चलेगा एसी भी : क्या एयरकंडिशनर सोलर एनर्जी से भी चल सकते हैं? हां, इस तरह एसी बाजार में मौजूद हैं लेकिन उनकी कीमत नॉर्मल एसी से 4 गुना तक ज्यादा है। सोलर एनर्जी की सीमाओं के बारे में बात करें तो अगर इससे पेट्रोल पंप चल सकते हैं तो फिर एसी क्या चीज है। जहां लगातार बिजली की सप्लाई सुनिश्चित नहीं की जा सकती वहां कई तेल कंपनियां के ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो सोलर एनर्जी के दम पर चल रहे हैं।

सोलर एनर्जी है सुपरहिट : सोलर एनर्जी पर आधारित प्रॉडक्ट्स सूरज के होने पर बिजली पैदा करते हैं। कड़ी धूप में ये तेजी से काम करते हैं, जबकि कम धूप होने पर इनकी कार्य क्षमता कुछ कम हो जाती है। बारिश के दिनों में ये काम नहीं करते, लेकिन उस स्थिति से निपटने के लिए ज्यादातर प्रॉडक्ट्स में ग्रिड से बिजली प्राप्त करने का विकल्प भी होता है यानी इन्हें बिजली से चलाया जा सकता है। इनका इस्तेमाल करने से आप अपने बिजली को कम करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं।

सब्सिडी का उठाएं फायदा : भारत सरकार के मिनीस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा सोलर उपकरणों की कीमत पर 40 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है और उसके बाद हर राज्य सरकार अपनी अलग सब्सिडी भी देती है। लेकिन यह सब्सिडी भी उन्ही को दी जाती है जो इस मंत्रालय द्वारा अधिकृत मैन्युफेक्चरर्स के बनाए उपकरण खरीदते हैं। सेंट्रल गवर्मेंट की सब्सिडी के लिए मैन्युफेक्चरर्स की सूची goo.gl/rcMNZ4 पर देखी जा सकती है। इसके अलावा राज्यों के अनुसार बिक्री के लिए अधिकृत दुकानदारों की लिस्ट goo.gl/SzQ223 पर मिल सकती है।

ज्ञान

आशीष जैन
उप प्रबंधक

हममें से अधिकांश लोग विपरीत ज्ञानी है। विपरीत ज्ञान का अर्थ है – गलत को सही और सही को गलत समझ लेना। सत्य को असत्स और असत्य को सत्य समझ लेना। केवल समझ ही नहीं लेना बल्कि अपनी भ्रांत समझ पर डटे रहना, अड़ जाना और उस पर दृढ़ हो जाना। यही विपरीत ज्ञान है। उदाहरण के लिए अपनी आंतरिक स्थिति से हम पूरी तरह संतुष्ट जान पड़ते हैं और वाह्य स्थिति से असंतुष्ट। हमें स्वयं का कोई पता नहीं। हममें से अनेक लोगों का भीतरी जीवन घृणा, क्रोध, झूठ, मूढ़ता, बेईमानी, चालाकी और अन्य नकारात्मक गुणों से भरा हुआ है, पर उससे हम पूरी तरह संतुष्ट होते हैं। इसीलिए उसमें सुधार लाने का हमें ख्याल भी नहीं आता है।

अपनी व्यवस्था से, जिस पद पर हम आसीन है, उससे हम तनिक भी संतुष्ट नहीं। इसलिए उसे सुधारने के लिए हम सदा प्रयत्नरत रहते हैं वह विपरीत ज्ञान है। सही ज्ञान तो यह होता कि अपनी वाह्य स्थिति से हम संतुष्ट होते और शेष सारा समय, सारी ऊर्जा अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारने में, अपने अज्ञान और असहजता को दूर करने में लगाते। अपनी दशा को बदलने का कम और 'दिशा' को बदलने का अधिक प्रयास करते। प्रायः हम अपनी तारीफ करने वालों से प्रसन्न होते हैं और आलोचना करने वालों से नाराज। यदि कोई हमारी निंदा करे तब तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। यही कारण है कि चापलूसी हमें भाती है। अव्वल तो सौ में से नब्बे मौकों पर तारीफ झूठ ही होती है, पर यदि वह सत्य भी हो तो भी उससे कोई भी लाभ नहीं। जबकि निंदा यदि झूठ हो तो उससे कोई भी हानि नहीं। यदि वह तनिक भी सच हों, तब तो उससे हमें लाभ ही लाभ है। अपनी कमी, अपनी भूल हमें पता चल जाएंगी और हम उसे सुधार सकेंगे। प्रशंसा से हमें कभी कोई लाभ नहीं होता और निंदा या आलोचना से कभी कोई हानि नहीं होती।

(संकलित)

स्मार्ट सिटी

सौरभ शेखर झा
पत्रकार एवं अनुवादक

"भारत गांवो का देश है, यह कृषि प्रधान देश है, भारत का का दिल गांवों में बसता है" ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जो हम और आप अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमें भी यही लगने लगा कि सही में भारत गांवों में ही बसता है। एक हद तक यह सही भी है लेकिन अब समय बदल चुका है। आज देश केवल खेती या पशुपालन पर नहीं चल रहा बल्कि औद्योगिकीरण रूपी इंजन पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ रहा है। इतने के बाद भी आज भी हमारी कुल आबादी का महज 31 फीसदी हिस्सा ही शहरों में निवास करता है, लेकिन भारत की कुल जीडीपी का तकरीबन 65 फीसदी हिस्सा इन्हीं से आता है। माना जा रहा है कि अगले 15 वर्षों में शहरों से हमारी कुल जीडीपी की तकरीबन 75 फीसदी आय अर्जित होगी। इससे पता चलता है कि भविष्य के हमारे आर्थिक विकास के लिए शहरों का हितना अधिक महत्व है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य बनाया है। निःसंदेह अभी यह एक शुरूआत है, लेकिन बेहतर प्रयासों से इस महत्वकांक्षी कार्य को पूरा किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी का वास्तिविक आशय क्या है, इस पर विचार करना जरूरी है। स्मार्ट शहर की कोई तय परिभाषा नहीं है। यह एक ऐसा शब्द है, जिसका व्यापक अर्थ है। पर्यावरण अनुकूल, आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित, पूरी तरह योजना बद्ध तरीके से बसाया गया ऐसा शहर, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए क्षमता में बढ़ोतरी की गुंजाइश हो। जहां कुछ लोग मजबूत सूचना और संचार तकनीक को इससे जोड़ रहे हैं तो कुछ लोग इसके टिकाऊ होने की पहलू पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से कुशलता को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं तो कुछ अन्य समावेशी विकास की बात करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग हर समय सेवाओं की उपलब्धता पर जोर दे रहे हैं तो कुछ लोग गुणवत्ता पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कौन–कौन सी चीजें किसी शहर को स्मार्ट बनाती है। अगर सरकार की बात करें तो मंत्रालय के अनुसार इन शहरों में 24 घंटे बिजली और पानी मुहैया कराने के अलावा ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से यहां रहने वाले पूरे शहर में कहीं भी 30 से 45 मिनट के भीतर पहुंच सकें। इस तरह के इंतजाम भी किए जाएंगे, ताकि प्रत्येक घर से सार्वजनिक परिवहन की पहुंच अधिक से अधिक 800 मीटर ही हो। हर शहर में उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल और उच्च शिक्षा का भी केंद होगा। सरकार के अनुसार स्मार्ट सिटी में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। इसके लिए ऊर्जा, जल, कूड़ा प्रबंधन, सीवरेज, मल्टीमीमॉडल ट्रांसपोर्ट, साइबर कनेक्शन, रेल, हवाई और सड़क पहुंच, आवासीय व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनारंजन, सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही आदि के बेहतर इंतजाम होने चाहिए।

स्मार्ट सिटी की अवधारणा का स्पष्ट करने के लिए यहां हम इसके कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि निम्नलिखित हैं:

1. **सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासन से सुरक्षाः** आम जनता की बातचीत में रक्षा और सुरक्षा का पहलू भी खास होता है। खासतौर पर इन दिनों महिला सुरक्षा, सड़क पर झगड़ों, लूट और बुजुर्गों तथा कम उम्र के लोगों पर हमले आदि की घटनाएं बहुत तेज हो गई हैं। साफ जाहिर है कि नेटवर्क और वीडियो कैमरा, पुलिस की सख्त निगरानी, कहीं पर प्रवेश के लिए पहचान जरूरी करना और आपातकालीन परिस्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया देना आदि अपेक्षित हैं। आपने अपना आधार कार्ड तो बनवाया ही होगा। उस दौरान आपकी अंगुलियों और आंखों की पुतलियों का बायोमेट्रिक प्रिंट लिया गया होगा। बायोमेट्रिक प्रिंट से किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। स्मार्ट सिटीज में सुरक्षा के लिए इसी प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट शहरों में बिजली, गैस, पानी, यातायात और अन्य उपभोक्ता आंकड़ों को सेंसरों के माध्यम से एकत्रित किया जाता है और निरंतर उसकी निगरानी रखी जाती है। ताकि सभी चीजों को सही तरीके से प्रबंधित किया जा सके। सभी आंकड़ों को कंप्यूटर में दर्ज करते हुए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि शहर में इन सुविधाओं को मुहैया करानेवाले प्राधिकरणों को संबंधित रीयलःटाइम सूचना मिलती है और उन्हें सही तरीके से संचालित करने में यानी चीजों की मांग और आपूर्ति के बीच का संतुलन बनाए रखने में आसानी होती है। जैसे बिजली की मांग की रीयल टाइम सूचना से ग्रिड से बिजली को जरूरी क्षेत्रों में भेजा सकता है। इसी प्रकार सार्वजनिक परिवहन के सिग्नलों को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासन को लागू करना यकीनन एक अहम काम है और इसे प्रायः स्मार्ट सरकार कहकर पुकारा जाता है। इसके तहत प्रौद्योगिकी का एकीकृत प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है जिस तक विभिन्न माध्यमों से आसानी से पहुंचा जा सके। यह पारदर्शिता और काम की गति को बढ़ाने, भागीदारी सुनिश्चित करने और समस्या निवारण के लिहाज से काफी अहम है। ई–प्रशासन के तहत शहर के निवासियों को कई प्रकार के मोबाइल आधारित एप दिए जाते हैं ताकि वे प्रशासन को तुरंत किसी बाधा के संपर्क कर सके।
2. **परिवहन एवं यातायात प्रबंधन प्रणालीः** ऐसे शहरों में यातायात इतना सुचारू होना चाहिए कि 30 से 45 मिनट में शहर भर में कहीं भी पहुंचा जा सके। सभी सड़कों के साथ साइकिल के लिए अलग से ट्रेक होना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन के लिए शहर में कहीं भी दस मिनट से ज्यादा पैदल न चलना पड़े। अगर हमारे यहां बसने वाले स्मार्ट सिटी की बात करें तो कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी। कहा जा रहा है कि इंतजाम कुछ इस तरह का होगा कि आधे घंटे से 45 मिनट में कहीं भी पहुंचा जा सके। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि हर घर से 800 मीटर के दायरे में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सके। मेट्रो और मास रैपिड सिस्टम जैसे यातायात के साधनों पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा फुटपाथ की चौड़ाई भी ज्यादा होगी।

अर्थात हर तरह के यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। स्मार्ट शहरों में यातायात का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। इसके लिए जीपीएस या इससे भी आधुनिक तकनीक आधारित प्रणालियों की मदद ली जा सकती है ताकि यातायात सुचारु तरीके से संचालित हो और दुर्घटना की संभावना कम से कम किया जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार पूरे शहर में एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू किया जा सकता है। वहीं मल्टीमॉडल यातायात प्रणाली भी इसका विकल्प हो सकता है। इन प्रणालियों की मदद से पूरे शहर के यातायात पर निगरानी रखी जा सकती है और किसी भी समय वाहन को रोका जा सकता है। किसी भी वाहन के बारे में तत्काल यह जाना जा सकता है कि उसकी रीयल टाइम पोजिशन क्या है, यानि किसी खास समय में वह कहां है और किन–किन इलाकों से गुजरा है। इसके लिए जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे वाहन चारी पर लगाम लगाया जा सकता है। जीपीएस सिस्टम के तहत तत्काल यह पता लग जाएगा कि कोई खास वाहन कहां है, इतना ही नहीं, ऐसे सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं, जिनके इस्तेमाल से उस वाहन का संचालन भी दूर से ही बंद किया जा सकता है। अनावश्यक वाहनों को शहर में आने से प्रबंधित भी किया जा सकता है।

3. **जलापूर्ति प्रणाली और कचरा प्रबंधनः** ऊर्जा, जल, ठोस और बहने योग्य कचरा, अक्सर आईटी के बाद इसी क्षेत्र के बारे में चर्चा होती है। स्मार्ट शहर की कुछ जरूरी पहचानों में स्मार्ट मीटर, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, बहने वाले कचरे का पुनर्चक्रण, ठोस कचरे का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण आदि भी

शामिल हैं। स्मार्ट शहर में सातों दिन 24 घंटे पानी सप्लाई होनी चाहिए। सभी घरों में पानी की सप्लाई के कनेक्शन हो। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पानी मिले। पानी का बिल 100 प्रतिशत वसूला गया हो। हर पानी के कनेक्शन पर मीटर लगा हो। वहीं कचरा प्रबंधन में प्रत्येक घर पर डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए। ठोस कचरा का सौ फीसदी कलेक्शन और इसका रीसाइकिलिंग होनी चाहिए।

4. **सार्थक पीपीपीः** निजी–सार्वजनिक भागीदारी का रचनात्मक इस्तेमाल स्मार्ट सिटी की अवधारणा में अहम स्थान रखता है। पीपीपी का इस्तेमाल न केवल अत्यधिक वांछित पूंजी के लिए किया जा सकता है बल्कि विभिन्न सुविधाओं की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित सुनिश्चित करने के लिए भी इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। पीपीपी की बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवा से लेकर स्ट्रीट लाइट लगाने तक पीपीपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में जहां भी सेवा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क लगाने के अवसरों के बीच सीधा संबंध हो वहां पीपीपी का प्रयोग किया जाना चाहिए।

5. **स्मार्ट बिजली व्यवस्था :** स्मार्ट शहर में हर घर में बिजली का कनेक्शन होने चाहिए। सातों दिन 24 घंटे बिजली सप्लाई होनी चाहिए और बिजली बिलों की सौ फीसदी वसूली होनी चाहिए। इन शहरों में एलईडी उत्पादों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा सकता है क्योंकि ये उत्पाद घरों और स्ट्रीट लाइट के लिए टिकाऊ व ऊर्जा की कम खपत करनेवाल हैं। एलईडी उत्पाद स्मार्ट शहरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सटीक उत्पाद हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्मार्ट शहरों को स्मार्ट तरीके से जोड़ा जाएगा। ये शहर आंकड़ों के एकीकरण के गवाह बनेंगे और पारंपरिक लाइटिंग सिस्टम के जरिए ऐसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में यदि स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे तो निश्चित रूप से एलईडी लाइटिंग की इसमें अहम भूमिका होगी। ऊर्जा बचाने के लिए भी यह तकनीक लाजवाब होगी। आप देखते होंगे कि अक्सर स्थानों पर दिन में भी स्ट्रीट लाइट जलती रहती है। उस लाइट को बंद करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने या किसी खराबी की वजह से ऐसा नहीं होता है। विशेषज्ञों के अनुसार स्मार्ट सिटी में स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए स्विच का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके लिए खास सॉफ्टवेयर लगाए जाएंगे जो अंधेरा होते ही स्ट्रीट लाइट्स को ऑन कर देंगे और सवेरे उसे ऑफ कर देंगे।

6. **मैन पावर मैनेजमेंटः** स्मार्ट शहरों में 'श्रमशक्ति प्रबंधन' की अहम भूमिका हो सकती है, श्रमशक्ति प्रबंधन का मतलब उस तकनीक से है जिसके तहत किसी खास शहर में रहने वाले सभी लोगों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा और शहर से बाहर जाने या फिर वापस शहर में आने की दशा में संबंधित तमाम सूचना दर्ज की जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि शहर में अवांछित या असामाजिक तत्वों की घुसपैठ को रोका जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति को उस शहर में आने की मंजूरी नहीं है तो उसे शहर की सीमा पर ही रोक लिया जाएगा और उसे अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आवासीय परिसरों में भी इसी तरह के इंतजाम किए जाएंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति का अनाधिकृत प्रवेश रोका जा सके। इसके लिए भी बायोमेट्रिक एक अच्छा साधन साबित होगा।

7. **घरों की सुरक्षाः** स्मार्ट सिटी में घरों यानि आवास की सुरक्षा बेहद अहम है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के शहर में बहुमंजिला मकान बनाए जाएंगे। इनमें आने जाने के लिए लिफ्ट होंगे। लिफ्ट से कोई व्यक्ति केवल अपने आवास वाले मंजिल पर ही उतढ़ या चढ़ सकता है। यदि वह किसी अन्य मंजिल पर चढ़ना या उतरना चाहेगा तो इसके लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी। सभी लिफ्ट में व्यक्तियों को पहचानने की तकनीक लगी होगी और उसमें यह भी दर्ज होगा कि किसी व्यक्ति को किस मंजिल तक आने–जाने की मंजूरी है।

8. **जरूरी सेवाओं के ग्रिडः** बिजली से लेकर पानी, स्वास्थ्य सेपाओं और अग्निशमन के लिए ग्रिड का निर्माण किया जा सकता है। इससे इस बात की जानकारी आसानी से मिलेगी कि किस इलाके में इनमें से किस चीज की कमी है यानि आपूर्ति से उसकी मांग ज्यादा हो गई है और किस इलाके में आपूर्ति ज्यादा है और मांग फिलहाल कम है। ऐसे में ज्यादा मांग वाले इलाके में तत्काल आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है। साथ ही, इससे इनकी निगरानी में भी मदद मिलेगा।
9. **फायरप्रूफ अलार्म सिस्टमः** विशेषज्ञों के अनुसार स्मार्ट सिटी में सभी भवनों में फायरप्रूफ अलार्म सिस्टम लगाये जा सकते हैं। इस अलार्म सिस्टम को फायर ब्रिगेड के नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है, ताकि आग लगने की दशा में तुरंत फायर ब्रिगेड की उसकी जानकारी मिले और यह भी कि किस स्थान पर आग लगी है। इसके लिए सभी भवनों को फायर ब्रिगेउ द्वारा निर्मित ग्रिड से जोड़ा जा सकता है। इससे उस जगह को खोजने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी और तत्काल आग पर काबू पाया जा सकेगा।
10. **सीसीटीवी कैमरेः** पूरे शहर को सीसीटीवी कैमरे के दायरे में रखा जा सकता है और यह मुमकिन भी हो सकता है। सभी भवनों, चौराहों, सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक परिवहन के साधनों में इसका इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक स्थान को निगरानी के दायरे में रखा जा सकता है।
11. **पर्याप्त सामाजिक पूंजीः** स्मार्ट सिटी को समुचित सामाजिक बुनियादी ढांचों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक स्थान, खेल और अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए मैदान, खुदरा और मनोरंजन से जुड़े स्थान आदि भी शामिल हैं। हर घर में टेलीफोन के साथ मोबा इल का कनेक्शन होना चाहिए। पूरे शहर में वाईफाई की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इंटरनेट की स्पीड सौ एमबीपीएस होनी चाहिए। हर रेजिडेंट के पास टेलीमेडिसन की सौ फीसदी व्यवस्था होनी चाहिए। 30 मिनट में इमरजेंसी की सेवा मिलनी चाहिए। 15 रेजीडेंस पर एक डिसपेंसरी होनी चाहिए। पाचं रेजिडेंट पर एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। इस लाख जनसंख्या पर एक मेंटली चैलेंज स्कूल होना चाहिए। इस लाख की जनसंख्या पर एक विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा व प्रोफेशनल कॉलेज होन चाहिए। जाहिर है इस शहर को एक दिमाग, हाथ और पैर के अलावा एक दिल भी चाहिए जो रोजाना खुशी से धड़कना चाहिए।
12. **हरियालीः** कार्बन उत्सर्जन को एकदम सीमित करना और समूचे शहर को पर्यावरण अनुकूल बनाना। पार्कों का निर्माण और समुचित खुला स्थान सुनिश्चित करना, प्रदूषण से बचाव, नवीकरणीय वस्तुओं का इस्तेमाल, उनका संरक्षण एवं पुनर्चक्रण आदि भी अहम है। इसीलिए हरियाली के साथ–साथी सीवरेज सिस्टम पर भी ध्यान देना होगा। हरघर में शौचालय होना चाहिए। सभी विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय होना चाहिए और हर घर पर वेस्ट वाटर का कनेक्शन होना चाहिए।

इन सभी चीजों को जो शहर पूरा करेगा वही सही अर्थों में स्मार्ट शहर कहलाएगा। हालांकि स्मार्ट शहर की कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं होने के कारण हमें इसे अपने हिसाब से बेहतर तरीके से लागू करना होगा। हमें यह भी याद रखना होगा कि सरकार द्वारा केवल इसके निर्माण और व्यवस्था से कुछ नहीं

होगा। क्योंकि जब तक उसमें रहने वाले लोग खुद में अपने शहर को स्मार्ट रखने का नजरिया पैदा नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार की कोई भी कल्पना ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। इसलिए जरूरी है कि अपने स्मार्ट शहर के लिए हम अपने सोच को भी स्मार्ट बनाएं।

स्मार्ट शहर योजना के लिए एक उदाहरण है ऑरविले

पुदुचेरी से करीब आठ किलोमीटर उत्तर में बसा ऑरविले सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट शहरी योजना के लिए नजीर साबित हो सकता है। ऑरविले में ऐसी कई खूबियां हैं, जिनसे सीख लेकर विश्वस्तरीय शहर बसाए जा सकते हैं। सबसे पहली सीख है अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल। शहरों में 24 घंटे बिजली एक समस्या है। लेकिन, ऑरविले बायोगैस, सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि अतिरिक्त बिजली तमिलनाडु सरकार को बेचने की तैयारी कर रहा है। यहां रिहायशी इकाइयों पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्रों के अलावा पवन ऊर्जा चालित 40 पंपसेट तथा सौर ऊर्जा चालित 200 पंपसेट भी हैं। साथ ही 75 सोलर कुकर और 25 बायोगैस प्लाटं हैं। दूसरी सीख भूमि अधिग्रहण के संबंध में ली जा सकती है। देशभर में जहां जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किए हैं, वहीं ऑरविले में जमीन लेने का तरीका बिल्कुल भिन्न है। ऑरविले कार्य समिति के पदाधिकारी एरिक का कहना है कि ऑरविले अपने विस्तार के लिए यहां के गांवों के किसानों से जमीन खरीदता नहीं, बल्कि उनसे जमीन के बदले जमीन लेता हे। स्मार्ट शहर बसाने की तीसरी सीख यहां जल संचयन और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था से ली जा सकती है। इस्तेमाल किए गए जल को पूरी तरह पुनःउपयोग में लाया जाता है। रोजगार सृजन की सीख भी ऑरविले से ली जा सकती हे। यहां करीब 170 छोटी–बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें हस्त शिल्प, ग्राफिक डिजायन और प्रिटिंग, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, कपड़े व फैशन, कंप्यूटर सेवाएं, भवन निर्माण और आर्किटेक्ट का काम होता है। ऑरविले की पदा्धिकारी फेबियन न कहा कि यहां करीब 7000 लोगों को रोजगार मिला है। ऑरविले ने सुशासन की एक नई शैली गढ़ी है, जिसमें इसके निवासियों की प्रत्यक्ष भागीदारी है। साथ ही कुछ नया करने के लिए यहां एक वैज्ञानिक शोध केन्द्र भी है, जहां लगातार अनुसंधान होता रहता है। इसके अलावा इसका अपना टाउन प्लानिंग विभाग है, जो शहर की रूपरेखा तैयार करता है।

वैश्वीकरण और विदेशी भाषा

एस.के. पाढ़ी
सहायक महाप्रबंधक

एक जमाना था जब दो मुल्कों की दूरियां तय करने में सालों लग जाते थे। उस दौरान लोगों का दो देशों के बीच संपर्क व्यापार के लिए होता था या फिर धर्म प्रचार के लिए या फिर युद्ध एवं अधिपत्य कायम करने हेतु दो देशों के बीच तार जुड़ते हैं। किंतु विज्ञान की प्रगति ने जिस तरह से सभी क्षेत्रों में विकास किया, वह निश्चित ही अभूतपूर्व है। मनुष्य को जहां गोल लकड़ी के लट्ठे से पहिया बनाने में लाखों वर्ष लगे और फिर इस पहिए से बैलगाड़ी में आते–आते हजारों साल लगे, वहीं महज तीन सौ सालों में इंसान ने जो तीव्र गति से जो छलांग लगाई है वह जमीन पर खड़े होकर आसमान में पत्थर उछाल कर छेद करने जैसा है। इन तीन सौ सालों में जहां ऊर्जा क्षेत्र में आग के बजाए बिजली के तमाम विकल्प आए वहीं यातायात हेतु मोटर, कार, वायुयान तथा राकेट जैसे वाहन विकसित हुए और संसार के क्षेत्र में जो क्रांति आई वह तो वर्णनातीत है। आज हर कोई डाकिये की जगह फोन, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट एवं ऐप जैसे तमाम साधन आ गए हैं, जिमसें न सिर्फ दूरियां घटी है, बल्कि देशों की सीमाएं समाप्त सी हो गई है और आज विश्व एक विश्व–ग्राम मात्र बन गया है, किन्हीं अर्थों में आज विश्व एक कुटंब मात्र बन गया है यानि कि सही अर्थों में ''वसुधैव कुटुंबकम'' का वेद वाक्य चरितार्थ हो गया है।

दुनिया भर के तमाम देशों के करीब आने में जो सबसे बड़ी बाधा है वह है भाषा की दीवार। यद्यपि अंग्रेजी एक लिंक भाषा के रूप में काम कर रही है तथापि सच्चाई यह है कि दुनिया भर की केवल बीस फीसदी आबादी ही अंग्रेजी को समझ पाते हैं, जबकि मात्र पांच से सात फीसदी लोग बोल सकते हैं और मात्र दस फीसदी लोग उसे लिख एवं पढ़ सकते हैं। ऐसे में हिंदी, चीनी (मंदारियन) रूसी, फ्रेंच, जर्मन एवं स्पैनिश जैसी भाषाओं की महत्ता बढ़ जाती है। प्रत्येक देशों के निवासियों को अपनी भाषाओं के साथ–साथ दो–एक विदेशी भाषाओं की जानकारी अवश्य होनी चाहिए ताकि लोग उस देश की संस्कृति एवं सभ्यता तथा इतिहास को समझ सके। कई बार भाषा के सीखने जैसे मुद्दे राजनीति की बिसात बन जाते हैं और भाषा सीखने का मूल उद्देश्य पीछे रह जाता है। इससे एक ओर जहां जनता का अहित होता है वहीं राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपनी रोटियां सेंकती है। एक नेकनीयत कार्य वोट की राजनीति की भेंट चढ़ जाता है।

हाल ही में केन्द्रीय विद्यालयों में जर्मन भाषा के स्थान पर संस्कृत पढ़ाने का विरोध इस आधार पर किया जा रहा है कि जर्मन भाषा इस तरह हटाना न केवल जर्मनी व भारत के सांस्कृतिक संबंधों को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करेगा बल्कि विदेशी भाषाओं के पठन–पाठन की उपादेयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर देगा। प्रश्न यह भी है कि आखिर संस्कृत की कीमत पर जर्मन को ही क्यों बढ़ाया जाना चाहिए। लोगों का मानना है कि जर्मन पढ़ाने की आलोचना इसलिए भी की जानी चाहिए क्योंकि विश्व में अंग्रेजी के बाद सबसे अधिक प्रचलित भाषा फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी कामकाज अंग्रेजी या फ्रेंच में ही होते हैं। हालांकि, सम्मेलनों में चार और भाषाओं का प्रयोग होता है – स्पेनिश, रूसी, अरबी और चीनी। यदि कोई वक्ता किसी अन्य भाषा में व्याख्यान देना चाहता है तो उसे उपरोक्त भाषाओं में अपने भाषण का अनुवाद साथ में देना होता है।

अधिकांश विद्वान लोगों का मानना है कि संस्कृत को प्रोत्साहन देना भी उतना ही आवश्यक है जितना विदेशी भाषाओं को सिखाना। इसके साथ देश को यदि वैश्वीकरण के इस दौर में आगे बढ़ना है तो विदेशी भाषाओं का व्यावहारिक ज्ञान भी बढ़ाना पड़ेगा। यदि जर्मनी अपनी भाषा को भारत में प्रसारित करने में सहायक है तो उसका स्वागत करना चाहिए। हमें अन्य भाषाओं में भी शिक्षण देना चाहिए ताकि हम उनसे संबंधित देशों से सीधे ही संपर्क साध सकें।

संस्कृत भाषियों की संख्या निरंतर कम होते जाना हमारी चिंता का विषय है। भाषाविदों का मानना है कि जिस भाषा के बोलने वालों की संख्या 500 के लगभग हो वह मृत्यु के कगार पर होती है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व जब पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग एक करोड़ थी, बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या अनुमानतः पांच से 20 हजार के बीच थी। लेकिन तीव्र विकास संचार साधनों के प्रयोग एवं देशों के बीच घटती दूरियों के कारण शायद अगले 150 वर्षों में लगभग तीन सौ भाषाएं ही रह जाएंगी। आज बोली जाने वाली भाषाओं में से 96 प्रतिशत भाषाएं केवल 4 प्रतिशत लोगों द्वारा ही बोली जाती है और इन भाषाओं का 80 प्रतिशत केवल उन देशों में ही बोला जाता है जहां से वे संबद्ध हैं। केवल 20 भाषाएं ही ऐसी हैं, जिनके बोलने वालों की संख्या लाखों में हैं। भारत में संस्कृत, श्लोकों और प्राचीन ग्रंथों की भाषा बन कर रह गई पर गद्य रूप में हिंदी का चलन प्रारंभ हुआ खड़ी बोली के नाम पर। लिपि में भिन्न होते हुए भी उर्दू और हिंदी बोलचाल की आम भाषा बन गई। अधिक संस्कृत निष्ठ होने पर हम उसे शुद्ध हिंदी कहने लगे। उधर, अरबी या फारसी के अल्फाजों की अतिशयता उर्दू को सामान्य जनमानस से दूर ले गई। दोनों जुबानों से मिल–जुलकर बनी भाषा को गांधीजी ने हिंदुस्तानी कहा, जो अधिकाधिक लोग बोलने लगे हैं। पूर्वोत्तर तक में इसका प्रचलन बढ़ रहा है, यह शुभ संकेत है।

यह मानना होगा कि आज के युग में संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं है।

जो छात्र इस भाषा का विकल्प चुनते हैं वे जानते हैं कि रटने मात्र से इसकी परीक्षा अच्छे अंकों से पास की जा सकती है। अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी इसे व्यवहार में नहीं लाते। यद्यपि इस भाषा को उत्तरांचल की भाषा माना जाता है, वहां भी लोग हिंदी ही बोलते हैं। एक जीवंत भाषा उसके बोलने वालों से ऊर्जा ग्रहण करती है। जबरदस्ती उसे लोगों पर थोपा नहीं जा सकता। मानव सभ्यता के विकास के क्रम में किसी भाषा विशेष के योगदान का लेखा–जोखा आवश्यक है पर भाषा का जीवित रहना उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। मृतप्रायः भाषाओं को कानून बनाकर बचाया नहीं जा सकता पर उसका अध्ययन कर उसे ज्ञान कोष में अवश्य रखा जा सकता है।

संस्कृत ने भारत की महान परंपरा के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी वह लोगों के पूजा–पाठ के लिए पंडितों द्वारा प्रयुक्त होती है। हमारा स्वर्णिम अतीत देखने हेतु यह एक अपरिहार्य झरोखा है। हिंदी के शब्दकोष की समृद्धि का मार्ग है। जो छात्र इस भाषा में पारंगत होना चाहते हैं उन्हें पूरी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही अपने संज्ञान मानचित्र को विश्वव्यापी बनाने के लिए अन्य भाषाओं (भारतीय और विदेशी) को जानने के लिए प्रोत्साहन भी देना चाहिए। तीन भाषाओं का अनिवार्यतः ज्ञान इसलिए प्रस्तावित हुआ ताकि राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिले। किंतु जर्मन या अन्य किसी विदेशी भाषा के सीखने से परहेज करना आज के युग में न तो संभव है और न ही आवश्यक। विद्यालय की बजाय यूनिवर्सिटी के स्तर पर नई भाषा को सीखना अधिक कष्टप्रद हो सकता है। इसलिए किसी भी देशी या विदेशी भाषा की स्कूली दिनों से प्रारंभ कर देना चाहिए। भाषा शिक्षण के साथ संस्थानों को चाहिए कि वे छात्रों को यह भी बताएं कि कौन सी भाषा सीखने से क्या लाभ है और उसके कार्य का दायरा कहां तक विस्तृत हो सकता है।

भाषा शास्त्र की दृष्टि से देखे तो यही कहा जा सकता है कि दोनों में से कोई भी भाषा हिंदी या अंग्रेजी की जगह नहीं ले सकती। न तो हम पिछली शताब्दियों में लौटकर अतीत के गर्भ में जा सकते हैं और न ही अपनी स्वायत्तता खोकर किसी के अधीन हो सकते हैं। परंतु यह अवश्य याद रखना होगा कि संस्कृत भाषा में हमारे वेद, पुराण, गीता, रामायण तथा बौद्ध साहित्य व बाण, कालिदास जैसे संस्कृत कवियों के ग्रंथ एवं साहित्य है जिनकी उपयोगिता आज भी है और आगे भी रहेगी। यदि हमारी वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को अपनी संस्कृति और इतिहास को जानना है तो उसे संस्कृत अवश्य जाननी एवं सीखनी होगी, अन्यथा हम भारतीय अपनी मूल को सदा के लिए विस्मृत कर देंगे। इसलिए समय की पुकार है कि हमें जहां अपनी भाषाओं को जानना समझना आवश्यक है, वहीं दूसरी एवं विदेशी भाषाओं को पढ़ना, सीखना एवं समझना आवश्यक है ताकि हम अपने देश के साथ–साथ दूसरी भाषाओं, संस्कृतियों एव दूसरे देशों के इतिहास, संस्कृति एवं सभ्यता को समझ सकें और वसुधैव कुंटुंबकम की भावना सही अर्थों में साकार कर सकें।

समाधान

स्तुति ऋचा
उपप्रबंधक

एक संत अपने आश्रम में शिष्यों के बीच बैठे अध्यात्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान महर्षि वाल्मीकि का भी प्रसंग आया और संत अपने शिष्यों को वाल्मीकि के डाकू से ऋषि बनने की कथा सुनाने लगे। शिष्यों ने ध्यानपूर्वक महर्षि वाल्मीकि की कथा सुनी। पूरी कथा सुनने के उपरांत एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला – 'गुरुदेव, महर्षि वाल्मीकि की कथा बहुत अच्छी है, लेकिन इसे सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल उठा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना सवाल प्रस्तुत करूं?' संत बोले – 'हां–हां वत्स, निस्संकोच कहो, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है?' तब उस शिष्य ने कहा – 'गुरुदेव, इस गुरुकुल आश्रम की परंपरा के मुताबिक हम नित्यक्रम में वेदोक्त पूजा–उपासना का क्रम अपनाते हैं। इसमें कभी कोई चूक नहीं होती। फिर भी हमें अपनी पर्याप्त आध्यात्मिक प्रगति होती दिखाई नहीं देती। फिर भी हमें अपनी पर्याप्त आध्यात्मिक प्रगति होती दिखाई नहीं देती। लेकिन महर्षि वाल्मीकि तो पहले डाकू रहे थे, फिर उन्हें केवल 'मेरा–तेरा' का जाप करने से आखिरकार परमपद की प्राप्ति कैसे हो गई?' यह सुनकर संत मुस्कराए और बोले– 'वत्स, तुम्हारा सवाल उत्तम है।

वस्तुतः किसी भी चीज को पाने के लिए मन में उसके प्रति श्रद्धा व आस्था का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा व आस्था हमारे अंतःकरण की प्रवृत्तियां हैं, परंतु ये तभी फलदायी होती हैं, जबकि ये विधेयात्मक हों। तुम सबने एकलव्य के बारे में तो सुना ही है, जिसे जब गुरु द्रोणाचार्य से प्रत्यक्ष शिक्षा पाने का सौभाग्य नहीं मिला, तो उसने उसकी मिट्टी की मूरत को ही अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या में प्रवीणता हासिल कर ली। दरअसल यह एकलव्य की अपने गुरु के प्रति अटल श्रद्धा व अडिग विश्वास ही था, जिसके सहारे वह मिट्टी की मूर्ति के सहारे भी धनुर्विधा अर्जित करने में सफल रहा। इस बात को समझो कि उपासना व कर्मकांड का महत्व सिर्फ तभी तक है, जब तक उसके साथ भावनात्मक परिष्कार की प्रक्रिया जुड़ी हो। अन्यथा सिर्फ दिखावे के प्रयोजन से कुछ सार्थक लाभ मिल पाना संभव नहीं है।' यह सुनकर शिष्य की शंका का समाधान हो गया।

(संकलित)

रोमन लिपि बनाम देवनागरी लिपि

डा0 अमर सिंह सचान,
राजभाषा अधिकारी

देश की आजादी के बाद जहां देश हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने का माहौल बना रहा था। वहीं कुछ लोग अंग्रेजी को राज–काज की भाषा बनाए रखने के पैरोकार थे। ज्यादातर अफसरशाह इसी मत के पक्षधर रहते कि अंग्रेजी परंपरागत से चलती रही। इसका परिणाम यह हुआ कि आज भी हिंदी पर अंग्रेजी भारी पड़ रही है। यद्यपि संविधान की बांहे थाम कर हिंदी को केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा का दर्जा तो मिल गया, लेकिन असल रूप में आज भी अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है, हिंदी का महत्व बनाम अंग्रेजी' हमारे समाज की एक स्थायी बहस है। बड़े पैमाने पर देखें तो इसका विस्तार देसी भाषा बनाम अंग्रेजी की बहस तक किया जा सकता है, साथ में यह भी जोड़ा जा सकता है कि किस तरह अंग्रेजी स्थानीय भाषाओं को खत्म करती जा रही है। यह संवेदनशील मसला है। हर शासन खुद को अन्य किसी भी शासन से ज्यादा हिंदी हितैषी साबित करने वाला दिखाता है। इसी का नतीजा है कि बीच–बीच में आपको हिंदी उन्नयन अभियानों के दर्शन होते रहते हैं। इसके तहत सरकारी दफ्तर अनिवार्य रूप से अपने सारे सर्कुलर हिंदी में जारी करते हैं और ज्यादातर सरकारी स्कूल हिंदी मीडियम में ही डटे रहते हैं।

भारत में हिंदी की प्रधानता की बात उत्तर क्षेत्र के हिंदी भाषी राज्यों के नागरिक अधिक करते हैं, जबकि अन्य शेष राज्य अंग्रेजी की बजाय हिंदी का विरोध करते हैं। उनकी यह मांग जायज हो सकती है, पर अंग्रेजी की कीमत पर नहीं, बल्कि उन्हें अपनी प्रादेशिक भाषा को मूल में रखकर करनी चाहिए तथा हिंदी को लिंक भाषा के रूप में अपनाने की सलाह मान लेनी चाहिए। चार दशक पूर्व पूरे उत्तर भारत में जहां अंग्रेजी विरोध के स्वर उठे, वहीं गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी विरोध एवं अंग्रेजी प्रेम के आंदोलन चले। कई नेता इन्हीं आंदोलनों की उपज है। इन आंदोलनों का नतीजा यह हुआ कि हिंदी सिर्फ न गैर हिंदी राज्यों से दूर हुइ, बल्कि हिंदी भाषी राज्यों से भी दूर हुई। अंग्रेजी का प्रेम तेजी से बढ़ा।

इस बीच अंग्रेजी बिना किसी उन्नयन अभियान के ही अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ती जा रही है। वजह यह कि अंग्रेजी लोगों को बेहतर करियर की उम्मीद बंधाती है। इससे समाज में उनका रुतबा बढ़ता है। सूचना और मनोरंजन की एक बिल्कुल नई दुनिया उनके सामने खुल जाती है, और टेक्नॉलजी तक पहुंच भी बढ़ती है। हकीकत यही है कि अंग्रेजी की सामान्य जानकारी के बिना आप आज एक मोबाइल फोन या बेसिक मेसेजिंग ऐप्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज हिंदी भाषी प्रदेशों के लोगों में अंग्रेजी ज्ञान की कमी होने से अपराध बोध महसूस होता है, वे खुद को गैर हिंदी भाषी या अंग्रेजी भाषी के मुकाबले खुद को बौना महसूस करते हैं। इसका मूल कारण यह रहा कि किसी भी सरकार ने हिंदी को जॉब दिलाने वाली भाषा के रूप में स्थापित नहीं किया। अंग्रेजी न चाहकर भी अनिवार्यता बन चुकी है।

बहुत से हिंदी प्रेमी और शुद्धतावादी आज के नए समाज से दुखी हैं, जहां युवा अपनी मातृभाषा को दरकिनार कर जल्द से जल्द अंग्रेजी की दुनिया में जाने को आतुर हैं। लेकिन हिंदी थोपने की जितनी कोशिश ये करते हैं, युवा उससे कहीं ज्यादा विरोध करते हैं। ऐसे में कुछ हिंदी प्रेमी कहते हैं कि वे क्या करें? और बाकी तमाम लोग ऐसा क्या करें कि हिंदी एक बोझ या बाध्यता न लगे? ऐसे लोग मानते हैं कि रोमन हिंदी अपनाई जाए। रोमन हिंदी हिंगलिश नहीं है। यह देवनागरी की बजाय ऐंग्लो–सैक्सन लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा है। उदाहरण के लिए 'आप कैसे हैं' को इस तरह लिखा जाए: 'aap kaise hain?'

उभरते एवं विकसित होते भारत का यह तबका, जो खुद को हिंदी की बजाय अंग्रेजी के ज्यादा निकट है उसका मानना है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड और मोबाइल की टच स्क्रीन में अंग्रेजी में हिंदी लेखन से इस्तेमाल की जाती है। यह काफी लोकप्रिय है, खासकर युवाओं में। आज करोड़ों भारतीय व्हाट्सऐप का प्रयोग करते हैं, जहां तकरीबन सारी बातचीत हिंदी में होती है, लेकिन इसकी लिपि रोमन हुआ करती है। हालांकि वही देवनागरी लिपि डाउनलोड करने की सुविधा भी है, पर शायद ही कोई उसे प्रयोग में लाता हो। कई देवनागरी कीबोर्ड फोन में लिप्यांतरण करते हैं। यानी आप पहले रोमन में हिंदी टाइप करते हैं, फिर एक सॉफ्टवेयर उसका हिंदी टेक्स्ट तैयार करता है। जाहिर है, यूजर मूल रूप से रोमन हिंदी का ही इस्तेमाल कर रहा है।

इसे देश की विडबंना कहें या दुर्भाग्य कि हिंदी सिनेमा का उद्गम स्थल एक गैर हिंदी राज्य है। नतीजन वहां हिंदी को व्यवसाय के लिए केवल बोलचाल के लिए अपनाया गया, लिपि सहित नहीं। फलतः रोमन हिंदी बॉलिवुड के पोस्टरों और विज्ञापनों में पहले ही प्रचलित हो चुकी है।

ज्यादातर हिंदी फिल्मों के स्क्रीनप्ले रोमन हिंदी में लिखे जा रहे हैं। किसी भी बड़े शहर में घूमने निकलिए, यह मुमकिन नहीं कि रोमन लिपि में लिखे हिंदी कैप्शनों वाली होर्डिंग्स न दिखें। मगर हिंदी के विद्वान, परंपरावादी तत्व और इसे बचाने की मुहिम में उतरे हुए लोग या तो इन बातों से अनजान हैं या इनके प्रति बिल्कुल उदासीन हैं। वे हिंदी भाषा और उसकी लिपि में कोई अंतर नहीं समझते। लोग आज भी हिंदी से प्यार करते हैं। बस आज की टेक्नॉलजी आधारित जिंदगी में उस लिपि को शामिल करना उनके लिए मुश्किल हो गया है।

कई जाने–माने फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, अभिनेताओं का मानना है कि वे लोग रोमन लिपि को अपनाकर हिंदी को बचा सकते हैं। देश की एकता के लिहाज से भी यह बड़ा कदम होगा क्योंकि इससे हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले एक–दूसरे के करीब आएंगे। जबकि वे यह भी जानते हैं कि हिंदी के शुद्धतावादी यह सुझाव पसंद नहीं करेंगे। वे हिंदी को बिल्कुल उसी रूप में बनाए रखना चाहते हैं जैसी कि वह है। हालांकि इन हिंगलिश वादियों या ऐग्लों–सैक्सन लिपि मानने वालों को लगता है कि भाषा वक्त के साथ विकसित होती है। और आज वैश्वीकरण के दौर में

अगर हिंदी एक ग्लोबल स्क्रिप्ट अपनाती है तो यह उसके लिए कई तरह से फायदेमंद होगा। इससे दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा।

अब सवाल यह उठता है कि इस नई उदारतावादी पीढ़ी को कौन समझाएं कि किसी भी भाषा एवं उसकी लिपि का विकास वर्षो में नहीं, बल्कि सदियों में होता है। वे यह भूल रहे हैं कि देवनागरी लिपि ध्वनि प्रधान है और उसमें न केवल हिंदी बल्कि संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश जैसी प्राचीन साहित्य लिखा गया है, बल्कि इसी लिपि में हिंदी नेपाली, मराठी, ब्रज, अवधी, कन्नौज, भोजपुरी, मैथिली आदि भाषाओं का साहित्य उपलब्ध है तथा भारत के सभी हिंदी भाषा राज्यों का नब्बे प्रतिशत सरकारी एवं गैर सरकारी कामकाज देवनागरी लिपि में होता है। यदि यह लिपि लुप्त हुई तो पांच हजार पूर्व तक का साहित्य वेद, पुराण, सुश्रुत संहिताएं, बौद्ध साहित्य आदि सब कुछ लुप्त हो कर इतिहास की वस्तु बनकर रह जाएगा। ये लोग भूल रहे है कि रोमन में लिखी हिंदी काम चलाऊ रूप से पढ़कर मतलब निकाला जा सकता है, उसे शुद्ध रूप मे नहीं पढ़ा जा सकता। इस भाषा को पढ़ने के लिए उसकी लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है।

उर्दू के कई बड़े शायर अपनी रचनाएं पारंपरिक उर्दू के साथ–साथ देवनागरी लिपि में भी प्रकाशित कराते रहे हैं। ऐसा वे बड़े स्तर पर अपनी पहुंच बनाने में सक्षम हो सकें और उन्हें बड़ा बाजार मिले ऐसा इसलिए भी संभव है कि हिंदी व उर्दू बहने हैं। अंग्रेजी में यह प्रयोग स्वाद हीन होगा यह प्रयोग ठीक वैसे ही होगा जैसे कोई दांतों वाला व्यक्ति सुस्वाद खाने को चबाकर लुग्दी बनाकर दूसरे के मुंह में डाले। ऐसे में उस दंतहीन व्यक्ति का शरीर भले ही थोड़ा पोषण पा जाए, लेकिन सारा स्वाद एवं आनंद तो केवल दांत वाले व्यक्ति को ही मिल पाता है। ठीक यही तब होगा जब हिंदी को देवनागरी में न लिखकर रोमन में लिखा पढ़ा जाएगा। इसकी शुरुआत उन राज्यों की सरकारी सूचनाओं और सार्वजनिक संकेतों को रोमन हिंदी में लाकर कर सकते हैं, जो गैर हिंदी भाषी हैं और हिंदी का विरोध करते हैं या फिर वहां पर स्थानीय भाषा में सूचनाएं एवं दिशा–निर्देश लिखे जाते हैं।

हिंदी के लेखन हेतु रोमन लिपि की वकालत करने वालों को ऐसी सलाह देते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में हर भाषा का अपनी एक संस्कृति और इतिहास होता है। यहां हिंदी तो दुनिया का प्रथम पांच भाषाओं में आती है और इतिहास एवं संस्कृति की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध भाषा है। यदि प्राचीन साहित्य की दृष्टि से भाषा की समृद्धता को देखा जाए तो हिंदी संस्कृत से जन्मी भाषा है और संस्कृत की लिपि देवनागरी ही भारत की तमाम भाषाओं की जनक भी है। देवनागरी लिपि में लिखा साहित्य विश्व में सर्वाधिक समृद्ध विरासत वाली है। जो वेदों से शुरू होकर, पालि–प्राकृत, अप्रभंश के साथ–साथ नेपाली एवं भारतीय उपभाषाओं अवधी, भोजपुरी, बृज, हरियाणवी, राजस्थानी आदि की जनक एवं सूत्रधार हे। हिंदी के लिए रोमन लिपि की सलाह देने वाले लोग न सिर्फ अपने दिमागी दिवालियेपन का प्रमाण दे रहे है, बल्कि अपने ही हाथों हिंदी–संस्कृत की समृद्ध भाषायी विरासत के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की सलाह दे रहे है। देवनागरी लिपि के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी विचार को सभूल ही खारिज कर दिया जाना चाहिए।

आज भाषा, संस्कृति और धर्म को लेकर ऐसे ही विवाद हर ओर दिखाई–सुनाई देते हैं, जिससे अच्छा भला आदमी भ्रमित हो जाता है। पंचतंत्र में बकरी का बच्चा लेकर जाते ब्राह्मण और चार ठगों की कहानी बहुतों ने पढ़ी होगी। रास्ते में थोड़ी–थोड़ी दूर पर तय करके बैठे वे ठग उस बकरी के बच्चे के बारे में ब्राह्मण को अलग–अलग बात कहते हैं, जिससे भ्रमित होकर ब्राह्मण बकरी के बच्चे को फेंक कर चला जाता है। आज अन्य क्षेत्रों के अलावा भाषा के क्षेत्र में यह ठगी बहुत सुनियोजित

तरीके से चल रही है।

आजकल भारत में भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी के शब्द मिलकर उसे जिस तरह 'हिंगलिश' बनाया जा रहा है वह एक अलग समस्या और चिंता है। अब तो भारतीय भाषाओं, उनके व्याकरण, वांग्मय, लिपि आदि की क्षमता से अपरिचित कुछ अतिउत्साही अंग्रेजी भक्त यहां तक कहने लगे हैं कि हिंदी को रोमन लिपि में क्यों न लिखा जाए? इसलिए हम देवनागरी और रोमन की क्षमताओं पर तुलनात्मक रूप से थोड़ा विचार करना चाहते हैं। देवनागरी में स्वर और व्यंजन का स्पष्ट विधान और विभाजन है। रोमन में ये सब मिले हुए हैं जिन्हें पढ़ते समय बताना पड़ता है कि अमुक स्वर है अमुक व्यंजन। देवनागरी में 'क' ध्वनि के लिए 'क' व्यंजन है और उसे 'क' ही बताया जाता है जबकि रोमन में बताया जाता है के (I) और काम लिया जाता है 'क' का। देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक चिह्न है जबकि रोमन में ऐसा नहीं है।

देवनागरी में आप एक उच्चारण स्थान बताकर क्रमबद्ध रूप से एक वर्ग के व्यंजनों का सही उच्चारण सिखा सकते हैं। कंठ से लेकर ओंठ तक स्थान का जो क्रम है वही देवनागरी की वर्णमाला का है। स्वतंत्र प्रयोग के अतिरिक्त स्वर व्यंजनों के साथ 'मात्रा' के रूप में आते हैं इसलिए अंग्रेजी (रोमन) की तरह किसी भी शब्द की वर्तनी रटने की आवश्यकता नहीं है।

रोमन में केवल दो नासिक्य ध्वनियां हैं जब कि देवनागरी में छह। देवनागरी लिपि की इसी विशेषता के कारण कहा जाता है कि भारतीय किसी भी भाषा का सही उच्चरण विश्व में सर्वाधिक तीव्र गति से सीख सकते हैं। अमरीका में प्रति वर्ष स्कूली बच्चों के लिए स्पेलिंग प्रतियोगिता होती है, जिसमें लाखों डॉलर के इनाम दिए जाते हैं।

इसके लिए बच्चे वर्षों रट्टा लगाते रहते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी के शब्दों की वर्तनी गलत होने का सबसे प्रमुख कारण है रोमन लिपि की अवैज्ञानिकता। आकाशवाणी के समाचारों में सहजता से 'छपरा' का 'छापरा' और 'सीकर' का 'सिकार' हो जाता है। इसका कारण उन व्यक्तियों के साथ–साथ रोमन लिपि की अक्षमता भी है। इसके अतिरिक्त देवनागरी में रोमन की तरह कैपिटल और स्मॉल लेटर तथा अक्षरों की दो, तीन चार लाइन की ऊंचाई का वर्ग–विभाजन नहीं है बल्कि सभी लिपि–चिह्नों को बिना किसी भेदभाव के समान क्षेत्रफल आवंटित किया जाता है।

यह ठीक है कि हम अमरीका की तरह अंग्रेजी की अपनी वर्तनी बनाने की हिम्मत नहीं रखते। हम उसे जैसी वह है वैसे मानने के लिए विवश हैं। लेकिन क्या अंग्रेजी–दासता की सीमा यहां तक पहुंच गई कि हम अपनी एक समर्थ और वैज्ञानिक लिपि के स्थान पर रोमन को स्थापित करने पर सोचने लगें?

सबसे समर्थ लिपि है देवनागरी

किसी भी भाषा, विचार और ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग लिया जाता है उनकी क्रमबद्ध, सम्पूर्ण और सामूहिक व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। वही लिपि सर्वश्रेष्ठ होती है जो अधिकतम ध्वनियों को सही–सही लिख सके। हर भाषा का अपना शब्द भण्डार होता है और उसके अनुसार उसे बोलने वाले समुदाय के व्याकरण ध्वनि–चिह्नों का विकास करते हैं।

सभी भाषाओं की लिपियों के अपने इतिहास और कारण हैं जैसे ग्रीक यूरोप की पुरानी भाषा है इसलिए उसका शब्द भण्डार तो यूरोप की भाषाओं में है ही, साथ भी उनमें से अधिकतर की लिपि भी, भाषा भिन्न होते हुए भी, वही है जो ग्रीक की थी अर्थात रोमन। यूरोप के फ्रांस, हॉलैंड, इटली, नॉर्वे, जर्मनी, आयरलैंड, पोलैंड, स्पेन आदि। जहां–जहां यूरोप के उपनिवेश रहे वहां की स्थानीय भाषाएं और लिपियां समाप्त हो गईं।

इसीलिए इंडोनेशिया, मलेशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों की लिपि भी रोमन हो गई। मध्य एशिया जहां इस्लाम का प्रभाव है वहां अरबी लिपि मिलती है। आज भी अरब देशों के अतिरिक्त पाकिस्तान वाले पंजाब, सिंध, कश्मीर आदि में इस्लामी शासन के प्रभाव के कारण उनकी भाषाओं की लिपि अरबी ही है। इसीलिए पहले पुराने पंजाब में जिसमें पाकिस्तान वाला पंजाब और भारत वाला पंजाब (जिसमें वर्तमान हरियाणा, पंजाब, हिमाचल) शामिल थे, उर्दू पढ़ाई जाती थी और अरबी लिपि में ही। भारत में अपनी बहुत–सी भाषाएं हैं और उनकी लिपियां भी। यदि सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाए तो शायद सभी का स्त्रोत भारत की मूल लिपि 'ब्राम्ही' में मिल जाएगा जिससे 'देवनागरी' लिपि का विकास हुआ।

देवनागरी लिपि के बारे में विश्व के बहुत से भाषाशास्त्रीयों (विशेष रूप से यूरोप के) ने गहन अध्ययन के बाद यह पाया है कि यह लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक और अधिकतम ध्वनियों को सही–सही लिखने, पढ़ने और उच्चारण कर सकने में समर्थ है।

किताबी ज्ञान तथा कौशल

प्राची सिंह
पुत्री, डॉ. अमरसिंह सचान

पूरी दुनिया भर के अधिकांश राष्ट्रों सहित लगभग 20 हजार से अधिक प्रतिभागी वर्ष 1994 को 5–13 सितंबर के दौरान काहिरा (मिश्र) में ''जनसंख्या एवं विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन'' में एकत्र हुए थे। तमाम मनोमंथन के पश्चात सार्वजनिक शिक्षा, शिशु एवं बाल मृत्यु, मातृ–मृत्यु तथा परिवार नियोजन सहित प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य जैसे चार मुद्दों पर सहमति बनी थी। जिसके अनुसार 20 वर्ष की अवधि में इन सभी लक्ष्यों को हासिल करना था। अन्य विषयों पर जहां अपेक्षित लक्ष्य तो नहीं मिला, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जहां पहले प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल बने इसके बाद इंटर कॉलेज एवं विश्वविद्यालय तथा अनेक व्यवसायिक संस्थानों की स्थापना हुई ताकि बढ़ी हुई शिक्षित युवा पीढ़ी को विभिन्न कौशलों में कुशल बनाया जा सके। भारत भी इस प्रगति से अछूता नहीं रहा बल्कि विकासशील देशों में अग्रणी बनकर लक्ष्य की ओर बढ़ा। जिसका परिणाम यह हुआ कि हर श्रेणी एवं वर्ग तथा क्षेत्र के अनुसार सभी क्षेत्रों में शिक्षा एवं व्यावसायिक संस्थान खुले। जिनका लक्ष्य युवाओं में कौशल को विकसित करना रहा। आज इस क्षेत्र में अनेक संस्थानों ने तथा उनसे निकले वाले छात्रों ने विश्व मानचित्र में अपनी जगह बनाई और अपनी काबिलियत साबित भी की है।

देश के तमाम कॉलेजों–विश्वविद्यालयों–बिजनेस स्कूलों में पढ़ रहे युवाओं को हाल की इस खबरों को पढ़–सुन कर काफी अचरज और साथ में उन युवाओं पर फख्र भी होता है, जिन्हें दुनिया की तमाम जानी–मानी कंपनियों द्वारा सालाना करोड़ों रुपये तक की सैलरी का ऑफर मिला है। जैसा कि आइआइटी बीएचयू के स्टूडेंट को कोर्स पूरा होने से पहले ही एमएनसी ओरेकल ने 2.03 करोड़ रुपये सालाना की सैलरी पर नियुक्त किया है, जबकि एक दूसरे स्टूडेंट को गूगल माउंटेन व्यू ने 1.63 करोड़ रुपये सालाना का जॉब ऑफर दिया है। यह हाल केवल आईआईटी बीएचयू का नहीं है बल्कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, रुड़की आदि आईआईटी तथा आईआईएम संस्थानों के अनेक छात्रों को करोड़ों एवं लाखों में आफर मिले है, यही नहीं भारत के लगभग 100 शीर्षस्थ संस्थानों से निकले सभी छात्रों को 5–10 लाख के पैकेज की नौकरियां मिल जाती हैं। कैंपस प्लेसमेंट के जरिए आइआइटी बीएचयू के डेढ़ सौ से ज्यादा अन्य छात्रों को बहुराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों द्वारा लाखों रुपये के पैकेज वाली नौकरियां दी गई है। यह सिलसिला अभी आगे भी जारी रहेगा। इस संदर्भ में आइआइटी बीएचयू के ट्रेनिंग ऐंड अप्वाइंटमेंट सेल के हेड सहित इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि नौकरियों की कोई कमी नहीं है। कंपनियों को निराशा इसलिए होती है, क्योंकि स्टूडेंट उनके मुताबिक खुद को नहीं ढाल पाता। स्टूडेंट्स को कंपनियों की कार्यशैली के हिसाब से खुद को ढालना चाहिए।

आज हमारे देश के नीतिकारों को यह ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से यह संस्थान अपनी गुणवत्ता को बेहतर तथा समसामायिक बनाए रखें। मगर यह विडंबना ही है कि हमारे देश में आज भी अधिसंख्य संस्थान परंपरागत फार्मूले पर चलते हुए किताबी पढ़ाई और एग्जाम पास करने पर ही जोर देते हैं। बदलते वक्त के साथ स्टूडेंट्स के टैलेंट को निखारने की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। दरअसल, अधिकतर संस्थान (खासकर नए खुलने वाले स्कूल–कॉलेज) स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बजाय शिक्षा की दुकान बन गए हैं, जहां संस्थान का ध्यान अपने मुनाफे की तरफ कहीं ज्यादा होता है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों नए कॉलेजों के सामने आने के बावजूद युवाओं को उपयुक्त अपडेटेड एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, जबकि एजुकेशन हासिल करने पर खर्च काफी बढ़ गया है।

आइआइएम, आइआइटी और समकक्ष कुछ ही संस्थान इंडस्ट्री और जॉब मार्केट की जरूरतों के मुताबिक अपने सिलेबस को नियमित रूप से बदलते और अपडेट करते रहते हैं। ऐसे में वहां के स्टूडेंट्स देश और दुनिया की कंपनियों द्वारा हाथों–हाथ लिए जाते हैं। भारत सरकार को भी इस दिशा में पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है, वह शिक्षा को केवल राज्यों का मसला मानकर नहीं छोड सकती है। उसे ऐसे उच्च मानदंड तय करने चाहिए जिनका अनुपालन सभी संस्थान करें। इसी प्रकार केन्द्र सरकार की एक मूल्यांकन प्रणाली हो जो संस्थानों को रेटिंग करे तथा

परस्पर प्रतिस्पर्धा एवं प्रोत्साहन दे ताकि सभी संस्थान निरंतर बेहतर बनने की होड़ करते रहें।

आज जरूरत इस बात की है कि संस्थानों की कारोबारी मानसिकता पर अंकुश लगाते हुए उन्हें क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए विवश किया जाए। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को भी बिना विलंब सक्रिय और ठोस पहल करनी चाहिए, ताकि देश के किसी भी संस्थान में पढ़ने वाले युवा को क्वालिटी एजुकेशन से वंचित न होना पड़े और उसे अपनी स्किल के बल पर आसानी से नौकरी मिल सके। इसके लिए इंडस्ट्री से इंटरैक्शन करके उपयोगी करिकुलम–सिलेबस डेवलप करने

और उसे कड़ाई से लागू कराने पर जोर होना चाहिए। टीचर–फैकल्टी भी ऐसे चुने जाएं, जिनमें सीखने–जानने का पैशन हो। जो टीचिंग के पेशे को नौकरी समझने की बजाय उसे इंज्वॉय करते हों। लेकिन आज देखने में यह आ रहा है कि टीचिंग की कला प्राथमिकता में नहीं है अधिकांश बेहतर शिक्षित लोग डाक्टर, इंजीनियर एवं प्रबंधन की ओर जाते है और शिक्षा पूर्ण करने के बाद उच्च सरकारी नौकरियां बहुदेशीय कंपनियों एवं बड़े कार्पोरेट घरानों में ऊंची पगार पर नौकरियां प्राप्त करते हैं उन्हें शिक्षा क्षेत्र की अपेक्षा तेजी से प्रोन्नती मिलती है। यही कारण है कि शैक्षिक जगत में कम लोग मिलते एवं कम टिकते है। यदि यहां भी बेहतर वेतन के विकल्प हो तो अच्छे शिक्षक प्राप्त हो सकते है।

खुद की स्किल को डेवलप करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी खुद युवाओं के ऊपर है। हमें सिर्फ दुनिया की सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश बनकर ही गर्व नहीं करते रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी इस युवा ताकत को समझते हुए उसका सदुपयोग देश के निर्माण में करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर छिपे टैलेंट को जानने–समझने और उसे विकसित करने पर ध्यान देना होगा। दूसरों की बनाई राह पर चलने की बजाय अपनी रुचि के मुताबिक अपनी राह खुद बनाएं और उस पर आगे बढ़ें। आप कह सकते हैं कि आपका मन तो इस फील्ड में काम करने का खूब करता है, पर आपको इसके बारे में कुद पता ही नहीं। यह उदासीन रवैया छोड़ें और अपनी रुचि के क्षेत्र में अपनी योग्यता को बढ़ाने–संवारने का अनवरत प्रयास करें। अपनी स्किल को बढ़ते देख आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करने लगेंगे और फिर कभी न तो पीछे मुड़कर देखेंगे और न ही कभी नकारात्मक बातें ही मन में आएंगी।

सरकारों को चाहिए कि वे ऐसे परामर्श केन्द्र स्थापित करें, जहां छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। उन्हें यह बताया जाए कि वे किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं, उनके लिए क्या उचित है और यदि असफल रहें तो फिर क्या करें। उन्हें बताया जाना चाहिए कि अगर आपको आइआइटी, एनआइटी जैसे संस्थानों में किसी कारण एडमिशन नहीं मिला, तो इससे हताश–निराश न हों। आपको जहां कहीं, जिस कोर्स में भी प्रवेश मिलता है, आप उस पर फोकस करने के साथ–साथ अपने इंट्रेस्ट वाले फील्ड में खुद की स्किल बढ़ाने की दिशा में पहल करें। अपने मन के डर–संकोच को निकाल फेंके और पढ़ाई के बाद बचे समय (साथ ही छुट्टियों में भी) में अपनी स्किल को तराशने का प्रयास करें। अगर किसी तकनीकी फील्ड में इंट्रेस्ट रखते हैं, तो उससे संबंधित लोगों/विशेषज्ञों से मिलने–जुलने और उनके टिप्स लेने का प्रयास करें। खुद को सदा विनम्र रखकर कोशिश करेंगे, तो कहीं न कहीं मौका जरूर मिलेगा। एक बार अवसर मिल जाने पर उसे हाथ से कतई न जाने दें। अपनी लगन और मेहनत से मददगारों को प्रभावित करें, ताकि उन्हें लागे भी आपकी मदद करने या आपकी संस्तुति करने में खुशी महसूस हो।

देश की युवा पीढ़ी में आशा एवं उम्मीद जगाने की आवश्यकता है तथा सभी को आपस में मिलकर शिक्षा नीति में बदलाव लाते हुए इसे कौशल उन्मुख एवं रोजगार उन्मुख बनाने की जरूरत है। उन्हें ग्रामीण, नगरीय एवं शहरी स्तर पर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अन्यथा अभी होता यह है कि कुछ लोग किसी भी काम को करने से पहले ही तमाम तरह की कमियां गिनाकर या संसाधनों की कमी का रोना रोते हुए यह कह देते हैं, इसके बिना यह काम कैसे होगा? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। मैं तो यह कर ही नहीं सकता। ध्यान रखें, जब तक आपके शब्दकोश में 'नहीं' या 'ना' शब्द होगा, आप उत्साह के साथ किसी भी क्षेत्र में कदम नहीं बढ़ा सकेंगे। इसकी बजाय अपने मन में हमेशा यह बात रखें कि हां, मैं इस काम को जरूर कर सकता हूं।' इस तरह की इच्छा–शक्ति तभी पैदा कर सकेंगे, जब आप कोई भी काम सीखने–जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे। सीखने की ललक आपका ज्ञान तो बढ़ाएगी ही, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाती रहेगी। ऐसे में आप दूसरों के सामने, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, कैंपस प्लेसमेंट या इंटरव्यू के दौरान खुद को बेहतर और प्रभावशाली तरीके से पेश कर सकेंगे।

सरकार की ओर से कुछ कदम उठाए जा रहे हैं परंतु ये पर्याप्त नहीं है। अभी इस दिशा में व्यापक रूप से काम किए जाने की आवश्यकता है ताकि हर आदमी को अपनी क्षमता एवं योग्यता के आधार पर काम मिल सके। आज भी मजदूर, मिस्त्री, कारीगरों, रंगाई–पुताई या बढ़ईगीरी अथवा प्लंबिंग का काम करने वालों को चौराहों–नुक्कडों पर खड़ा होना पड़ता है। ऐसे सभी लोगों को पारदर्शी तरीके से एवं पंजीकृत तरीके से काम करने के मंच प्रदान किए जाने चाहिए जहां लोग फोन करके अपनी जरूरत का आदमी पा सकें और उन्हें भरोसा रहे कि उनके यहां काम करने वाला व्यक्ति पंजीकृत एवं प्रमाणित ढंग से आया है। इससे काम की अपेक्षा रखने वाले तथा काम कराने वाले यानि कि दोनों पक्षों को लाभ मिलेगा और इन मंचों के माध्यम से श्रमिकों/कामगारों की आपूर्ति होने से ठेकेदारों/बिल्डरों के द्वारा किए जाने वाले शोषणों, भुगतानों के विलंब आदि से निपटने में भी सहायता मिलेगी। इस वर्ग के लोगों को अपने श्रम का वाजिब दाम भी मिल सकेगा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि उच्च शिक्षित व्यक्ति से लेकर निम्न शिक्षित व्यक्ति तक अपनी क्षमता एवं योग्यता अनुसार काम मिले और इसके लिए कौशल प्राप्ति की सुविधाएं सरकारी एवं निजी क्षेत्र मिलकर कर सकते हैं। ऐसा होने पर ही हमारा देश चहुंमुखी विकास की प्रगति पर आगे बढ़ सकेगा।

शक्ति व समृद्धि

संजीव कुमार सिंह,
उपप्रबंधक

ऊपर गगन विशाल परम, चरणों में सागर लहराता है
भाल हिमालय की हिम दमके, वह देश यह भारत माता है।

पुरातन काल से भारत को विभिन्न नामों से पुकारा गया है और भिन्न–भिन्न प्रकार के उसकी भौगोलिक स्थिति के साथ–साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन किया गया है। भारत का अस्तित्व और उसकी संस्कृति का वर्णन वेद एवं पुराणकाल से भी प्राचीन एवं महान रहा है। वेदों में नभ (सूर्य) अग्नि, वायु, जल एवं पृथ्वी को न केवल विशप एवं विविध रूपों में वर्णन किया है बल्कि इनकी उपासना करने का मार्ग भी बताया है। वेदों ने इन पांच तत्वों को ही ब्रहम बताया है और आज विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि की सभी चीजें इन्हीं पांच तत्वों से बनी है।

भारत की समुद्री विरासत प्राचीन काल में निहित है जो सिंधु घाटी (हड़प्पा) सभ्यता से भी पूर्व से शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की पहली ज्वार गोदी (डॉक) लोथल में बनी थी (आज के गुजरात के मैंगरोल बंदरगाह के नजदीक)। आज भी उस वक्त के समुद्री ढांचे के सबूत उपलब्ध है। ऋग्वेद (लगभग 2000 ईसा पूर्व) में वरुण को महासागर के मार्गों के ज्ञान के साथ आकाश, जल और समंदर का देवता कहा गया है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य संस्कृत में है 'शं नो वरुणः'। इसका अर्थ है 'हे समंदर के देवता आप हमारे लिए शुभ हो'।

यदि हम पुराणों एवं आख्यानों में दिए गए वर्णनों की गहनता से पड़ताल करें तो यह स्पष्ट पता चलता है कि ईसापूर्व भारत का विस्तार वर्तमान इराक–ईरान तक था। जहां तब शैव एवं शाक्त अनुयायी रहते थे। कहने का अर्थ है कि समुद्री मार्ग से भारत का व्यापार काफी मात्रा में होता था। इसी मार्ग से पूर्व एवं पश्चिम के देश जुड़े हुए थे।

भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य (320–298 ईसा पूर्व) अपने 'नव परिषद' के लिए भी जाने जाते हैं। यह एक नौसेना विभाग था, जिसे समंदर, सागर, झीलों और नदियों में जहाजरानी कि जिम्मेदारी दी गई थी। ईसा पूर्व 323 में सिकंदर की सेना जिन 800 नावों में ग्रीस वापस लौटी थी, वे भी मौर्य के सिंध वाले शिपयार्ड में ही बनीं थी। वहीं पहली सदी में 'पेरिप्लस–फ द इरिथ्रियन सी' से भी इस बात की जानकारी मिलती है कि उस वक्त अरब और मुजरिज जो वर्तमान में कोच्चि के निकट है के बीच समुद्र से व्यापार होता था। कहते है इसी व्यापार के लेन–देन के माध्यम से भारत से न सिर्फ मसाले, माणिक्य एवं अन्नादि जाता था, बल्कि यहां से ज्ञान एवं शिक्षा का प्रसार हुआ। इसी रास्ते से भारत की गणना पद्धति एवं अंक पद्धति पहुंची जो बाद में यूरोपीय देश पहुंचे जिन्हें वहां अरेबिक नंबर्स का नाम दिया गया।

पांचवी और 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण में विजयनगरम और पूर्व में कलिंग के व्यापार की पहुंच आज के मलेशिया, सुमात्रा और जावा तक थी। वहीं सम्राट अशोक के पास मजबूत समुद्री बेड़ा था जिसका उपयोग सीरिया, इजिप्ट, मेसीडोनिया और इपिरस के साथ व्यापार के लिए किया जाता था। बाद के 10वीं और 11वीं शताब्दी के चोल, पांड्य और चेर राजवंशों का भी समंदर पर काफी बोलबाला था। 13वीं सदी में मार्कोपोलो के यात्रा वृतांत के अवलोकन से भी भारतीय जहाज निर्माण कौशल के बारे में काफी जानकारी मिलती है। एस्ट्रोनेविगेशन के प्राचीन प्रारूप को विकसित करने का श्रेय भी दो भारतीय खगोलविदों आर्यभट्ट और वराहमिहिर को है।

हमारी पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा केवल कल्पना मात्र नहीं है। जिसकों सुरो और असुर ने मिलकर किया था। यह इस बात का प्रतीक है कि समुद्र अकूत संपदाओं का भंडार था और इसका ज्ञान आर्य एवं अनार्यों का बखूबी था, जिसे उन्होंने मिलकर खोजा और अकेले भी खोजा। प्राचीन काल में प्राप्त समुद्री प्रभुत्व को भारत मध्यकाल में बरकरार नहीं रख पाया। इस दौर में अधिक ध्यान महाद्विपीय शक्ति को विकसित करने पर ही दिया गया था। समुद्र की शक्ति पर ध्यान कम कर दिया गया और यह नदी व समुद्र के किनारों तक ही सीमित थी। एक पथ प्रदर्शक के रूप में वास्को–डा–गामा जो एक पूर्तगाली नाविक और अन्वेषक था। 1498 ई0 में कालिकट के नजदीक उतरा। इसका अनुसरण करते हुए अपनी सामुद्रिक क्षमताओं के उपयोग से कई यूरोपीय व्यापारियों ने हिंद महासागर के लिए कई व्यापारिक अभियानों को अंजाम दिया। इनमें डच, ब्रिटिश और फ्रेंच थे। हालांकि इन्हें कुछ भारतीय तटीय नौसेनाओं द्वारा चुनौती दी गई थी, खासकर पश्चिमी तट पर। 1500 ई. और 1509 ई. के बीच कालिकट के जमोरिन ने पूर्तगालियों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी थी। वहीं कोंकण तट पर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा गठित मराठा नौसेना ने पहले पूर्तगालियों को और बाद में ब्रिटिश को भयानक चुनौती दी थी। टीपू

सुल्तान ने भी ब्रिटिश की समुद्री बादशाहत को चुनौती देने के लिए फ्रांस की मदद से नेवी का गठन किया था। गौर से देखें तो समंदर के किनारों पर भूरे पानी में भारतीयों द्वारा यूरोपिन के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश की गई थी, पर नीले (गहरे) पानी की क्षमताओं और बेहतर नौसैनिक हथियारों की वजह से वे भारतीय प्रबल रहे थे।

आज भारतीय नौसेना के साथ–साथ समुद्री तट रक्षक दल (कोस्टगार्ड) भी विभिन्न तरह के अस्त–शस्त्र से न सिर्फ लैस हैं, बल्कि समुद्री तट एवं विरासतों का रक्षा करने की जिम्मेदारी भी निभाते है हाल ही में पाक से भारतीय सीमा में घुसने वाली विशाल नौका को घेर लेने की घटना काफी चर्चा का विषय रही।

औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीयों ने धीमी गति से पुनरुद्धार का अनुभव किया जब इन्हें वाणिज्यिक और नौसेना में कार्य करने का मौका मिला। वहीं जहाज निर्माण उद्योग ने भी मामूली पुनरुद्धार करना तब शुरू किया था, जब सूरत में जहाज निर्माण उद्योग का स्थापना हुई थी। और बाद में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। आज की आधुनिक भारतीय नौसेना अपने पूर्ववर्ती सेवाओं से ही विकसित हुई है, इनमें ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन (1612–1686), बॉम्बे मरीन (1686–1830), बॉम्बे एंड बंगाल मरीन्स और 'इंडियन नेवी' (1830–1877), इंडियन मरीन

(1877–1892) और रॉयल इंडियन नेवी (1934–1947) शामिल हैं। भारतीय अधिकारी और लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध में काफी अहम भूमिका निभाई थी और उन्हें अपने अपने बेहतरीन कार्य के लिए प्राशंसा भी मिली थी। हालांकि, आजादी के बाद भारतीय नौसेना ने छह फ्रिगेट और 14 अन्य छोटे जहाजों के साथ मामूली शुरुआत की थी। पर इन बीते वर्षों में भारतीय नौसेना की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। इसने अपनी भूमिका युद्ध और शांति दोनों ही समय में साबित किया है। आज भारतीय नौसेना अपनी बहुआयामी क्षमताओं के साथ संमदर की सक्षम और सशक्त ताकत के रूप में उभरी है। आज भारतीय नौसेना के साथ–साथ समुद्री तट रक्षक दल (कोस्टगार्ड) भी विभिन्न तरह के अस्त–शस्त्र से न सिर्फ लैस है, बल्कि समुद्री तट एवं विरासतों को रक्षा करने की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। हाल ही में पाक से भारतीय सीमा में घुसने वाली विशाल नौका को घेर लेने की घटना काफी चर्चा का विषय रही।

भारत की नियति व्यापक रूप से समंदर से जुड़ी है। इसे हम 'स्वर्गीय सरदार के एम पणिक्कर' द्वारा दिए गए वक्तत्यों में देख सकते हैं: उन्होंने कहा था कि जहां तक भारत की बात है तो यह याद रखना चाहिए कि देश का प्रायद्वीपीय स्वरूप और समुद्री यातायत पर व्यापार की आवश्यक निर्भरता, समुद्र इसकी नियति पर प्रबल प्रभाव डालता है। अगर भारत एक नौसैनिक शक्ति बनना चाहता है तो मात्र कुशल और बेहतर प्रबंधन के साथ नौसेना का गठन ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए लोगों में नौसैनिक परंपरा को विकसित करना होगा। समुद्री समस्याओं में निरंतर रुचि और भारत का भविष्य समंदर पर ही निर्भर करता है। इसका दृढ़ विश्वास भी दिलाना होगा।

हाल ही में भारत सरकार ने इस दिशा में व्यापक कदम उठाए हैं। 'मेक इन इंडिया' के नारे के तहत कई परमाणु चालित पनडुब्बियों, जहाजों एवं विशाल जलपोतों को स्वदेशी तकनीकी एवं विदेशी तकनीक के सहयोग से बनाने के करारों को नया रूप दिया। भारत सरकार तेजी के साथ कई विशाल बंदरगाहों को विकसित करने की दिशा में कदम उठा रही है तथा इन सबको तीव्रफ्रेट कोरीडोर से जोड़ रही है ताकि आवागमन की सुविधा सहज, सरल एवं सुगम हो। यही नहीं भारत सरकार ने कई विशाल नदियों में भी अंतर राज्यीय जल परिवहन को तेजी से विकसित करने की दिशा में कई नई परियोजनाओं को कार्यरूप दिया ताकि दो राज्यों/शहरों के बीच माल के आवागमन के सस्ते एवं प्रदूषण रहित विकल्प विकसित हों। पर्यटन जैसे उद्यमों को बढ़ावा मिले और व्यापक स्तर पर रोजगार के सुअवसर पैदा हों। हमारे देश में एक ओर जहां अडंमान–कार–निकोबार एवं लक्षद्वीप जैसे हजारों द्वीप है वहीं गोवा, दमन–दीव, केरल, पुडुचेरी के साथ गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक के विशाल समुद्री तट, सुंदर वन जैसे रमणीय इलाके हैं, वही हमारे पास ब्रहमपुत्र, गंगा, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा जैसी विशाल नदियां हैं। जहां सागर से लेकर विशाल नदियों तक मत्स्यपालन से लेकर पर्यटन एवं नौकायन उद्योग की असीम संभावनाएं एवं संपदाएं तथा विरासतें बांहे फैलाकर हमारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठी हैं, बस हमें आगे हाथ बढ़ाकर थामने की जरूरत है और हमें अपनी विरासत को पहचान कर अपनाने एवं गले लगाने की जरूरत है।

भाषा

रंजन कुमार बरून,
सहायक महाप्रबंधक

यह बात हम सभी हिंदी प्रेमी जानते हैं कि संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के समय राजभाषा के विषय पर गहन विचार–विमर्श किया था कि भारत गणतंत्र की राजभाषा हिंदी क्यों बने। इसी समय यह भी निर्णय लिया गया था कि देवनागरी लिपि में हिंदी का संघ के रूप में अंगीकृत किया जाए। इसी आधार पर संविधान के अनुच्छेद 343(1) में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ (भारत) की राजभाषा घोषित किया गया। उस समय देश की भाषा विविधता को ध्यान में रखते हुए संघ के कार्यकारी, न्यायिक एवं वैधानिक प्रयोजनों के लिए प्रारंभ के 15 वर्षों अर्थात् 1965 तक अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान रखा था। इस 15 वर्ष की अवधि के बाद फिर से यह महसूस किया गया कि 15 वर्षों की अवधि और बढ़ाई जाए। लेकिन दखलंदाजियों के चलते हिंदी को अपना स्थान सही अर्थों में नहीं मिल पाया और आज भी अंग्रेजी के आगे खड़े होने की बजाए पीछे खड़ी है। इस देश के एक खास वर्ग ने राजभाषा हिंदी के अरमानों का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

आज भी हालात यह है कि जब भी कोई इस दिशा में कुछ करने को आगे बढ़ता है तो तमाम लोग हिंदी के हाथ–पैरों में जंजीरें डालने के लिए खड़े हो जाते है और अपने देश के स्वाभिमान एवं आत्म गौरव तथा भाषायी अस्मिता से खिलवाड़ करते है इसका सबसे तगडा उदाहरण यही है कि जब पिछले जून महीने में केन्द्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था। उसमें कहा गया था कि ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यमों पर सरकार के फैसलों की जानकारी देने में अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी को वरीयता दी जानी चाहिए। तब इसे लेकर खूब हंगामा हुआ था। इसके खिलाफ सबसे बुलंद आवाजें हिंदी सहित गैर–हिंदी भाषी राज्यों से आई, जिन्हें लगा था कि यह पिछले दरवाजे से उन पर हिंदी थोपने की चाल है। जुलाई में, सीबीएसई स्कूलों में संस्कृत सप्ताह मनाने के केन्द्र के निर्देश के अगले ही दिन शोर मचा, तो दक्षिण से मांग आई कि केन्द्र सरकार इस आदेश में सुधार करे और इसकी जगह सभी शास्त्रीय भाषाओं को सम्मान दे।

हाल ही में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह साफ किया कि केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा छह से 12 तक संस्कृत तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। जब अदालत ने जोर दिया कि सत्र के बीच में इस तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे छात्र–छात्राओं के ऊपर दबाव पड़ेगा, तो केन्द्र सरकार ने शीर्ष अदालत से वादा किया कि यह बदलाव नए सत्र से लागू होगा। मजे की बात यह है कि इस बार गैर–हिंदी भाषी लोग या तो पूरी तरह खामोश हैं या फिर उनकी आवाज बेहद दबी हुई है।

सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाने के पक्ष में अदालत में जो तर्क दिए हैं, पहले उन पर गौर करते हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि केन्द्रीय विद्यालय विद्यालय संगठन और गोएथ इंस्टीट्यूट–मैक्स मूलर भवन ने साल 2011 में जिस करार पर दस्तखत किए थे, उस पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मुहर नहीं लगी थी और इसे गुपचुप तरीके से लागू किया गया था। दूसरा, यह 'त्रिभाषा फॉर्मूला' का अतिक्रमण था, जो यह कहता है कि तीसरे विकल्प के तौर पर विद्यार्थियों को या तो कोई भारतीय भाषा पढ़नी होगी या फिर संस्कृत। यहां यह बात शक पैदा करती है कि क्या पिछली सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय केन्द्रीय विद्यालय संगठन और मैक्स मूलर भवन के समझौते से भली–भांति अवगत नहीं था। जहां तक त्रिभाषा फॉर्मूले से जुड़ा दूसरा तर्क है, तो आज तक इस फॉर्मूले को केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा कभी भी पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में। कई राज्यों में पहले संस्कृत पढ़ाई जाती थी, बाद में उसे भी बंद कर दिया गया या वैकल्पिक विषय था।

तो क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थिति को बदलना चाहती हैं? संविधान बनाने वाले लोग कई दौर की मंत्रणाओं के बाद न्यायोचित समाधान के तौर पर त्रिभाषा फॉर्मूले पर पहुंचे थे। प्रसिद्ध इतिहासकारों के मुताबिक, अंगरेजों द्वारा विकसित अंग्रेजी पर आधारित शिक्षा पद्धति के दो नतीजे हुए। एक, इसने शिक्षित और आम जनता के बीच की दूरी और बढ़ा दी। और दूसरा, इसने भारतीय भाषाओं के विकास व विस्तार को कमजोर कर दिया। हालांकि, भाषा संबंधी फॉर्मूले की ईजाद हुए छह दशक से भी अधिक हो गया, लेकिन औपनिवेशिक युग की समस्या आज भी कायम हैं।

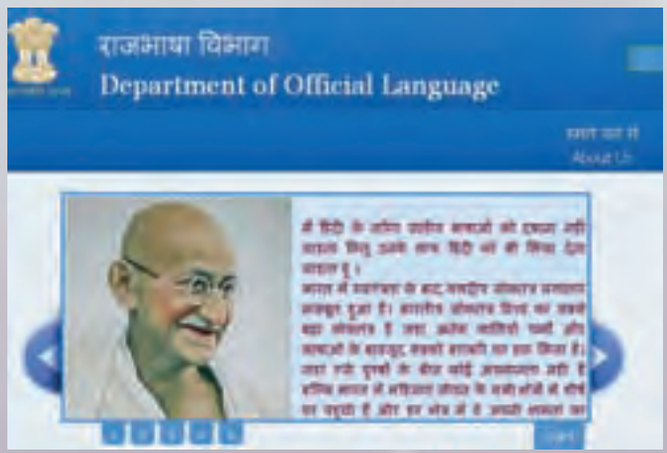

अंग्रेजी आज भी भारत में प्राथमिकता में बनी हुई है। हिंदी को भले ही संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो, पर सही अर्थों में अंग्रेजी रानी बनी हुई है और हिंदी दासी। हिंदी को भले ही संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो, पर सही अर्थों में अंग्रेजी रानी बनी हुई है और हिंदी दासी।

त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत यह तय हुआ था कि हिंदी भाषी इलाकों में हिंदी

पहली भाषा होगी, जबकि अंग्रेजी सहायक आधिकारिक भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी और तीसरी 'कोई भी क्षेत्रीय भाषा' होगी। यानी वह असमी, बांग्ला या तमिल कोई भी हो सकती है। गैर–हिंदी भाषी राज्यों में स्थानीय भाषा के बाद अंग्रेजी और हिंदी को अपनाया गया। यह माना गया था कि यह फॉर्मूला भारत को एक सूत्र में पिरोने में सहायक साबित होगा, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों के बच्चे अतिरिक्त भाषा के तौर पर देश के दूसरे इलाके की कोई भाषा सीखेंगे और गैर–हिंदी भाषा बच्चे हिंदी पढ़ेंगे। लेकिन कई हिंदी भाषी राज्यों ने इसका भी शार्टकट ढूढ़ लिया। दूरदर्शिता की कमी कहें या फिर भाषायी वैमनस्य यानि कि गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी का विरोध किया तो हिंदी भाषियों ने अन्य भारतीय भाषाओं का विरोध किया, नतीजन हिंदी भाषी राज्यों ने तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत को अपना लिया, जबकि तमिलनाडु जैसे राज्यों को दो–भाषा फॉर्मूले तक ही सीमित रखा। वैसे, कई अध्ययनों ने यह साबित किया है कि जिन बच्चों ने अपनी शुरूआती पढ़ाई मातृभाषा में की, उनका प्रदर्शन कहीं बेहतर रहा। इसी तरह, जिन्होंने बचपन से ही कई भाषाएं सीखीं, उनकी सीखने की क्षमता काफी विकसित हुई। अभी हाल ही में अमेरिका में किए गए एक अध्ययन ने यह साबित किया कि अंग्रेजी में मस्तिष्क का एक हिस्सा सक्रिय रहता है जबकि हिंदी में मष्तिष्क के दोनों हिस्से सक्रिय रहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी का लिखना व पढ़ना बाएं से दाएं बिना रूकावट के चलता है जबकि हिंदी में पढ़ना व लिखना बाएं से दाएं तो होता है, किंतु उसकी मात्राएं आगे–पीछे ऊपर–नीचे होने से मस्तिष्क का हर हिस्सा सक्रिय रहता है यानि मस्तिष्क ज्यादा विकसित होता है।

Vowels	Hindi	Punjabi	Bengali	Gujarati
A	अ म	ਅ ਮ	অ ম	અ મ
Aa	आ मा	ਆ ਮਾ	আ মা	આ મા
I	इ मि	ਇ ਮਿ	ই মি	ઇ મિ
Ee	ई मी	ਈ ਮੀ	ঈ মী	ઈ મી
U	उ मु	ਉ ਮੁ	উ মু	ઉ મુ
Oo	ऊ मू	ਊ ਮੂ	ঊ মূ	ઊ મૂ
E	ए मे	ਏ ਮੇ	এ মে	એ મે
Ey	ऐ मै	ਐ ਮੈ	ঐ মৈ	ઐ મૈ
O	ओ मो	ਓ ਮੋ	ও মো	ઓ મો
Ou	औ मौ	ਔ ਮੌ	ঔ মৌ	ઔ મૌ
Un'	अं मं	ਅਂ ਮਂ	—	અં મં
An'	अँ मँ	ਅਁ ਮਁ	অঁ মঁ	અઁ મઁ

यह अपने देश की विडंबना है कि हमें आजादी के समय ही सख्ती के साथ त्रिभाषा फार्मूला लागू कर हिंदी भाषियों को तमिल, तेलगु, मलयालम या कन्नड़ का ज्ञान सीखाना चाहिए था और गैर हिंदी भाषियों को हिंदी का ज्ञान प्रदान करना था। परिणाम यह हुआ कि 67 वर्षों बाद भी हम अंग्रेजी के गुलाम बने हुए है। बहरहाल, बुनियादी तथ्य यही है कि हिंदी समेत भारतीय भाषाओं का कोई विकास नहीं हुआ है। यदि हम लोकप्रिय के लिहाज से देखें, तो हिंदी बॉलीवुड की हिंग्लिश से प्रभावित हुई है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है। विशुद्ध हिंदी और हिन्दुस्तानी की बहस पहले ही खत्म हो चुकी है। कई हिंदी अखबार और न्यूज चैनल हिंग्लिश को खुशी–खुशी अपनाने लगे हैं, क्योंकि संप्रेषण के लिहाज से वे इसे अधिक प्रभावशाली पाते हैं। दक्षिण की राज्य सरकारें अपनी भाषाओं को बढ़ावा देने के प्रयास करती रही है, यहां तक कि उच्च शिक्षा में शामिल किया किया जा सके। राज्यों में इंजीनियरिंग की डिग्री भी स्थानीय भाषा में दी जाती है और जिन लोगों ने इसे माध्यम के रूप में चुना, आज भी वे बेहतर रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बावजूद इन विफलताओं के भाषा एक मसला आगे भी रहेगी, खासकर दक्षिण राज्यों में। संस्कृत की तरह ही तमिल भी एक शास्त्रीय भाषा है। और यह इस मायने में अनूठी है कि जनता के साथ संवाद में राज्य के तमाम नेता इसका शिद्दत से इस्तेमाल करते हैं। द्रविड़ आंदोलन के नेता तो इस भाषा के विद्वान हैं और इस सूबे के नेताओं ने अपनी राजनीतिक पहचान तमिल के सहारे ही गढ़ी है।

आजकल गलियारों में ऐसी हवाएं भी चलने लगी हैं या फिर कोरी कल्पनाएं या गप है कि अब नई सरकार के सत्ता में आने के बाद हिंदी को संस्कृतनिष्ठ बनाने की कोशिश फिर से जोर पकड़ने लगी है। सुनने में आया है संस्कृत भारती की इच्छा है कि जर्मन की जगह संस्कृत पढ़ाई जाए। केन्द्रीय विद्यालय से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यूं तो यह एक अच्छी पहल है मगर किसी भाषा की कीमत पर नहीं होना चाहिए और न ही जबरदस्ती। बल्कि रुचि और रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। इस तरह, भाषा से जुड़ी बहस या तो निष्क्रियता का शिकार हो गई या फिर अतिवाद का। यदि सरकारें भाषा–फॉर्मूला के प्रति ईमानदार न रहने की दोषी हैं, तो अब नई सरकार संस्कृत को थोपने की। लेकिन विद्यार्थियों का क्या? उन्होंने संस्कृत क्यों ली? अब तक के रिकॉर्ड बताते हैं कि मेधावी छात्रों ने हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के ऊपर संस्कृत को इसलिए तरजीह दी, ताकि वे इम्तिहान में बेहतर अंक हासिल कर सकें। देश में संस्कृत के अच्छे संस्थान की कमी है तथा भाषा एवं संस्कृत साहित्य की दिशा में शोध व अनुसंधान की भारी जरूरत है।

यहां पर यह एक अच्छी बात है कि किसी भी राज्य ने संस्कृत के पठन–पाठन को राजनीति का विषय नहीं बनाया। इससे एक बात तो यह साफ है कि पूरे भारत में संस्कृत के प्रति प्यार, स्नेह एवं सम्मान है तथा उसे लोग अपने पूर्वजों की भाषा मानकर सम्मान दे रहे हैं। दूसरी बात यह प्रकट होती है कि देश के नागरिक भी यही चाहते हैं कि हमारी आनेवाली पीढ़ी अपनी संस्कृति एवं वेद–पुराणों के ज्ञान को थोड़ा बहुत जानती व समझती रहे। संस्कृत साहित्य को असमय ही न खत्म होने दें तथा इस प्राचीन भाषा व साहित्य को नई–तकनीकों से लैस कर भंडारित कर लें ताकि आगामी पीढ़ियां इसे पढ़े एवं देखकर अपनी संस्कृति एवं अपनी विरासत पर गर्व कर सकें। कितना अच्छा होता कि संस्कृत की भांति ही हिंदी पर भी भाषायी बहस न होती और हम सब भारतीय हिंदी पर भी गर्व करते।

स्वाईन फ्लू

डॉ. वर्षा सोमदेवे
एमबीबीएस

तमाम कोशिशों के बावजूद देश में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। 16 फरवरी तक भारत में इस संक्रमण के 4000 नए मामले दर्ज किए जा चुके थे। अब तक इस महामारी से देश में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें राजस्थान के 175, गुजरात के 150, मध्यप्रदेश के 75, तेलंगाना के 46 और महाराष्ट्र के 58 लोग शामिल हैं। दिल्ली में भी इस फ्लू के संक्रमण की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। भारत में स्वाईन फ्लू के ज्यादातर मामले उन लोगों से फैले संक्रमण के कारण हैं, जिन्होंने हाल ही में अमरीका या यूरोप ही हवाई यात्रा की है। पर राष्ट्रीय राजधानी में एहतियात के तौर पर दिल्ली सरकार ने महामारी रोग निरोधी कानून को अभी तक प्रभावी नहीं किया है, ताकि संदिग्ध व फ्लूग्रस्त व्यक्ति को अनिवार्यतः अस्पताल में भर्ती किया जा सके।

विश्व स्वास्थ संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने स्वाइन फ्लू का नाम बदलकर 'इन्फ्लूएन्जा–ए' रख दिया है। पर इस रोग की दहशत कम नहीं हो रही। सामान्य वायरल बुखार के लक्षणों जैसा यह 'इन्फ्लूएन्जा–ए' संक्रमण आखिर इतना खतरनाक क्यों है, यह व्यक्ति को परेशान किए हुए है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार एच1एन1 से फैलने वाला 'इन्फ्लूएन्जा–ए' बुखार इसलिए भी ज्यादा घातक है, क्योंकि यह एवियन, ह्यूमन और स्वाइन फ्लू का सम्मिलित रूप है। यह वायरस बार–बार अपना जीन बदलने के लिए बदनाम है। चिकित्सा विज्ञान की भाषा में इसे 'एंटीजेनिक शिफ्ट' कहते हैं। इतिहास बताता है कि 'इन्फ्लूएन्जा–ए' वायरस 1957 एवं 1968 में भी जेनेटिक बदलाव कर चुका है। यह वायरस इतना खतरनाक है कि कभी भी करोड़ों लोगों की जान ले सकता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1918 में दुनिया में इस वायरस की चपेट में कोई 50 करोड़ लोग आ गए थे, जिनमें से लगभग 5 करोड़ की जान चली गई थी। अकेले भारत में ही इस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या कोई 60 लाख थी।

विगत कुछ वर्षों से पशुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के मामले ज्यादा ही देखे जा रहे हैं। बर्ड फ्लू, सार्स, एंथ्रेक्स, मैड काऊ डिजीज, स्वाइन फ्लू ये सब ऐसे ही रोग हैं। लोग इन रोगों से इतने आतंकित रहते हैं कि आशंका होने पर ही लाखों की संख्या में इन रोगों के वाहक पशुओं को मार डालते हैं। वैश्वीकरण के दौर में बढ़े औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने मनुष्य की जीवनशैली ही बदल दी है। पहले जहां पशुओं को खुले में रखने और पालने का प्रचलन था, वह अब बिल्कुल बदल गया है। बाजारीकरण में पशुओं/पक्षियों को महज 'खाद्य पदार्थ' के रूप में देखा जाता है। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए पशुओं पर क्रूरता से फैक्टरियों में विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें कृत्रिम और रासायनिक आहार दिए जाते हैं। उन पर विभिन्न दवाओं का प्रयोग किया जाता है।

तथ्य बताते हैं कि वर्तमान फ्लू मेक्सिको स्थित एक अमेरिकी पोर्क (सुअर का मांस) उत्पादक कंपनी 'स्मिथफील्ड फूड्स' के सुअरबाड़े से उत्पन्न हुआ है। मेक्सिको के ला–गोगिया नामक कस्बे से विगत मार्च 2009 में फैला यह फ्लू अब दुनिया के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। दरअसल 'स्मिथफील्ड फूड्स' दुनिया के सबसे बड़े पोर्क प्रोड्यूसर में से एक हे। इस प्रक्रिया मे वह सालाना 10 लाख से ज्यादा सुअरों का कल कत्ल करती है। काटे गए सुअरों के बेकार हिस्से को यह यों ही नदियों में बहा देती है या डंप कर देती है, जो फ्लू वायरस के पनपने का कारण बताए जा रहे हैं।

हमारे लिए चिंता का बात यह है कि अब जो घातक महामारियों का दौर शुरू हुआ है, उसके लिए हम अच्छी तरह से तैयार नहीं हैं। इन वैश्विक महामारियों से निपटने की हमारी तैयारी आधी–अधूरी और अविश्वसनीय है। एक चिंता की खबर है कि वायुमंडल में तापमान वृद्धि से घातक रोगों के विकराल होने की आशंका है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक पैनल की रिपोर्ट ने मच्छरजनित महामारियों में वृद्धि के संकेत दिए हैं। एक और चिंता की खबर यह है कि हाल में दवा कंपनियों ने टीबी व मलेरिया जैसे आम रोगों की दवाओं की कीमतों में 15 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है।

वहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण केन्द्र की रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान स्वाइन फ्लू वायरस अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना प्रांत के औद्योगिक सुअर उत्पादन केन्द्र में एक दशक पूर्व पाए गए फ्लू वायरस प्रजाति से निकला है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे घना सुअर उत्पादक प्रांत है। इस स्वाइन फ्लू से उत्पन्न वैश्विक संकट की तुलना दुनिया में जारी वैश्विक वित्तीय संकट से की जा रही है। कहा जा रहा है कि वित्तीय क्षेत्र की तरह इस क्षेत्र में भी कुछ ही बड़ी कंपनियों का वर्चस्व है, जो कि अपने मुनाफे के लिए पूरी दुनिया को संकट में डाल रही हैं। आधुनिक वित्तीय क्षेत्र की तरह आधुनिक खाद्य व्यापार भी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। मांस निर्मित खाद्य पदार्थों की दुनिया में मांग भी बढ़ी है। लेकिन अमेरिका–यूरोप सहित दुनियाभर के उपभोक्ता यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अपनी जीभ के स्वाद और तत्काल सुविधा के लालच में वे कितनी गंभीर मुसीबतों को न्योता दे रहे हैं।

स्वाइन फ्लू दरअसल कथित आधुनिक सभ्यता में झटपलट विकास और तुरंत मुनाफे के लालच में अपनाई जा रही दोषपूर्ण जीवन शैली का रोग है। यह रोग बढ़ती मांसाहार की प्रवृति का भी प्रतीक है। यह एक चेतावनी भी है कि पशुओं और पक्षियों को महज अपना भोजन समझने का परिणाम यह भी हो सकता है कि मानव सभ्यता ही नष्ट हो जाए। याद कीजिए, जब सन् 1996 में मैड काऊ रोग फैला था, तब ब्रिटेन में लाखों गायों को मारकर जला दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने अपनी प्रवृत्ति नहीं बदली। वे गाय को जीव के बजाय एक मांस उत्पाद (बीफ) समझकर आज भी उसका वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो।

शूकर इन्फ्लएन्जा, जिसे एच1एन1 या स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, शूकर

इन्फलएन्जा द्वारा फैलाया गया संक्रमण है। शूकर इन्फ्लूएंजा विषाणु (एसआईवी) इन्फ्लूएन्जा कुल के विषाणुओं का वह कोई भी उपभेद है, जो कि सुअरों की स्थानिकमारी के लिए उत्तरदायी है। 2009 तक ज्ञात एसआईवी उपभेदों में इन्फ्लूएन्जा सी और इन्फ्लूएन्जा ए के उपप्रकार एच1एन1, एच1एन2, एच3एन1, एच3एन2 और एच2एन3 शामिल हैं। इस प्रकार का इन्फ्लूएंजा मनुष्यों और पक्षियों पर भी प्रभाव डालता है।

शूकर इन्फ्लूएन्जा विषाणु का दुनिया भर के सुअरो में पाया जाना आम है। इस विषाणु का सुअरों से मनुष्य में संचरण आम नहीं है और हमेशा ही यह विषाणु मानव इन्फ्लूएन्जा का कारण नहीं बनता, अक्सर रक्त में इसके विरूद्ध सिर्फ प्रतिपिंडों (एंटीबॉडी) का उत्पादन ही होता है। यदि इसका संचरण, मानव इन्फ्लूएन्जा कारण बनता है, तब इसे जूनोटिक शूकर इन्फ्लूएन्जा कहा जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सुअरों के संपर्क में रहते हैं उन्हें इस फ्लू के संक्रमण का जोखिम अधिक होता है। यदि एक संक्रमित सुअर का मांस ठीक से पकाया जाये तो इसके सेवन से संक्रमण का कोई खतरा नहीं होता।

20वीं शताब्दी के मध्य में, इन्फ्लूएन्जा के उपप्रकारों की पहचान संभव हो गयी जिसके कारण, मानव में इसके संचरण का सही निदान संभव हो पाया। तब से ऐसे केवल 50 संचरणों की पुष्टि की गई है। शूकर इन्फ्लूएन्जा के यह उपभेद बिरले ही एक मानव से दूसरे मानव में संचारित होते हैं। मानव में जूनोटिक शूकर इन्फ्लूएन्जा के लक्षण आम इन्फ्लूएन्जा के लक्षणों के समान ही होते हैं, जैसे ठंड लगना, बुखार, गले में खराश, खांसी, मांसपेशियों में दर्द, तेज सिर दर्द, कमजोरी और सामान्य बेचैनी।

सुअरों में इन्फ्लूएन्जा संक्रमण के कारण ज्वर, सुस्ती, छींक, खांसी, सांस लेने में कठिनाई और भूख की कमी हो सकती है। कुछ मामलों में यह संक्रमण गर्भपात का कारण बन सकता है। हालांकि आमतौर पर मृत्यु सिर्फ 1–4 मामलों में ही होती है। यह संक्रमण सुअर का वजन घटा और विकास को प्रभावित कर सकता है जो उनके पालकों के आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। संक्रमित सुअर का वजन 3 से 4 सप्ताह की अवधि के दौरान 5 से 6 किलोग्राम तक घट सकता है।

कुछ मामलों में शूकर इन्फ्लूएन्जा विषाणु का संचरण, सुअरों से सीधे मनुष्यों में होना संभव है, इस स्थिति में इसे जूनोटिक शूकर इन्फ्लूएन्जा कहा जाता है। 1958 से लेकर अभी तक ऐसे सिर्फ 50 मामले ही रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से भी सिर्फ 6 व्यक्ति ही मृत्यु का ग्रास बने हैं। इन छह लोगों में से एक गर्भवती महिला थी, एक को ल्यूकिमिया था, एक हॉजकिन रोग का शिकार था और दो लोग पहले से स्वस्थ थे। भले ही यह प्रत्यक्ष मामले बहुत लगें पर वास्तविक संक्रमण की सही दर इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में यह सामान्य रोग ही प्रतीत होता है और इस कारण इसे रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। सन् 2014–15 में मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है।

मानव इन्फ्लूएन्जा के लिए उत्तरदायी, तीन वंशों के इन्फ्लूएन्जा घिणाणुओं में से दो, सुअरों में भी इन्फ्लूएन्जा फैला सकते हैं, जिसमें से इन्फ्लूएंजा ए तो बहुत आम है पर इन्फ्लूएंजा भी यदा कदा ही पाया जाता है। अभी तक इन्फ्लूएन्जा बी को सुअरों में नहीं देखा गया है। इन्फ्लूएन्जा ए और इन्फ्लूएन्जा सी के भीतर मनुष्य और सुअरों में पाये जाने वाले उपभेद भिन्न होते हैं हालांकि पुनःपृथक्करण (रीअसोर्टमेंट) के कारण उपभेदों में बड़े पैमाने जीन का स्थानांतरण देखा गया है चाहें यह सुअर, पक्षी या मानव प्रजाति में उपस्थित हो।

इन्फ्लूएन्जा सी

इन्फ्लूएन्जा सी विषाणु मानव और सुअरों दोनों को संक्रणित करता है लेकिन इसका संक्रमण पक्षियों में नहीं होता ।अतीत में भी इसका संचरण सुअरों और इंसानों के बीच हुआ है। उदाहरण के लिए इन्फूएन्जा सी के कारण जापान और कैलिफोर्निया में बच्चों के बीच इन्फ्लूएन्जा का कम प्रभावी प्रकार फैला था। अपनी सीमित परपोषी रेंज और आनुवंशिक विविधता की कमी के कारण इन्फ्लूएन्जा सी मानव में महामारी का कारण नहीं बन पाया है।

इन्फ्लूएन्जा ए

शूकर इन्फ्लूएन्जा, इन्फ्लूएंजा ए के उपप्रकार एच1एन1, एच1एन2, एच3एन2 और एच2एन3 के कारण होता है। पूरे विश्व में सुअरों में, तीन इन्फ्लूएंजा ए विषाणु उपप्रकार एच1एन1, एच3एन2 और एच1एन2 सबसे आम हैं।

एच1एन1 स्पैनिश फ्लू से आया, जो 1918 और 1919 के दौरान फैली एक महामारी थी जिससे लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए थे। जो वायरस स्पैनिश फ्लू से आया वह सुअरों में विद्यमान रहा। इसका संचलन 20वीं सदी के दौरान मनुष्यों में भी हुआ, यद्यपि यह वर्ष के उस समय होता है जब प्रतिवर्ष होने वाली महामारियां फैलती हैं, जिससे 'सामान्य इंफ्लूएन्जा और शूकर इंफ्लूएन्जा में अंतर कर पाना कठिन है। हालांकि सुअरों से मनुष्यों में होने वाले संक्रमण के मामले बहुत विरल हैं और 2005 के बाद अमेरिका में 12 मामले पाए गए हैं।

मनुष्यों में शूकर इन्फ्लूएंजा का मुख्य लक्षण हैं:–

ज्वर, गले में खरांश, जुकाम, खांसी, सिर व बदन दर्द, जोड़ों में कठोरता, उल्टी, मूर्छा, ठंड लगना

संक्रमण के लक्षण प्रकट होने के दो दिन के अंदर ही एंटीवायरल ड्रग देना अनिवार्य होता है। इससे एक तो मरीज को राहत मिलती है दूसरे बीमारी की तीव्रता कम हो जाती है। इलाज के दौरान तरल पदार्थों की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में करते रहना चाहिए।

नोट : डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा, एंटीबायोटिक्स न लें। स्वयं चिकित्सा के हानि हो सकती है।

ई–कॉमर्स

ललित कुमार
महाप्रबंधक

दुनिया भर में आए तीव्र विकास एवं वैज्ञानिक प्रगति के कारण लगभग सभी क्षेत्रों में कई अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। मनुष्य ने अपने विकास के साथ कभी किसी दौर में मुद्रा के प्रचलन के अभाव में परस्पर वस्तुओं की अदला–बदली विनिमय कर काम चलाया और हजारों वर्षों बाद मुद्रा के रूप में कौड़ियों, मनकों तथा बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया। समय के साथ धातु युग में धातुओं का प्रचार बढ़ा और इन धातुओं से मुद्रा तैयार हुई और मुद्रा के माध्यम से लेन–देन का कारोबार आगे बढ़ा। प्रारंभ में ये धातुएं मुख्यतः सोना, चांदी, तांबा व पीतल थे। काफी बाद में गिलट, स्टील एवं अल्यूमिनियम का प्रयोग हुआ। समय बीतता गया और कागजी मुद्रा का प्रयोग आया, जो एक प्रकार से किसी राष्ट्र के द्वारा एक वचन पत्र या रूक्का होता है। इस मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कीमत तय होती है और प्रतिदिन मूल्यांकित की जाती है। कुछ विशेष देशों की मुद्राएं यथा डालर, पौंड, रूबल एवं येन आदि के आधार पर विनिमय पर तय कर परस्पर व्यापार किया जाता है।

लेकिन अब लेन–देन में आमूल–चूल बदलाव आ रहा है। मोबाइल एवं इंटरनेट नेटवर्क जैसी सुविधाओं के प्रयोग में तेजी से वृद्धि आने के बाद परंपरागत व्यापार एवं लेन–देन में अनेक नई विधाएं जुड़ी हैं। पहले लोगों को अपना सामाना खरीदने के लिए बाजार में एक खास शोरूम, दुकान या स्टोर जाना पड़ता था, आज भी लोग खरीददारी करने जाते हैं पर अब एक ऐसा दौर भी प्रचलन में आया है जहां आप इंटरनेट में कुछ खास साइटों को खोलकर अपनी मनपसंद वस्तु को चुनकर हाथो–हाथ आर्डर देकर प्राप्त कर लेते हैं। यहां पर भुगतान के लिए क्रेडिट/डेबिट कार्ड से रकम चुकता कर दी जाती है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो माल की सिपुर्दगी (डिलीवरी) के समय नकद भुगतान प्राप्त करना भी स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार की खरीददारी या व्यापार को ई–कामर्स कहा जाता है। इसमें कई कंपनियां अपना माल सीधे बेचती है जबकि कई सारी कंपनियां ई–कामर्स कंपनियों के साथ अनुबंध के तहत माल बेचती हैं। ई–कामर्स क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही के लिए किफायती होता है। क्योंकि ऐसी कंपनियां कारखाना/कंपनी/उत्पाद सेंटरों से थोक में माल बहुत ही कम मार्जिन के साथ खरीदती हैं और सीधे ग्राहक को प्रदान की जाती है। इस तरह बीच में आने वाले वितरक, उप वितरक या दलालों तथा फुट कर विक्रेता के मार्जिन एवं स्थानीय कर आदि से छूट भी मिल जाती है। जो ये कंपनियां काफी हद तक ग्राहक को प्रदान कर देती है। ई–कामर्स के तहत काम करने वाली कंपनियां एक प्रतियोगी माहौल में भी काम करती है अतः वे माल पर वारंटी/गांरटी के साथ–साथ टूट–फूट संबंधी वापसी या पसंद न आने पर तुरंत वापसी या विनिमय/बदलाव की गांरटी भी देती हैं या फिर 15 से 30 दिन तक की अवधि भी देती है जिस दौरान इन्हें बदला या वापस किया जा सकता है। बाजार एवं ग्राहकों के बीच इनकी साख में तेजी से वृद्धि हो रही है और कुल कारोबार की भागीदारी में बहुत तेजी से बढ़ोत्तरी भी हो रही है। यह सभी लेन–देन ई–कामर्स के दायरे में माने जाते हैं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी ज़माने में अर्थव्यवस्था में लेनदेन मुख्य रूप से उत्पादक और उपभोक्ता के बीच होता था। जैसे किसान सब्जी उगाता है और एक परिवार उसकी खपत करता है। यदि परिवार का कोई सदस्य गांव जाकर लौकी खरीदे तो कठिनाई होती है, इसलिए समाज ने मंडी और दुकानदार बनाए। अब यह काम इंटरनेट के जरिए होने लगा है। कई शहरों में लोगों ने सब्जी पहुंचाने की वेबसाइट बनाई है। आप सुबह अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। साइट का मालिक मंडी से सब्जी लाकर सीधे आपके घर पहुंचा देगा। सब्जी पसंद न आए तो आप लौटा सकते हैं। दुकानदार और ठेले वालों की जरूरत घटने लगी है।

कई शोरूम एवं बड़े–बड़े मेगा स्टोर के मालिकों को डर सताने लगा है। वे भी ई–कॉमर्स से समस्या पैदा होने की बात कहने लगे हैं। पर विरोधों के बावजूद ई–कॉमर्स फलता–फूलता रहेगा। जिस प्रकार घोड़ागाड़ी का स्थान ऑटोरिक्शा ने और एसटीडी फोन बूथ की जगह मोबाइल शॉप ने ले ली, उसी प्रकार दुकानदारी के एक हिस्से पर ई–कॉमर्स का दबदबा हो जाएगा। यह बदलाव पूरी दुनिया में हुआ है। एक रपट के अनुसार ग्राहकों की कमी से दुकानें खाली होने लगी हैं, क्योंकि ग्राहक ई–कॉमर्स की ओर मुड़ गए हैं। ये समस्याएं पश्चिमी एवं कम आबादी वाले देशों में ज्यादा दिख रही है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देशों में अभी इसका प्रभाव कम महसूस हो रहा है। पर अगले 10 सालों में यह असर काफी दिखेगा।

ई–कॉमर्स से उपभोक्ता की चॉइस में विस्तार हो रहा है। पहले मोबाइल

खरीदना था। तो तीन चार दुकानों में जाकर केवल कुछ ही मॉडल देखने को मिलते थे। ऑनलाइन सर्च करें तो 20–25 मॉडल दिखे जाते हैं और अपना मनपसंद मॉडल एक ई–कॉमर्स वेबसाइट से खरीद सकते है। पंसद की चीज भी मिली और सुविधा भी। एक प्रकाशक ने बताया कि उनकी पुरानी पुस्तकें नहीं बिकती थीं। बुकसेलर केवल नई पुस्तकें रखना चाहते थे। उन्होंने अपनी सारी किताबों को वेबसाइट पर डाला तो पुरानी पुस्तकें भी बिकने लगीं। जिन चुनिंदा ग्राहकों को इन बुक्स की जरूरत थी, उन तक इन्हें पहुंचाना मुमकिन हो गया। अब ग्राहक को

अलग–अलग प्रकाशकों के शोरूम में जाकर पुस्तक मांगने की बजाए उनकी साइट पर खोजना आसान है। कई बार तो नाम भर और पुस्तक मिल जाती है।

दुकानदारों को इस परिस्थिति से निपटने पर विचार करना होगा। वे ऐसी सेवाएं मुहैया कराएं, जो ई–कॉमर्स से उपलब्ध नहीं हो सकती है। जैसे ट्यूटोरियल, डांस ट्रेनिंग, बाल काटना, मालिश करना, भाषाएं सिखाना आदि। आने वाले समय में इन सेवाओं की मांग बढ़ेगी, जबकि किताब, सब्जी, टेलिविजन और कपड़ों की बिक्री ई–कॉमर्स के माध्यम से ज्यादा होगी। ई–कॉमर्स से हमारे लिए पूरी दुनिया का बाजार खुलने की संभावना है। तमाम ऐसी सेवाएं हैं जो इंटरनेट के माध्यम से दूसरे देश पहुंचाई जा सकती है। मेरे एक जानकार ने अमेरिकी छात्रों को ऑनलाइन ट्यूशन देने का काम शुरू किया है। तमाम भारतीय इंजीनियर विदेशियों की वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के साथ–साथ विभिन्न भाषाओं के बीच अनुवाद की मांग बढ़ेगी। भारतीय युवा जर्मन से जापानी में अनुवाद कर सकें तो बहुत बड़ा बाजार उनकी सेवा के लिए तैयार रहेगा। आज ऑनलाइन अनुवाद की मांग बढ़ी है तथा बिना किसी देरी के भुगतान भी प्राप्त हो रहे हैं।

बड़ी इंटरनेट कंपनियों के लिए स्थानीय सेवाएं उपलब्ध कराना कठिन होता है। जैसे आपको गुड़गांव में गणित की ट्यूशन चाहिए। अब कैलिफोर्निया स्थित अमेजन के लिए पचासों टीचरों की काबिलियत जांचना, उनकी लोकेशन के अनुसार ग्राहक से मैच कराना, उनके रेट एवं उपलब्धता को ग्राहक की सुविधा के अनुसार एडजस्ट करना कठिन होगा। इसलिए दुकानदारों को चाहिए कि ई–कॉमर्स के माध्यम से स्थानीय बाजार को माल तथा सेवाएं उपलब्ध कराएं।

प्रायः लोग माल खरीदने से पहले देखना–सुनना चाहते हैं, यानि ठोक बजाकर खरीददारी करते हैं। यही कारण है कि कई बार लोग केवल इंटरनेट से जानकारी जुटाते हैं, पर खरीददारी बाजार जाकर करते है। फॉरेस्टर कंसल्टिंग द्वारा इंग्लैंड में किए गए एक अध्ययन में पता चला कि

38 प्रतिशत लोग माल की खोज इंटरनेट पर करते हैं, लेकिन खरीदते हैं दुकान से। कारण कि माल में शिकायत आने पर आप दुकानदार से शिकायत कर सकते हैं, सामान बदल सकते हैं। वेबसाइट से खरीदे सामान में ऐसा करना कठिन होता है। किसी व्यक्ति ने ई–कॉमर्स के माध्यम से कोई सॉफ्टवेयर खरीदा। सीडी आई तो वह बताए गए सॉफ्टवेयर की नहीं निकली। वापस किया तो जवाब आया कि यह विक्रेता द्वारा भेजी गई सीडी नहीं है। ऐसी समस्या दुकान से की गई खरीदारी में कम आती है। बड़ी ई–कॉमर्स साइटों से घबराने की जरूरत नहीं है। हर व्यापार का एक विशेष साइज होता है। जैसे 10,000 लोगों को बैठाने वाले रेस्तरां नहीं बनाए जाते। एक ई–कॉमर्स कंपनी ने बताया कि माल की बुकिंग के तीन दिन के अंदर डिस्पैच करना होता है अन्यथा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और बदनामी भी होती है। इसलिए भरोसेमंद सेवा देना छोटी ई–कॉमर्स कंपनियों के लिए लगातार चुनौती बना रहेगा। जैसा कि हमने लेख में पहले ही बताया है कि बहुत सारी कंपनियां तमाम तरह की वारंटी एवं विकल्प भी देती है, क्योंकि ये ई–कामर्स से जुड़ी कंपनियां भी मानती

हैं कि ग्राहक सर्वोपरि है।

ई–कॉमर्स में भारत की संभावनाओं को साकार करने में सरकार की अहम भूमिका रहेगी। लोग छोटी साइटों से माल खरीदने में कतराते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता कि सही क्वालिटी का माल सही समय पर आएगा। इसलिए सरकार को ई–कॉमर्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर देना चाहिए और इससे जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए अलग पुलिस ढांचा बनाना चाहिए। विकसित देशों के संगठन ओईसीडी के एक अध्ययन में कहा गया है कि छोटे उद्योगों के लिए खुले और प्रतिस्पर्धात्मक ई–एक्सचेंज बनाना बेहद जरूरी है। सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। जिस प्रकार बड़े उद्योगों पर अधिक एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, उसी प्रकार बड़ी ई–कॉमर्स कंपनियों पर टैक्स लगाना चाहिए। सरकार को जहां स्पष्ट कानून एवं नियम बनाने चाहिए, वहीं इन पर मोनीटरिंग भी की जानी चाहिए। ग्राहक की शिकायत पर निवारण न होने की दशा में त्वरित निपटान की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ सरकार को एक सरल एवं पारदर्शी कर प्रणाली लानी चाहिए ताकि सरकारों को कर की हानि न हो तथा ग्राहक या ई–कामर्स कंपनी पर दोहरा कराधान न पड़े। यह बात हम सबको माननी ही पड़ेगी कि भविष्य में मानव की व्यस्त जीवन शैली एवं खरीद क्षमता में वृद्धि के देखते हुए ई–कामर्स का भविष्य बहुत ही व्यापक और उज्जवल है। वह दिन दूर नहीं है जब बहुत सारे लोगों के किचन की जिम्मेदारी ई–कामर्स के माध्यम से पूरी होगी। जरूरत का हर सामान घर बैठे एक क्लिक पर उपलब्ध होगा।

किसना

श्रीमती उमा सोमदेवे

जवानी में की गई सारी अच्छी–बुरी बातों को स्मरण कर विश्लेषण करने का वक्त बुढ़ापे में ही मिलता है। नौकरीपेशा लोग यह कार्य सेवानिवृत्ति पश्चात ही करते हैं। किसना ने भविष्य की अनेक योजना बनाई है। उसमें से कुछ को अमलीजामा पहनाने का वक्त आ गया है। सेवानिवृत्ति यानि की एक बड़ी झंझट से मुक्त होने का पर्व। वास्तविक आज़ादी का समय। अत्यंत प्रसन्न मन से नाचने, गाने, विपश्यना करने, योग प्राणायाम करने का त्योहरमय समय। आज़ाद पंछी की तरह आसमान में उड़ान भरने का पासपोर्ट। यह जीवन का अंतिम पड़ाव। बहुत सुहाना। बहुत मज़ेदार। यह अच्छी बात है कि किसना को अपने जीवन के अंतिम पड़ाव के दिन देखने को मिले वरना आजकल तो आधे–अधूरे जीवन के साथ ही लोग विदा हो जाते हैं। किसना इस मामले में भाग्यवान निकला।

इधर कुछ दिन पहले किसना अपने घर (वनग्राम) हो आया। उसने बताया कि गांव की हालात बिगडने वाली है। मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है। गांव के जो लोग मार्ग के किनारे रहते हैं उनकी शामत आ गई है। आगे पीछे सरकने की जगह नहीं। आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति है। चूकि हजारो वर्षों से सरकारी जमीन पर गांव बसा है किसी के भी पास मालिकाना हक नहीं है। गांव के सड़क किनारे के लोग पूरी तरह से उजड़ जायेंगे मगर उन्हें एक पैसा भी मुआवजे के तौर पर मिलना नहीं है। घर बार लुटने के साथ–साथ जिन किसानों की जमीनें मार्ग के किनारे है उसका भी अधिकांश हिस्सा मार्ग के काम आयेगा। उस जमीन का न के बराबर मुआवजा मिलेगा। ऊपर से बिक्री हेतु प्रतिबंध। अनेक गांव निवासी तथा सीमांत किसान परेशान। पहाड़ों पर घर बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चूंकि पहाड़ भी कच्चे मुरम के हैं घरों को पक्का ईंट गारे तथा सरिया से पिल्लर युक्त बनाना जरूरी है वरना कब ढह जायेंगे पता नहीं। ये मार्ग के चौड़ीकरण का किस्सा काफी पुराना है। संभव है इससे व्यापारी तथा उद्योग जगत को फायदा होगा। मगर गांव वालों का क्या? उन्हें तो मुसीबत ही हाथ लगेगी क्योंकि जो पहले शुद्ध वातावरण का माहौल था अब रात–दिन तेजी से निकलते वाहनों का शोर होगा। गांव का रास्ता सिमट जायेगा।

विकास अपने साथ कईयों का विनाश साथ लेकर आता है। शहरों में लोगों में एकता होती हैं कि सभी समस्या के सार्वजनिक समाधान के लिए तुरंत भीड़ जुड़ जाती है। इससे प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है। गांव में आपसी दुश्मनी इतनी अधिक होती है कि राष्ट्र को छोड़ो पड़ोसी के कल्याण के लिए भी लोग आगे नहीं आते। हर प्रकार की सुख सुविधा के लिए लोग सरकार से अपेक्षा करने लग जाते हैं। जंगल पहाड़ों में और सरकारी जमीन पर घर बनेंगे। शेर, भालू के साथ–साथ सरकारी मुलाजिमों की मार सहनी पड़ेगी। कब कौन आ जाए और बर्बाद कर जाये पता नहीं चलेगा। गांवों के शहरीकरण के चक्कर का कुछ स्वार्थी और चालाक लोग बड़ा फायदा उठाते हैं। वे गांववालों की जमीन का एग्रीमेंट दिखाकर बिना अकृषि घोषित करवाए प्लॉटिंग कर देते हैं। गांव के या साधारण मध्यम श्रेणी के लोगों को प्लाट खरीदने से मतलब है। सस्ते दाम में प्लाट बेचने का सौदा कर पैसे लेकर ये सौदागर गांव से रफूचक्कर हो जाते हैं। जिसका खेत था वह चौड़ा हो जाता है कि उसे पैसे नहीं मिले इसलिए किसी को भी कब्जा नहीं होने देता। प्लाटों के रजिस्ट्री का तो प्रश्न ही नहीं, इसलिए खरीदने वाले हाथ मलकर रह जाते हैं जबकि सौदागार अगले दूर किसी गांव में फिर से वही खेल खेलने निकल पड़ता है। यह सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है। इस खेल को खेलने वाले जो अक्सर बाहर के होते हैं गांव के दबंगो से साठगांठ रखते है। अपने ही तरह धोखेबाजों से उनकी दोस्ती होती है वरना ऐसा धोखेबाजी का खेल वे खेल नहीं सकते। प्रशासन के कुछ लोग भी इनसे मिले हुए होते हैं जो जानबुझकर इस तरफ ध्यान नहीं देते। सस्ते प्लाटों के चक्कर में किसना एक बार पैसे गंवा चुका है इसलिए वह धोखेबाजों को पहचान गया है।

गांव का किसान भी अब एकड़ की बात नहीं करता। उसे मालूम है एकड़ का भाव कम होता है इसलिए लोग उन्हें ठग लेते है। वह तो अब फुट के हिसाब से जमीन बेचता है। बिना अकृषि जमीन को परिवर्तित किए बेचने पर कई गांवों और अर्धशहरी इलाकों में महानगरों की तरह अवैध बस्तियां बन गई हैं। शहरों में तो शासन का ध्यान शीघ्र आकृष्ट हो जाता है मगर गांवों में नहीं। वहां लोग अपनी समस्या का हल खुद निकालते हैं। पानी और सीवर की समस्या का गांवों में कोई स्थाई उपाय नहीं है। अधिकतर बिमारियां पानी के कारण होती है उसके बावजूद पानी छानकर या उबालकर पीने की किसी को फुर्सत नहीं है। एक्वागार्ड या आरओ जैसे

सिस्टम यंत्र लगाकर पानी को स्वच्छ करने का तो सवाल ही नहीं। गांव के लोगों ने शायद ही ये नाम सुने होंगे। इसका गंदा पानी उसके आंगन में और उसका पानी किसी तीसरे के घर में। पीने के पानी के लिए हैण्डपंपों पर निर्भर होना आम है। जो भी पानी मिले उसे गटको। बिमारियां पालो और शीघ्र ही नर्क में कूच करो ऐसी परिस्थिति होती है। जीवन का आनंद कम मरण का डर हमेशा साथ लिए लोगों को बड़ी अजीब अवस्था में देखा जा सकता है। किसी के भी चेहरे पर हंसी के भाव नहीं। सारे के सारे भरी जवानी में बूढ़े नजर आते हैं। देशी खुले तेल का प्रयोग करने से बिन खाए भी लोगों में चर्बी बढ़ने की बिमारी हो गई है। लोगों को लगता है सेहत बन

रही है मगर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। शरीर की चर्बी बढ़ने से शरीर और अधिक बिमारी ग्रस्त तथा कमजोर होता है। दिखने में तंदरूस्त मगर अंदर से खोखला। एक दिन के ज्वर से बेहाल। सर्दी खांसी से दो दिन में बुरा हाल। सहनशक्ति का प्रश्न ही नहीं है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का नितांत अभाव। कमजोर व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। वह अपराध करने में आगे पीछे नहीं देखता। या यूं समझो उससे अननायास ही अपराध हो जाता है। अपराध बोध भी उसे नहीं होता। मामूली झगड़े में लोग पुलिस की भेंट चढ़ जाते हैं। पढ़े लिखे लोग भी गंवार से कम नहीं। मामला जहां के तंहा सुलझाने की कला नहीं आती। किसी भी समस्या का हल हिंसा से नहीं होता। मगर गांव में अहिंसा का अभाव है। हर आदमी औरत खौलते हुए नजर आता है जैसे वह दूसरों का मिटाकर रख देगा। किसना अपने गांव का यह हाल देख बहुत दुखी हुआ।

कई लोगों के मृत्यु के समाचार सुनकर किसना को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि मृतक के जाने का वक्त नहीं था। अभी तो वह महज 40 वर्ष का था। देशी कच्ची–पक्की शराब की लत ने ऐसा कहर ढाया कि उस्ताद निकल लिया। यह गंभीर बिमारी है। समाज सुधारकों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसना के गांव में योग प्राणायाम तो शायद ही लोग करते होंगे। हां उन्हें इसका मज़ाक उड़ाते हुए आप देख सकते हैं। गांव में इतनी अधिक जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद लोग क्यों छोटे–छोटे झोपड़े नुमा मकान बनाते हैं मालूम नहीं? शायद वन्य जीवों के डर की वजह से। खुले वातावरण में रहने का किसी को शौक नहीं। जान–बूझकर वातातरण को दमघोटू बनाया जाता है। मकान क्या उन्हें घर की कहा जाएगा। लोग अपने घरों को ऊंची कीमत पर बेचना चाहते हैं। ये जानते हुए भी कि जमीन उनके बाप की नहीं है। सरकारी जमीन मगर घमंड इतना कि जैसे उनके बाप–दादाओं ने पहले गांव के पटेल से और बाद में अंग्रेजों से रजिस्ट्री करा ली थी। गांव में कोई भी व्यक्ति अपने सही शारीरिक ढांचे में नहीं है। प्रकृति पदत्त शारीरिक ढांचे को स्वयं ने बर्बाद कर दिया। कोई इधर झुका हुआ तो किसी की स्थाई तौर पर गर्दन टेढ़ी हो गई है। कोई इतना मोटा और कोई छोटा नाटा कागज की तरह मुड़ा हुआ। 100 में से 90 को कोलेस्ट्रॉल और शुगर की बिमारी होगी। सही इलाज कराना तो दूर बिमारी को बढ़ाने के और अधिक उपाय किए जाते हैं। मीठा खा–खा कर कई लोग शुगर की बीमारी बढ़ा चुके हैं और ऊपर जाने को तैयार मगर इलाज करते नहीं। समीपस्त गांव में बैठा एक डॉक्टर 100–150 की दवा देता है जिसमें उसकी फीस भी सम्मिलित होती है मगर उस पढ़े–लिखे एमबीबीएस डाक्टर की भी सलाह को कोई नहीं मानता है। कई लोग दवा लेकर आएंगे मगर पीएंगे नहीं। उसकी जगह कच्ची पक्की दारु पीएंगे और न करने वाले कार्य कर मुसीबतों को मोल लेगें। शैतानों की कमी नहीं।

गांव में भी राजनीति का रोग फैला हुआ है। कई लोग मिले जिन्होंने अपना राजनीतिकरण कर लिया है और आए दिन पाला बदलते रहते हैं। कोई योग्यता न होने की वजह से उनकी किसी बात का कोई महत्व नहीं। फिर भी वे ऐसी बाते करेंगे जैसे पूरा गांव उनकी राजनीति का कायल है। अधिकतर गांव के नेता कम पढ़े–लिखे और तिकड़मबाज हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका आकलन करने वाला नहीं है। राजनीतिक माहौल खराब करने में वे आगे–पीछे नहीं देखते। ये वही झुठभय्ये नेता हैं जो शहरी बड़े नेताओं का प्रसाद गांव में बाटते हैं। समय बलवान होता है इनका। गांव में एक कहावत है समय बलवान तो गधा भी पहलवान।

गांव का जंगल कट चुका है और उसकी जगह फॉरेस्ट यानि की वन रोपित किया गया है। अब जंगलों में झाड़ियां नहीं होती। बड़े–बड़े कमर्शियल वृक्ष होते हैं जिनपर चोरों के साथ–साथ वन विभाग की कड़ी नजर रहती है। फिर भी अवैध टिंबर चोरी और सीनाजोरी का कार्य चलते रहता है। कुछ लोग चोरी करना और कराने का शौक पाले बैठे हैं। उनसे खुदा बचाए। ऐसे व्यक्ति नेतागिरी भी करते हैं और दबंगई भी। ये लोग कुछ हद तक लोगों का कल्याण भी करते हैं मगर सब से अधिक अपने खुद का। गांव के सरकारी तालाब से मछलियां चोरी करना कोई नई बात नहीं है। चौकीदारों को मदिरा का सेवन करा कर खुली लूट को अंजाम दिया जाता है। सब बरसों से हो रहा है। मगर स्थिति सुधरने की कोई गुंजाईश नहीं है। मुख्य मार्ग पर गांव बसा होने की वजह से लोग अपना अलग तरीके से विकास कर लेते हैं। गांव में अधिकतर लोग दंबगों के ऋणी होते हैं। वे उसका ही कहा मानते हैं। उसी के कहने पर कुछ भी उल्टा–पुल्टा करने को नहीं डरते। प्रशासन पुलिस को जेब में रखकर चलते हैं। कानून अपने हाथ में लेना मामूली बात है। किसी के घर में घुसकर उसे मारना, किसी की इज्जत चौपट कर देना और किसी भी तरह की नालायकी करना मामूली बात है। यह कुछ इस तरह होता है जैसे यह उनका जन्म सिद्ध अधिकार है।

उस गांव की समस्या के लिए किसी विधायक या सांसद ने प्रयत्न किए हो ऐसा कभी नहीं हुआ। इलाके के सांसद के दर्शन किसी ने भी शायद ही किए हों। विधायक जनता की भाषा ठीक से नहीं समझता तो समस्या क्या सुलझाएगा। विधायक, सांसद दोनों व्यापारी । इनसे छोटे जनप्रतिनिधियों की क्षमता मर्यादित होती है। वे चाहकर भी जनता की अधिक मदद नहीं कर सकते। उस गांव का दुर्भाग्य है वहां कोई काम करने वाला जनप्रतिनिधि देखा ही नहीं गया। वृद्धों की हालात गंभीर हैं। उनकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं। जवान लड़के होकर भी उनकी सुध लेना वाला कोई नहीं। कोई वृद्धावस्था पेंशन तो कोई निराश्रित पेंशन पर जी रहा है। कोई लावारिस पड़ा है तो कोई अपने नाती–पोती की राह देख रहा है। सरकार ने आर्थिक सहायता न दी होती तो उनका क्या होता भगवान को मालूम? हर वृद्ध की अपनी कहानी है। कई वृद्ध बेटियों के सहारे जीवित हैं। बेटे 100–50 देकर अपने कर्तव्य पूरे कर लेते हैं। कभी–कभी दवा–दारू का इंतजाम भी कर देते हैं। मगर बड़े बेमन से। इसका विश्लेषण करने पर पता चलता है कि बुजुर्गों ने भी अपनी जवानी में बच्चों की अच्छी देखभाल नहीं की। परिणाम स्वरूप बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़े। अधिकतर बच्चे संस्कार विहीन होते हैं क्योंकि मां–बाप संस्कार विहीन होते हैं। घर के नाम पर टूटी मिट्टी की झोपड़ियों में रहना वृद्धों के लिए कितना भी कष्टदायक हो मगर नियती है। पुश्तैनी झोपड़ी में रहकर अंतिम प्रवास को कूच कर जाना अंतिम इच्छा होती है उनकी। हर गांव देहात में यही हाल है। जहां डोली आई थी वहीं से अर्थी उठेगी। बुजुर्गों का सम्मान न करना एक सामाजिक कुरीति जैसा है। मगर यह सब पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। जैसा बोया वैसा काट रहे हैं।

जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मगर किसना के गांव में जीवन का विशेष मूल्य नहीं है। अधिकतर घरों में कलह का वातावरण है। घर संसार बस एक मजाक। रहते तो सब एक साथ मगर किसी को किसी से कोई मेल नहीं। सब मिट्टी के माधो। सब जीवंत रहने की कोशिश में जीने वाले। जीना क्या जीने का ढोंग करने वाले। किसी का किसी पर भी नियंत्रण नहीं। सब बेलगाम मगर स्वांग ऐसा रचेंगे कि सब अनुशासित हैं और सभी बड़े आज्ञाकारी। सभी लोगों की आय कम और खर्च ज्यादा। सब एक दूसरे से उधार मांगने को तत्पर। सभी एक दूसरे को गुमराह कर लूटने में माहिर। किसी को किसी के साथ भाईचारा या प्रेम नहीं। सब मिस कॉल देकर बात करने वाले।

किसना के गांव तथा आसपास के इलाके में प्रेमरोग की बिमारी है। अधिकतर यह रोग युवा वर्ग में पाया जाता है परंतु 50 के पार लोग भी एक दूसरे पर शक करते हैं। लोग बेतुकेपन से बाज नहीं आते। यह जानकर भी कि शक की कोई दवा नहीं होती है। मामले मारपीट से लेकर पुलिस और चौपाल तक पहुंच जाते हैं। अधिकतर मामले में तलाक की बात तो शुरू होती है मगर चंद दिनों में समझौता हो जाता है। पति पत्नी को न मारने–पीटने की गारंटी देता है। बच्चों से अच्छे व्यवहार की भी गारंटी देता है। मगर अफसोस चंद दिन बाद वहीं प्रक्रिया शुरू होती है। आस–पड़ोस, नाते रिश्तेदार और स्थानीय पुलिस भी परेशान। यह

परेशानी का सिलसिला कई–कई वर्ष चलते रहता है। पति–पत्नी और बच्चे तो आपस में मिल जाते हैं मगर नाते रिश्तेदार बुरे हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यह होता है कि बिगड़ैल पति–पत्नी के बीच कोई न आये। बच्चे पढ़े–लिखे होकर भी गंवारों जैसा व्यवहार करते हैं। अपनी बदनामी अपने हाथ से करने में कोई संकोच नहीं करता। दूसरों के इज्जत का तो कोई ख्याल नहीं रखता। बात बहुत मामूली होती है मगर बात का बतंगड़ बनाया जाता है। प्रत्येक पक्ष अपने को निर्दोष कहता है। दोष तो बस पुरुष का ही है ऐसा सब सोचते हैं। पुरुष को समझना है ऐसी विचारधारा रखने की कोई जरूरत नहीं समझता। हर बात घर से चौराहे पर पहुंच जाती है। पहुंचाने वाला हर एक व्यक्ति दूसरे पर शक करता है। हर व्यक्ति दूसरे को बीबीसी का संवाददाता कहता है। कोई भी बात गोपनीय नहीं होती परंतु हर एक व्यक्ति समझता है कि सिर्फ वही जानता है और दूसरा अनभिज्ञ। सब वहम में जीते हैं। जीना सारा बेढंगी मगर यही जिंदगी है उस गांव में बसने वाले हर व्यक्ति की। भगवान सभी का भला करे किसना यही कामना करता है।

दुख किसी को कहकर नहीं आता। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति सम्पन्न होकर भी कंजूसी की वजह से अपना इलाज न कर सका हो? जो व्यक्ति किसी को चाय तक पिलाने की भी इच्छा न रखता हो और हमेशा दूसरों के घर दावत उड़ाने के लिए तत्पर हो वह ऐसा कर सकता है। जिसके लिए पैसा ही सब कुछ हो वह धनसंग्रह के लालच में खुद पर भी एक पैसा खर्च नहीं कर सकता। जिसने अपने भाई, बहन और रिश्तेदारों का मान–सम्मान और आतिथ्य न किया हो वह आदमी बिल्कुल निराला समझें। ऐसे ही एक निराले व्यक्ति का हाल ही में देहांत हो गया। वह किसना का भाई था। कंजूस और मक्खीचुस दोनों विशेषण उसके लिए फिट बैठते थे।

कहने भर को वह किसना का भाई था। मन से वह सबसे दूर था। भाई–भाई होता है। यदि भाई गुजर जाए तो लगता है एक बाजू टूटकर गिर गई। मगर किसना के भाई के जाने का किसी भी भाई को दुख न हुआ। ऐसे हुआ मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गिनती के चार लोग क्रियाकर्म में पहुंचे। सद्गति हुई। तीसरे दिन तीसरा हुआ और सब कुछ समाप्त हुआ। किसना को भाई के जाने का दुख है किंतु भाई की करनी को ध्यान में रखते हुए किसना उसके क्रियाकर्म में शामिल न हो सका। घमंडी भाभी का दंभ अब भी कायम है। सुना है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वैसा ही बड़बोलापन और अकड़ का स्वभाव। रत्तीभर बदला नहीं। भाई के जाने में भाभी का असहयोग कारणीभूत है। उसने भाई का ख्याल न रखा। जानते हुए कि शुगर के मरीज को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वह उससे दूर चली गई थी। लौट कर आई तो उसे पति की लाश मिली। लड़का, लड़की और बहु कोई पास नहीं, कोई साथ नहीं। सोया तो सोकर ही रह गया। आत्मा गगन में दूर कूच कर गई। खेल खत्म हो गया।

भाई का साथ न हो तब भी भाई–भाई होता है। कम से कम था तो सही। कहने को तो था कि भाई है। अब वह भी नहीं रहा। रह गई केवल यादें। किसना की उसने कोई मदद नहीं की। कर भी नहीं सकता था क्योंकि पत्नी का आदेश था। पत्नी भक्त किसना का भाई स्वविवेकी नहीं था। वह सामाजिक प्राणी नहीं था। मिलनसार तो बिल्कुल भी नहीं। स्वार्थी कहना उचित होगा। एकला चलो रे में विश्वास करने वाला। मेल–जोल बढ़ाने का उसको शौक नहीं था। शौक था दूसरों की मुर्गियों की दावत उड़ाने का। उसने सबका खाया। किसी को उसने नहीं खिलाया। उसकी यह दशा शादी पश्चात हुई थी। साथ–साथ पढ़ता था, रहता था, तब की बातें अलग थी। स्कूल से घर वापस आने पर वह सभी भाई–बहनों को पढ़ाता। उनकी परीक्षाएं लेता। बकायदा स्कूल की तरह पेपर सेट कर हर माह परीक्षा लेता। उत्तर पुस्तिकाएं जांचता और नंबर देता। किसना की कुशाग्र बुद्धि के विकास में वह सहायक बना था।

घर में उसकी बड़ी इज्जत थी। बड़ा होने के नाते समाज में उसका मान था। शादी पश्चात इतिहास बदल गया। उसने और उसकी बीबी ने एक नफरत का एक नया इतिहास लिखा। जिस व्यक्ति ने कभी पैसा देखा न हो और अचानक उसे पैसा नजर आ जाए तो वह असंतुलित हो जाता है। किसना की भाभी का यही हाल था। वह पैसा पचा न सकी। दाल उबल गई। न खुद के खाने के काम आयी न किसी और के। पैसा बहुमूल्य होता है। भाई को इसकी अच्छी समझ थी क्योंकि एक–एक पैसा जमा कर

उसने अच्छा खासा बैंक बैंल्स बनाया। अब किसके काम आएगा? सब कुछ यहीं रह गया। सुना है विदा होते वक्त शरीर और दिमाग असंतुलित हो जाता है। कुछ नियंत्रण नहीं रहता। तारे नजर आते हैं। बेहद घबराहट होती है। आगा पिछा याद आता है और क्षण भर में खेल खत्म। शरीर का आत्मा से पूरा असंतुलन निर्माण हो जाता है। जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा उनकी आंखों देखी बयान करती है कि यह खेल बस अचानक ही हो जाता है। इसका आभास चंद सैंकड पहले हो पाता है। यदि कोई संगी साथी आस–पास हो तो शीघ्र चिकित्सा उपलब्ध होने से बात कभी–कभी जम जाती है। गमन रूक जाता है। कुछ मोहलत मिल जाती है। परंतु किसना के भाई के साथ ऐसा न हो सका। पता नहीं पर इसे विधि की विडंबना समझें। मालूम नहीं उसने किस–किस को याद किया होगा? उसके मन में क्या विचार आये होगें? क्या कहना चाहता था? कुछ मालूम नहीं। कोई भी तो नहीं था उसके पास। भाई की आत्मा को शांति मिले किसना यही कामना करता है। जो क्षति हुई उसकी पूर्ति असंभव है। पांच पांडवों की जोड़ी बिखर गई। गज़ब हो गया।

किसना के गांव में किसी का भी शिक्षा के प्रति जुझारू रूप से रूझान नजर नहीं आता। बस पढ़ना है। कुछ भी पढ़ना है। आईटीआई और पोलिटेक्निक के कोर्सेस बड़े लगन से किए जाते हैं। आजकल डिग्री का कोई ज्यादा महत्व नहीं बचा है। ऐसे में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स करना फायदे मंद नहीं है। यदि व्यावसायिक सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा करना है तो सरकारी नौकरी की आस न कर अपना व्यवसाय खुद प्रारंभ करना चाहिए। मगर यह बात लोगों को नागवार लगती है। सभी की सरकारी नौकरी लगे यह कोई जरूरी नहीं किंतु इतनी छोटी बात भी गांव वालों को समझ नहीं आती। वे तो केवल सरकारी नौकरी की तलाश में रहते है। नौकरी कोई भी हो उसके लिए टैलेण्ट की आवश्यकता होती है। सामान्य ज्ञान और विषय की तैयारी बहुत जरूरी है। बाकी बातें गौण समझनी चाहिए। अधिकतर आईटीआई या पोलिटेक्निक करने की सलाह देने वाले बहुत मिल जाएगें मगर वे यह बताना भूल जाते हैं कि इस शिक्षा से गांव में सबको रोजगार नहीं मिलता। सबको शहर में नौकरी भी नहीं मिल सकती। ऐसे विद्यार्थी कहीं बाबूगिरी की परीक्षा के लायक भी नहीं बचते क्योंकि आजकल बैंकों में तथा सरकारी नौकरी में कम से कम ग्रेज्युएट तो होना ही चाहिए। प्राइवेट नौकरियों में तो मापदंड और भी कड़े होते हैं। गांव का कोई व्यक्ति उच्चशिक्षित होकर कहीं बाहर अच्छी नौकरी कर रहा हो तो गांव में सभी उसकी तरफ आशा की नजर से देखते है कि वह सबको नौकरी लगा देगा। यह ख्याली पुलाव है। गांव के लोगों को यह समझना चाहिए कि आजकल कंपयूटर के जमाने में हेराफेरी के चांस बहुत कम होते हैं। कौशल और प्रावीणता को ही महत्व दिया जाता है। शिक्षा और नौकरी हेतु तैयारी दोनों साथ–साथ करने वाले अपना बेड़ापार करा सकते हैं बाकी के हाथ निराशा लगती है। ऐसे निराश लोगों के लिए एक विकल्प यह भी खुला रहता है कि वे स्वयं बेरोजगार रहकर नौकरी वाली लड़की से शादी कर लें या पैसेवाला ससुराल ढूंढे। (किसना के गांव की कहानी बहुत निराली है।) गांव में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो कर भी किसना के गांव के लोग बाहर पलायन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। कुछ तो नौकरी की आस में बूढ़े हो जाते हैं। फिर उनके स्वभाव में विकृति आ जाती है। वे नौकरीवालों से चिढ़ते हैं। गांव में सनकियों की कमी नहीं।

जहां चाह वहां राह। घर लौटना ''बैक टू पवेलियन नहीं'' बल्कि ''बैक टू हेवन'' होना चाहिए। किसना की इच्छा है कि वह पूरी तरह से न सही मगर आंशिक रूप से अपने जन्म स्थान लौट आए। चूंकि ऑलराउंडर होने की वजह से एक स्थान पर टिकना संभव न हो सकेगा इसलिए चलित मुसाफिर कभी–कभी अपने घर भी टिकना चाहेगा। वह चाह रहा है कि गांव में अपना एक छोटा आशियाना अलग से बना ले। गांव में जमीन की कोई कमी नहीं है। सरकारी जमीन पर सभी अपने घर बना रहे हैं। ऐसे में किसना को कौन माई का लाल रोकेगा? हांलाकि किसना इस काम में बहुत लेट हो गया। उसे अपना आशियाना (गेस्ट या रेस्ट हाउस) बहुत पहले ही अपने गांव में बना लेना चाहिए था। किंतु कुछ तय हो न पाया परंतु यह अंतिम समय में लिया गया निर्णय है। गांव में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बाहर नौकरी की और बाहर ही ऊपर सिधार गया। यह बात कुछ जमती नहीं। यह तो आया–गया बराबर समझो। इसलिए कुछ समय के लिए ही सही, मगर अपने मूल स्थान पर लौटना सबका धर्म होना चाहिए। कहते हैं प्रकृति आपको अपने मूल पर धकेलती है। आह्वान करती है कि पीछे लौट चलो। इस पीछे लौटने में सब से बड़ी दिक्कत है मोह माया। कभी बच्चों से लगाव तो कभी बच्चों के बच्चों से। आदमी मूलधन के साथ ब्याज को भी छोड़ना नहीं चाहता। इसी मोहमाया में संसारिक जीवन समाप्त हो जाता है। चाह रहते हुए भी आदमी इस मोहमाया के जंजाल से निकल नहीं पाता। परंतु समझदारी इसी में है कि मनुष्य बुढ़ापे में वो करे जो करने को रह गया। अपनी इच्छा पूरी करने का सही वक्त हमें समझ में आ जाना चाहिए और निर्णय बिल्कुल फैसले वाला हो। ढूलमूल निर्णय मोह के जाल में फंसा देगा। आदमी न घर का रहेगा न घाट का।

पुरूषार्थ यानि की परम संतुलन की पराकाष्टा। पुरूषार्थ इसी में निहित है कि व्यक्ति जहां जन्मा उस माटी का कुछ तो कर्ज उतारे। यह सच्चा पुरूषार्थ। समय किसी का सगा नहीं होता। सब चला–चली का खेला। अतः जितना भी वक्त मिले उसका उचित उपयोग करना चाहिए। लोग तभी याद करते हैं जब आप उनके काम आएं। उनकी मदद की और यह परम सुख की अनुभूति देने वाला कार्य है। किसना चाहता है कि वह अपने गांव के दीनहीन लोगों की मदद करे। उनके सुख–दुख में उनके साथ रहे। यह सच्ची सेवा होगी। स्वार्थ न होगा।

गांव में जरूरतमंद सैकड़ों मिल जाएंगे जिन्हें सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं, आर्थिक मदद देने वाले तो कई मिल जाएंगे तथा बेमतलब की सलाह देने वाले भी कई मिल जाएंगे। खुद ने कुछ किया नहीं मगर यह कर लो – वह कर लो बोलने वाले निठ्ठले सलाहकारों की गांव में कमी

नहीं। अनुभव हीन ज्ञान बधारने वाले आप को पेड़ के नीचे ताश खेलते हुए मिल जाएंगे। फिर अति ज्ञान के चक्कर में मदिरा का स्वाद चखने वाले भी कई मिल जाएंगे। हर गांव का लगभग यही हाल है।

किसना चाहता है कि उचित और ठोस कार्य करे जो गांव के बच्चों के काम आये। हाल ही में गांव के स्कूल कार्यक्रम में किसना का भाषण रखा गया था। अध्यापकों के साथ–साथ स्कूल के विद्यार्थियों ने करीब एक घंटा किसना को सुना। किसना का ओजस्वी तथा सारगर्भित मार्गदर्शन पाकर कितने बच्चे लाभान्वित हुए पता नहीं परंतु ऐसा लगा जैसे वह एक खानापूर्ति थी। अध्यापकों के अलावा विद्यार्थियों के लिए भाषण किसी काम का न था। बच्चे प्रतिसाद देने वाले न दिखे। सुनते रहे। शोर करते रहे। इन्हीं बच्चों को एक दिन आदर्श नागरिक बनना है। यह कार्य स्कूल के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अनुभवी मार्गदर्शक चाहिए। किसना ऐसा ही मार्गदर्शक बनना चाहता है जो एक सच्चा हितैषी साबित हो। ना ही अपने गांव के लिए, वरन आस पड़ोस के सभी गांवों के लिए।

अच्छे विचारों को मूर्त रूप देना कल्पना के तालाब में गोते लगाने जैसा नहीं है। आप जो सोचो वह करो। पहले छोटे पैमाने पर ही सही मगर कार्य प्रारंभ होना ही चाहिए। यह भी एक निराला अनुभव है। लोग गांव के हों या शहर के परिणाम चाहते है। भाषण नहीं। भाषण से पेट नहीं भरता। अच्छे काम के प्रारंभ में कुछ कटू अनुभव भी हो सकता है। परंतु उसमें आगे बढ़ना ही जिन्दगी है। जो पीछे हटा वह हारा और जो हार गया वह मर गया।

किसना ने एक बार किसी रहमान का किस्सा सुनाया। रहमान एक धुंध की तरह रास्तों के किनारे लंबी दूरी तय करने वाला इंसान था। वह स्मरण शक्ति खो चुका था। चलता दूर तक, फिर लौट आता। किसी से कुछ न कहता न कुछ बोलता न मांगता। कभी–कभी खूब बड़बड़ाता। किसी को नुकसान न पहुंचाता। बड़ी विचित्र स्थिति थी उसकी। कई किस्से प्रचलित थे उसके बारे में। वह किसना के गांव के समीपस्त एक बड़े कस्बे में रहता था। परिवार था उसका। शायद शादीशुदा नही था वह। कोई कहता शिक्षित था तो कोई कहता किसी बाबा के चक्कर में धूंध में समां बैठा। किसना का आकलन कुछ और था रहमान के बारे में। किसना एक दैदिव्यमान शक्ति से ओतप्रोत था। वह आम आदमी से उपर था। मृत्यु पश्चात जैसे मृतक संसार की सभी झंझटों से मुक्त हो जाता है। रहमान उससे भी उपर उठा हुआ इंसान था। वह जितेजी संसार की झंझटों से उपर उठ गया था। मुक्त हो गया था। वह कोई साधारण अवस्था नहीं होती। यह गहन साधना का परिणाम है। यह सच्चा चिण्मयानंद हो जाने जैसा है। यह मुक्तिनाथ का मार्ग है। सबका नसीब नहीं होता। इसे अवधूत का मार्ग कहते है। कबीर ने इसलिए हर इंसान को 'अवधू' संबोधित किया। अवधू यानि वही अवधूत जो संसार के अंधाधूंध अंधियारे के दर्शन कराए और हर एक इंसान को सावधान रहने के लिए चेताया। रहमान इसी चेतावनी का सूचक था। वह युगदृष्टा था। हजारों लोगों को जीवन की सच्चाई का परिचय दे गया। यह बात अलग है कि रहमान जैसे अवधूत को इस इलाके के लोग पहचान न सके।

(किसना की कहानी काल्पनिक समझें)

अपना–अपना परमात्मा

बुद्ध का अर्थ जागृत। जो पूर्ण होश में है। जो वास्तविकता से परिचित है। जो प्रकृति के सौंदर्य को बुद्धीमतापूर्वक जान गया। जो तथागत हो गया। जो निवृत्त हो गया। जो प्रकृति के खेल को भी समझ गया। जो चला और चलते ही रहा। फिर एक बार गया तो वापस न लौट सका। सिद्धार्थ और वर्धमान दोनों भारतवर्ष की पवित्र भूमि विहार (अब बिहार) में अवतरहित हुए। सिद्धार्थ पूर्णिमा को जन्मे, पूर्णिमा को ही बुद्धत्व और निर्वाण प्राप्त किया। वर्धमान अमावस्या को जन्मे, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण भी अमावस्या के दिन ही हुआ। वर्धमान ने निसर्ग धारा से विपरित बहकर विजय पायी और महावीर कहलाए। पूर्णिमा यानि ज्यादा होश में रहने का दिन जबकि अमावस्या में मनुष्य शिथिल हो जाता है। वर्धमान शिथिलता में भी पूर्ण होश में रह सके तभी वे महावीर कहलाए। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सीखाकर अहिंसा की बात कही। महावीर ने कहा कि मन में बुरे विचार लाना और किसी के प्रति बैर रखना भी हिंसा का ही प्रकार है। दोनों एक से बढ़कर एक। बुद्ध ने भिक्षु पात्र को अपनाया। महावीर करपात्री हो गए। एक तरफ बुद्ध ने राजपाट, सुख समृद्धि त्यागकर अनेक यातनाएं सही तो दूसरी तरफ प्रकृति ने महावीर के वस्त्र छीन लिए। महावीर प्रकृति के साथ हो लिए। वे दिगम्बर हो गए। सर्वस्व का अपने आप त्याग हो गया। कुछ न बचा। बुद्ध ने संसार में रहकर सन्यस्थ होने की बात कही वहीं महावीर ने प्रपंच ठीक से करने की सीख दी। इन्हीं बातों को समर्थ रामदास स्वामी, नामदेव, तुकाराम और अनेक संत महात्माओं ने आगे बढ़ाया। नानक जी ने मनुष्य और मनुष्य में किसी भी भेद की अवधारणा को नकार दिया। आगे उनके जैसे महान कार्य की ज्योत नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में जलाई। धन्य हैं वे लोग जिन्होंने मनुष्य और मनुष्य के बीच के फर्क को मिटाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया।

ईसा मसीह ने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूं। अर्थात ईश्वर की अवधारणा को उन्होंने जागृत किया। मोहमम्द साहब पैगम्बर थे जो अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे। हिन्दू जीवन शैली में तैंतीस करोड़ देवी–देवता का प्रावधान है। महावीर तीर्थंकर थे। यानि की वे जहां पहुंचे वहां दूसरों को ले जा सकते थे। अर्थात इन सबका ईश्वर आ चुका था परंतु बुद्ध ने परमात्मा की अवधारणा को नकार कर उसकी वैज्ञानिक तरीके से खोज करने का मार्ग खुला छोड़ दिया। जहां खोज के रास्ते बंद हैं वहां नया कुछ भी नहीं है। बुद्ध का मार्ग खुला है। आप खोज करने के लिए आमंत्रित हैं। बुद्ध ने कहा कि वे जो कह रहे है वह भी पूर्ण सत्य नहीं है। आप को जब तक वह बात समझ में न आए तब तक उसे मानना नहीं चाहिए। विज्ञान नित नई चीज़ के खोज की ओर आगे बढ़ता है। आओ हम सब खोज करें। अपना–अपना परमात्मा खोजें। बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद साहब, नानक, सब महान आत्माएं। सबके सब ईश्वर तुल्य और समाज के पथ दर्शक। संसार के करोड़ों लोग उनके अनुयायी बने। कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं। बुद्ध ने कहा, स्वयं का मार्गदर्शन स्वयं करो। ''अप्प दिपो भव।''

– स्वामी तथागत भारती

विशाल युवा वर्किंग फोर्स

नारायण सहाय
प्रबंधक

विश्व भर में भारत अधिकतम आबादी के लिए चीन के बाद दूसरे नम्बर पर आता है। चीन ने बहुत पहले से 'एक बच्चा नीति' अपना रखी है, इसी कारण वहां पर जनसंख्या स्थिरता में तेजी से सफलता मिली है, जबकि भारत में दो बच्चों के लिए 'हम दो हमारे दो' की नीति अपनाई, लेकिन इसका पालन भी पूरी ईमानदारी से नहीं हो रहा है। हालांकि बढ़ते शिक्षा स्तर, जागरूकता एवं विकास के कारण पचास फीसदी से अधिक जनसंख्या दो बच्चा नीति स्वतः ही अपना रहे हैं। इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि केवल नीति बनाने से काम नहीं चलता, लेकिन यदि स्वास्थ शिक्षा विकास का लाभ आम एवं गरीब जनता तक पहुंचता है तो स्वतः ही लोगों में सुखी एवं शिक्षित परिवार की भावना पैदा होती है और लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें आश्वस्त करती हैं कि उनके बच्चे सभी प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे।

एक ओर जहां भारतीय संस्कृति उन्हें विनम्र एवं सहभावी बनाती है, वहीं दूसरी ओर अपने जॉब के प्रति समर्पित भी बनाती है। उस पर इस समय भारत में सर्वाधिक युवा वर्ग विद्यमान है जबकि पूरी दुनिया के तमाम देश के कौशल युक्त कर्मी/नागरिक उम्र दराजी (वार्धक्य) की परिधि में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। देश में इस समय कुल आबादी में 50 फीसदी 25 वर्ष से कम उम्र की है। 65 फीसदी आबादी 35 वर्ष से कम की है। इस तरह 14 से 35 आयु वर्ग समूह की औसतन कुल जनसंख्या लगभग 52–53 करोड़ से भी अधिक है। अगले दशक में देश में युवाओं की कुल संख्या 60 करोड़ तक पहुंच जाएगी। जहां चीन की औसत आयु 37 वर्ष, अमेरिका की 45 वर्ष तथा पश्चिमी यूरोप और जापान की आयु 48 वर्ष होगी, वहीं भारत में युवा औसत आयु 29 वर्ष होगी। कुछ वर्षों में भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास सबसे बड़ी यंग वर्किंग फोर्स होगी। लिहाजा इन सभी के लिए कम से कम दस करोड़ रोजगार पैदा करने होंगे। लेकिन इससे जुड़ी रिपोर्ट अच्छी नहीं हैं। इस दिशा में हमारे देश की केन्द्र एवं राज्य सरकारों को तेजी से कदम बढ़ाने होगे।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की बेरोजगारी से जुड़ी रिपोर्ट बताती है कि पिछले दो साल के दौरान देश में बेरोजगारी 10.2 फीसदी की दर से बढ़ी है। भारत में हर वर्ष नौकरियों की तुलना में दुगने से भी अधिक बिना कौशल ग्रेजुएट आते हैं। भारत में कुल नौकरियों का 85 फीसदी हिस्सा असंगठित क्षेत्र से और मात्र 15 फीसदी हिस्सा ही संगठित क्षेत्र से जुड़ा है। रोजगार से जुड़े असंगठित क्षेत्र की वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है। सूचना तकनीक जैसे संगठित क्षेत्र की दशा बेहतर है भी, तो वहां रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं। हालांकि भारत के बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के खूब मौके संभव हैं, लेकिन यहां वर्किंग कंडीशन खराब होने के कारण यह सेक्टर भी युवाओं को निराश कर रहा है। उस पर उद्योगों से जुड़े कुछ कानून तो आजादी से भी पहले के हैं। इससे कंपनियों को काफी परेशानी होती है। आज भारत में बड़ी कंपनियों के मजदूरों का औसत वेतन 5–6 अमेरिकी डॉलर रोजाना है, जबकि चीन में न्यूनतम मजदूरी 10–11 डॉलर निर्धारित है। इस दिशा में वर्तमान केन्द्र सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और लगभग 3000 पुराने कानून हटा रही है। कई नए संवैधानिक कदम उठा रही है ताकि देश में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाए जा सकें।

राष्ट्रपति उच्च शिक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन संस्था से जुड़ी रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के सबसे अच्छे 200 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी नहीं है। नतीजा हमारे युवा भुगत रहे हैं। रोजगार की योग्यता परखने वाली संस्था से जुड़ी एक ताजा रिपोर्ट से जाहिर है कि अधिकांश छात्र अंग्रेजी में संवाद कौशल, कम्प्यूटर ज्ञान, संज्ञानात्मक कौशल और बुनियादी तौर पर वे शर्तें पूरी नहीं करते जिनके आधार पर उन्हें ऊंचे पदों वाली नौकरियां मिल सकें। इसके टेस्ट में दो फीसदी छात्र ही कार्पोरेट कम्यूनिकेशन और कंटेंट डिवेलपमेंट की नौकरी के योग्य पाए गए। केवल दो फीसदी में एकाउटिंग और तीन फीसदी में विश्लेषक की नौकरी की योग्यता और 36 फीसदी छात्र मात्र क्लर्क बनने योग्य मिले। आज साइंस और एकाउंट्स के योग्य कर्मियों की मांग अधिक है, लेकिन सबसे कम योग्य छात्र आ रहे हैं। यूजीसी ने आंकड़े अपडेट करते हुए कहा है कि देश में इस समय 86 फीसदी छात्र ग्रेजुएट और मात्र 12 फीसदी पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा से जुड़े हैं। बाकी दो फीसदी में से एक फीसदी रिसर्च से और मात्र एक ही फीसदी ने खुद को डिप्लोमा और सर्टीफिकेट कोर्स से जोड़ा है। अनुमान है कि 2020 तक कई देशों में जब पेशेवरों की भारी कमी होगी, तब भारत की कुशल श्रमशक्ति ही ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था को सहारा देगी। हमारे देश के युवाओं ने गैर परंपरागत क्षेत्रों में भी दक्षता एवं व्यावसायिक कुशलता दर्ज कराई है। लेकिन यह भी सच है कि आज का युवा 25 वर्ष की उम्र में ही सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाने की बजाय अब सूचना तकनीक, कम्प्यूटर, बिजनेस मैनेजमेंट और मीडिया में अपना करियर बनाना चाहता है।

देश के करीब 4 करोड़ शहरी युवा ही उदारीकरण से मिले अवसरों का लाभ उठा सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के 14–15 करोड़ युवा अब भी बेरोजगारी में जीने को मजबूर हैं। समय रहते नई सरकार को नौकरियों के सृजन के साथ सामान्य कौशल विकास प्रशिक्षण देने की कोशिश भी करनी होगी। भारत सरकार ने ''मैक इन इंडिया'' का नारा दिया है जिसके तहत विदेशी एवं देशी कंपनियों को भारत में अपने उद्यम लगाकर उत्पादन करना होगा। यह एक अच्छा आइडिया है और इस क्षेत्र में काफी मात्रा में रोजगार की संभावनाएं है। आज जरूरी है कि देश के सभी कर्णधार देश की प्रगति और विकास को ध्यान में रखकर काम करें ताकि बेरोजगारों के लिए ज्यादा एवं बेहतर मौके मिल सके। आज हमारे देश में विशाल युवा वर्किंग फोर्स उपलब्ध है, जिसे तुरंत रोजगार की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो इस से न सिर्फ युवाओं को निराशा होगी बल्कि तेजी से उभरती युवा पीढ़ी के लिए घातक स्थिति होगी और देश की अर्थव्यवस्था पर भी दुष्प्रभाव बढ़ेगा। भारत को चाहिए कि वह अभी से ऐसे वैश्विक मंचों का निर्माण करे, जहां से देश के बाहर दूसरे मुल्कों में कौशलपूर्ण एवं प्रशिक्षित लोगों को भेजा जा सके। इस दिशा में जितना जल्दी एवं सार्थक प्रयास किए जाएंगे, उतना ही अधिक युवाओं के लिए लाभकारी एवं कल्याणकारी होगा तथा वैश्विक मंच पर भारत के कौशलपूर्ण युवाओं की एक नई छाप उभरेगी।

शिक्षण प्रयास – तमिल सीखे

हेमकुमार
प्रबंधक

वैसे भी आज जब सभी ओर भूमंडलीकरण का दौर है तो फिर भाषा इससे अछूता कैसे रह सकता है। आज पुरा विश्व एक ''ग्लोबल गांव'' बन चुका है। ऐसे में हमें एक–दूसरे की संस्कृति, सभ्यता, आचार–व्यवहार को समझने और वहां अपनी पहचान में बनाने में अगर कोई भीज सबसे अधिक सहायता कर सकती है तो वो है भाषा। यही कारण है कि सभी देश प्रायः अपने छात्रों को अलग–अलग देश की भाषा को सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारत में भी कुछ ऐसा ही हाल है! लेकिन भारत की एक खास विशेषता यह है कि यहां खुद ही कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। इसलिए हमें बाहरी भाषाओं से पहले अपने देश में बोली जानी वाली भाषाओं को सीखने की जरूरत है। यह इतने सहज तरीके से होनी चाहिए कि कोई भी भाषा थोपी ल लगे बल्कि उसमें अपनत्व की भावना आ जाए।

भारत में भाषा को मां समान दर्जा प्राप्त है। अपनी भाषा को आत्मसात करने की प्रक्रिया मां के गर्भ से ही प्रांरभ होती है। बच्चा सर्वप्रथम अपनी मां और मातृभाषा से ही रूबरू होता है। इसके बाद जीवनपर्यंत उसी मातृभाषा के रूझान में जीता है। अपनी भाषा उसे मान सम्मान दिलाती है। समाज में स्थान दिलाती है। उच्च शिक्षित व्यक्ति भी अपने समाज के लोगों को सामूहिक संबोधन करते वक्त भी अपनी भाषा में ही बात करता है। अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं में नहीं। कोई भी भाषा कठिन नहीं होती। एक अनुमान के अनुसार किसी भी भाषा को सीखने में छह माह का समय पर्याप्त है। इससे अधिक समय में वह उस भाषा में प्राविण्य प्राप्त कर सकता है। तमिल हमारे देश में अनेक राज्यों में बोली जाती है। हमारा अनुभव है तमिल बोलने से एक अलग ही प्रकार का अहसास होता है। इस मधुर भाषा को सीखना अत्यंत गर्व की बात है।

आवास भारती, अक्तूबर–दिसम्बर, 2014 के अंक में ''शिक्षण प्रयास–तमिल सीखे'' कॉलम की शुरूआत करने पश्चात हमें बैंकिंग जगत से अनेक पत्र एवं सुझाव प्राप्त हुए हैं। हम उन सभी पाठ्कों का आभार व्यक्त करते हैं। इस अंक में दूसरा पाठ दिया जा रहा है। आशा है आप सब को पसंद आएगा।

संपादक

तमिऴ् के कुल अक्षर

तमिऴ् में कुल अक्षर 247 हैं। इनमें स्वर 12, व्यंजन 18, स्वर-व्यंजनाक्षर 216 और 'आयताक्षर' एक है, जिसे 'आय्द' कहते हैं। यह तमिऴ् का विशिष्ट अक्षर है।

स्वर और व्यंजन के मेल से स्वर-व्यंजनाक्षर बनते हैं, जिन्हें तमिऴ् में 'उयिर्-मॆय् एऴुत्तुक्कळ्' कहते हैं।

उदाहरण—

उपदेश

संजीव श्रीवास्तव
उप महाप्रबंधक

हम सबने गीता का यह श्लोक अवश्य सुना होगा – ''यदा–यदा ही धर्मस्य ग्लार्निभवति भारतः'' यानि कि जब–जब धर्म की हानि होती है और पाप बढ़ते हैं तब–तब धरती पर ईश्वर अवतरित होते हैं और पापों तथा पापियों को नष्ट करते हैं। मनुष्य को सही राह पर चलकर सच का अनुपालन करने का सलाह देते हैं। यह बात पूरी दुनिया पर भले ही न लागू होती हो, पर भारत में अवश्य लागू होती है। भारत में युगों–युगों से ऐसे ईश्वरीय अवतार, संत, महात्मा एवं ज्ञानी ऋषि मुनि पैदा होते रहे हैं, जिन्होंने पूरी मानव जाति को सम्मार्ग पर चलने की राह दिखाई है। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, राम, कृष्ण, मनु, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकर, नानक, कबीर, तुलसी, सूर आदि न जाने कितनी विभूतियां जन्मी है, जिन्होंने समाज को नई दिशा दिखाई है। इसी क्रम में स्वामी रामकृष्ण, विवेकानंद, दयानंद एवं महात्मा गांधी को भी माना जा सकता है। जिन्होंने देश दुनिया को एक नई दिशा, नया आलोक एवं नई सोच दी है।

हमारी भारतीय संस्कृति में तीन, पांच, सात एवं नौ संख्या का बड़ा महत्व है। जैसे कि तीन देव, तीन देवियां, तीन वचन या फिर पंचकर्म, पंचवट, पंचपांडव, पंचनद या फिर नव ग्रह, नव रस, नव अन्न आदि–आदि कई विवरण हैं। हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में सात की अपनी महत्ता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि सात की संख्या में कोई जादू है। सप्ताह में सात दिन होते हैं, सात लोक होते हैं, आसमानों की संख्या सात है और हिंदू विवाह में सात फेरे लिए जाते हैं। ईसाई धर्म में सात घातक पापों की कल्पना की गई है। ये सात पाप हैं – लालच, पेटूपन, वासना, जलन, आलस्य, गुस्सा और घमंड। कहा जा सकता है कि इन पापों का संबंध किसी एक युग से नहीं है, बल्कि ये शाश्वत हैं। सभी धर्मों में इस तरह के सूत्र बनाए गए हैं ताकि हमें अच्छा जीवन जीने में सहायता मिले। हिंदू धर्म में मनु, याज्ञवल्क्य आदि ने अपनी स्मृतियों में धर्म के दस लक्ष्य बताए हैं, जैसे क्षमा, इंद्रिय निग्रह, अस्तेय, सत्य, अक्रोध आदि।

लेकिन जीने के लिए सिर्फ शाश्वत गुणों की जरूरत नहीं होती। हर काल का अपना सत्य होता है और उसके अनुसार या उसके संदर्भ में धर्म को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत होती है। इससे धर्म बदलता नहीं, बल्कि और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। बाइबिल में बताए गए उपर्युक्त सात पापों से बचना ईसाइयों का कर्त्तव्य रहा है। वेटिकन की चिंता रही है कि आधुनिक समय के पापों को कैसे चिन्हित और परिभाषित किया जाए। पुराने सात पाप बेकार नहीं हुए हैं, पर कुछ नए पाप भी पैदा हो गए हैं। 2008 में वेटिकन ने सात नए घातक पापों की सूची घोषित की। ये सात पाप इस प्रकार हैं: जैव–नैतिक नियमों को तोड़ना – जैसे गर्भपात, नैतिक रूप से संदिग्ध प्रयोग करना – जैसे स्टेम सेल रिसर्च, नशीली दवाओं का सेवन करना, वातावरण को प्रदूषित करना, अमीर–गरीब के बीच की खाई को बढ़ाने में योगदान करना, अत्यधिक दौलत जमा करना और गरीबी पैदा करना।

ध्यान देने की बात है कि पुराने पापों का संबंध निजी जीवन से था। यानी आदमी अपने आप को पाक–साफ रखे, इतना काफी है। उसमें इस बात की पहचान नहीं थी कि मनुष्य का एक सामाजिक जीवन भी होता है जहां उसके द्वारा किए गए काम समाज रचना को प्रभावित करते हैं। नए सात पापों की अवधारणा इसी सच्चाई पर आधारित है। जैसे अत्यधिक धन जमा करना। यह एक पागलपन है क्योंकि ज्यादा धन होने से सुख और आनंद बढ़ते हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है। साथ ही, ऐसा करने से समाज में अमीर–गरीब के बीच की खाई बढ़ती है जो आर्थिक प्रगति के लिए भी ठीक नहीं है। गरीबी पैदा करने और पर्यावरण को प्रदूषित करने के काम तो आदमी और प्रकृति के लिए बिना कसूर के, फांसी की तरह हैं।

ड्रग संस्कृति एक नासूर है जो युवा पीढ़ी का सर्वनाश कर रहा है।

यहां पर महात्मा गांधी द्वारा बताए गए सात पापों का वर्णन करना चाहता हूं। गांधी जी मौलिक आदमी थे, वे किसी की नकल नहीं करते थे। वे यह भी नहीं चाहते थे कि भारत किसी और की नकल करे। फिर भी, प्रतीत होता है, सात घातक पापों के मामले में वे बाइबिल के प्रभाव में आ गए। उन्होंने बाइबिल को गौर से और कई बार पढ़ा था। ऐसे में अगर उन्होंने

सात पापों को अपने ढंग से परिभाषित किया, तो इसमें कोई हैरत नहीं है। हैरत इस बात पर जरूर है कि गांधीवादियों ने इन सात पापों का प्रचार नहीं किया। क्या गांधी के मार्ग पर चलने का दावा करने वाले खुद इनमें से कुछ पापों के शिकार रहे हैं?

किन्ही दो धर्मों, सभ्यताओं और महापुरुषों की तुलना करने में कुछ नहीं रखा है। न ही मैं गांधी द्वारा बताए गए सात पापों की तुलना करना चाहता हूं। परंतु इसे जरूर बताना चाहता हूं कि गांधी की दृष्टि कितनी प्रखर और दूरगामी थी। गांधी द्वारा बताए गए इन सात पापों में मानो हमारा पूरा युग धर्म आ जाता है। वस्तुतः ये पाप मात्र धार्मिक नहीं, वैचारिक भी हैं। ये एक तरह से आधुनिक सभ्यता की समीक्षा भी है।

गांधी जी के सात पाप हैं : सिद्धांत के बिना राजनीति, श्रम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवीयता के बिना विज्ञान तथा त्याग के बिना पूजा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र के नाम अपने पहले संदेश में इनका जिक्र भी किया था। लोकतंत्र, एक जीवंत संसद, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक जिम्मेदार मीडिया, जागरूक नागरिक समाज तथा सत्यनिष्ठा और कठोर परिश्रम के प्रति समर्पित नौकरशाही के माध्यम से ही सांस लेता है। इसका अस्तित्व जवाबदेही के माध्यम से ही बना रह सकता है, न कि मनमानी से। इसके बावजूद हम बेलगाम व्यक्तिगत संपन्नता, विषयासक्ति, असहिष्णुता, व्यवहार में उत्श्रृंखलता तथा प्राधिकारियों के प्रति असम्मान के द्वारा अपनी कार्य संस्कृति को नष्ट होने दे रहे हैं। हमारे समाज के नैतिक ताने–बाने के कमजोर होने का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव युवाओं और निर्धनों की उम्मीदों पर तथा उनकी आकांक्षाओं पर पड़ता है। महात्मा गांधी ने सलाह दी थी कि हमें 'सिद्धांत के बिना राजनीति, श्रम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवीयता के बिना विज्ञान तथा त्याग के बिना पूजा से बचना चाहिए। जैसे–जैसे हम आधुनिक लोकतंत्र का निर्माण करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हमें उनकी सलाह पर ध्यान देना होगा। हमें देशभक्ति, दयालुता, सहिष्णुता, आत्म–संयम, ईमानदारी, अनुशासन तथा महिलाओं के प्रति सम्मान जैसे आदर्शों को एक जीती–जागती ताकत में बदलना होगा। लेकिन आज की राजनीति सिद्धांत विहीन हो गई। यहां पर अधिकतर पार्टियां लोकतंत्र की सीढ़ी बनने की बजाए कुछ गिने–चुने परिवारों की जागीर बन चुकी है। जहां धर्म, जाति, मजहब तथा नफरत के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। यह पार्टियां किसी भी एक मूल सिद्धांत का पालन नहीं करतीं तीन, पांच या सात की बात तो दूर की बात है।

हमारे जीवन में हालांकि इन सातों तत्वों का केन्द्रीय और निर्णायक महत्व है – राजनीति, धन, सुख, ज्ञान, व्यापार, विज्ञान तथा पूजा। लोकतंत्र है, तो हमें राजनीति में भाग लेना ही होगा। जीवन के सुचारु संचालन के लिए धन चाहिए। सुख के बिना जीने का कोई आनंद नहीं है। ज्ञान जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। व्यापार भी जरूरी है क्योंकि यह उत्पादन को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाता है। विज्ञान के बिना तकनीकी विकास नहीं हो सकता। और पूजा–पाठ, अधिकांश भारतीयों की जीवनचर्या का एक अनिवार्य अंग है।

असली सवाल यह है कि जीवन के इन लक्ष्यों को प्राप्त कैसे किया जाए। क्या किसी भी तरीके से धन प्राप्त करना अच्छा है? क्या इससे हम लुटेरों के समाज में परिवर्तित नहीं हो जाएंगे? सिद्वांतविहीन राजनीति हमें जहां ले आई है, वह सबके सामने है। ऐसा लगता है कि देश जितना आगे जा रहा है, उतना ही पीछे भी जा रहा है? क्या हमारे सांसद, विधायक, मंत्री बीते जमाने के पिंडारियों की याद नहीं दिलाते? और सुख? क्या विवेक के

अभाव में वह दलदल नहीं हो जाता, जिसमें हम धंसते ही जाते हैं? विज्ञान हमारी सहायता कर रहा है या हमारी वासनाओं की पूर्ति कर हमें काहिल बना रहा है? और धार्मिक लोग! वे घर में ठाकुर जी बैठा कर और रोज उनकी पूजा कर मान लेते हैं कि धर्म का पालन हो गया। लेकिन उनके इस धर्म में त्याग का तत्व कहां है? गांधी जी के लिए धर्म का सिर्फ एक रूप था – वैष्णव जन तो ताहे कहिए पीर पराई जाणे रे। अगर अपने को धार्मिक मानने वाला व्यक्ति भी पराई पीर का अनुभव नहीं करेगा और उसकी पीड़ा को कम करने के लिए त्याग नहीं करेगा, तो क्या हम कौवों और गिद्धों से उम्मीद करेंगे कि वे हमारी व्यथा दूर करने के लिए धरती पर पधारेंगे?

जो लोग गांधी के नाम पर सिर्फ खादी की, सादगी की, सत्य की, अहिंसा की, विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, वे गलत नहीं हैं। पर वे अगर गांधी के बताए सात पापों से बचने की कोशिश नहीं करते, तो गांधी के साथ ही नहीं, अपने साथ भी और हमारे साथ भी दगा करते हैं।

योजनाएं – मूल्यांकन एवं निगरानी

सुकृति वाधवा
उप प्रबंधक

किसी भी देश के विकास एवं आर्थिक प्रगति के लिए केवल योजनाएं बनाने और उन्हें लांच कर देने भर से काम नहीं चलता है, बल्कि इसके लिए जितना आवश्यक अच्छी परियोजनाएं या योजनाएं बनाना एवं लांच करना महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें कितनी सुदृढ़ता, कुशलता से क्रियान्वित किया जाता है। यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो पिछले 10 वर्षों में कई योजनाएं प्रारंभ की गई, पर उन्हें पूरी निष्ठा, एवं सुदृढ़ता से क्रियान्वित नहीं किया जा सका, फलतः उनसे वे नतीजे नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे।

मनरेगा योजना बहुत अच्छी है जो गरीबों को रोजगार देने के लिहाज से उत्तम थी, पर इस योजना की मोनीटरिंग एवं मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया, फलतः जमीनी हकीकत कुछ अलग थी। इस योजना में पहली खामी तो यह थी कि इसकी 60 प्रतिशत राशि केवल मजदूरी के रूप में दी जानी थी और शेष 40 प्रतिशत राशि से पक्के काम होने थे। व्यावहारिक रूप से यह एक गलत निर्णय था। इसीलिए सभी राज्यों की ग्रामपंचायतें मिट्टी खोदकर सड़क पर डालती रही और उस पर खड़ंजा लगाने के पैसे वही होते थे, क्योंकि ईंट या पत्थर 40 प्रतिशत राशि से काफी अधिक के होते थे। जिसका परिणाम यह होता था कि हर साल सड़क की मिट्टी बरसात में बहकर गड्ढे में पहुंच जाती और अगले साल पुनः उसकी खुदाई की जाती। अतः इस सारी योजना के दूरगामी परिणाम यह हुए कि कृषि कार्य के लिए एक तरफ जहां मजदूरों की कमी होने से कृषि कार्य प्रभावित हुए, वहीं दूसरी ओर गांवों के विकास हेतु स्थाई कार्य नहीं हो सका, न तो गरीबों के लिए मकान बन सके और न ही सड़क। बल्कि बिचौलियों ने पैसे की दलाली की। सही निगरानी व मूल्यांकन न होने पर आधे मजदूर बिना काम के दिहाड़ी पाते रहे, यानि कि पैसा गलत लोगों ने खाया। ठीक ऐसी ही कई अन्य योजनाएं चलाई गई।

इसी प्रकार जब सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना लाई गई तो बड़े–बड़े दावे किए गए थे। कहा गया कि निवेश, आर्थिक वृद्धि दर और रोजगार बढ़ाने में सेज बहुत मददगार साबित होंगे। इसी तर्क पर वहां लगने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए खूब सारी कर–रियायतें घोषित की गई। बाकी जगहों के उद्योगों के लिए ये रियायतें नहीं थीं। इस भेदभाव को लेकर उठने वाले सवालों को सेज के विशेष उद्देश्य और संभावित लाभों का हवाला देकर दबा दिया गया। लेकिन आखिर सेज से हासिल क्या हुआ? सीएजी यानी नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट बताती है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अपने मकसद में नाकाम रहे हैं, उनकी स्थापना से रोजगार और निर्यात बढ़ाने में कोई खास मदद नहीं मिली। उलटे कर–रियायतों के रूप में सरकारी खजाने को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 2013 के बीच तिरासी हजार करोड़ रुपए का राजस्व सेज के लिए दी जाने वाली रियायतों की भेंट चढ़ गया। इस हिसाब में कई तरह के केन्द्रीय कर और स्टांप शुल्क आदि शामिल नहीं है, यानी राजस्व की कीमत पर मेहरबानी का यह आंकड़ा कई गुना ज्यादा हो सकता है। कई ऐसी कंपनियों ने भी कर–रियायतें हासिल की, जिन्होंने सेज में आबंटित जीवन का इस्तेमाल अपनी स्वीकृत परियोजना के लिए नहीं किया, बल्कि किसी और को वह जमीन दे दी।

सेज के लिए आबंटित पचास फीसद से ज्यादा भूमि खाली पड़ी है, जबकि आबंटन आठ साल पहले हुआ था। यह सेज के बहाने जमीन की जमाखोरी है। जाहिर है कि कंपनियों ने वास्तविक जरूरत से ज्यादा जमीन ली। इसका मतलब यह भी है कि सेज के नाम पर जो विस्थापन हुआ वह कुछ कम हो सकता था, अगर कंपनियों की मांग जस की तस मान लेने के बजाय आबंटन असल जरूरत के अनुपात में होता। लेकिन एक तरफ बड़े पैमाने पर अनावश्यक विस्थापन होने दिया गया और दूसरी तरफ आबंटन के बाद भी यह निगरानी नहीं रखी गई कि आबंटित जमीन का कैसा उपयोग हो रहा है। फिर समीक्षा करने की भी जरूरत आज तक नहीं महसूस की है कि सेज को बड़े पैमाने पर जमीन और राजस्व की भेंट देने के बदले में आखिर मिला क्या? निर्यात के मोर्चे पर आज भी स्थिति चिंताजनक है और व्यापार घाटे की खाई बढ़ती जा रही है। सेज को लेकर वाणिज्य मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति का भी एक अध्ययन जून 2007 में आया था। समिति ने पाया कि 2004 से 2010 के बीच सेज के लिए कर–छूट के तौर पर 1.75 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे।

जहां तक जमीन दुरुपयोग का सवाल है, सिर्फ सेज के तहत नहीं, यह भी बहुत–सी परियोजनाओं के नाम पर हुआ है। मसलन, एक राज्य में पिछले एक दशक में निवेश के ढेर सारे जो एमओयू या करार हुए उनसे बड़े पैमाने पर वनभूमि और कृषिभूमि खनन और औद्योगिक कंपनियों के पास चली गई। सरकार ने यह देखना गवारा नहीं किया कि किस परियोजना को वास्तव में कितनी जमीन की जरूरत है, न इस बात पर नजर रखी कि आबंटित भूमि का उपयोग बताए गए मकसद के अनुरूप हो रहा है या नहीं। उसी राज्य में 2005 से 2010 के बीच यानी सिर्फ पांच साल में खेती का रकबा एक लाख सत्रह हजार हेक्टेयर कम हो गया। यह कहानी और भी अनेक राज्यों की है। जमीन का यह दुरुपयोग सेज के प्रति दिखाई गई उदारता के तहत हुए राजस्व के नुकसान से भी ज्यादा गंभीर मामला है। सेज से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट संसद में पेश की जानी है। इसके साथ हम नागरिक यह भी उम्मीद करते हैं कि सरकार पिछले 10–15 सालों में शुरू की गई सभी परियोजनाओं/योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन की रिपोर्ट देखेगी या पुनः मूल्यांकन कराएगी और अनुपालन हेतु पारदर्शी तरीका अपनाएगी। सरकार यह भी ध्यान देगी कि योजना प्रारंभ से पहले ही निगरानी एवं उसके मूल्यांकन को अनिवार्य बनाया जाए तथा उसके निष्कर्षों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए सब्सिडी तथा मजदूरी आदि के पैसे सीधे खातों में पहुंचा कर बिचौलियों व दलालों को खत्म करेगी।

स्मार्ट शहर की तेज होगी डगर

सौरभ शील,
सहायक महाप्रबंधक

स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया के बाद सरकार अपनी एक और महत्त्वाकांक्षी योजना पर कदम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत 'स्मार्ट सिटी' परियोजना को सिरे चढ़ाना है। सूत्रों के मुताबिक इसमें राज्य सरकारों की भी जोर–शोर से भागीदारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकारें 'सिटी चैलेंज' के जरिये इस परियोजना के कार्यान्वयन में हिस्सा लेंगी।

यह योजना 100 स्मार्ट शहरों से जुड़ी है और इसका समन्वय केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय कर रहा है। जब राज्य सरकारें शहर के लिए नामांकन करेंगी तो केन्द्र का विशेषज्ञ पैनल विभिन्न पैमानों के आधार पर अंतिम निर्णय करेगा। एक अधिकारी के अनुसार इन पैमानों में शहर का आकार, आबादी, बुनियादी ढांचे का स्तर और उन्नयन के लिए संभावनाएं जैसे पहलू शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक पहले दौर के लिए 20 स्मार्ट शहरों का चयन किया जाएगा। शेष 80 शहरों का चयन बाद में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। यहां तक कि कई देशों ने इस परियोजना में दिलचस्पी दिखाई और कुछ के साथ साझेदारी पर बात भी बनी है लेकिन अनुबंधों पर तभी मुहर लगेगी, जब इसके लिए शहरों का चयन होगा। हालांकि सरकारी सूत्रों का संकेत मानें तो कुछ नाम ऐसे हैं, जिनके इस सूची में शामिल होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इनमें अजमेर, इलाहाबाद, विशाखापत्तनम और वाराणासी के नाम शामिल होंगे।

हालांकि स्मार्ट सिटी परियोजना सिरे चढ़ने में देरी का शिकार हुई है और यहां तक कि उसकी अवधारणा भी अभी तैयार ही हो रही है लेकिन फिर भी उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी तवज्जो मिली है। अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड और सिंगापुर ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। भले ही ये देश इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञता साथ लाएं लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए वित्तीय मॉडल और परियोजना प्रकार पर अभी भी काम ही हो रहा है।

हाल में एक सम्मेलन में, जिसमें स्मार्ट सिटी में एम्सटर्डम के अनुभव को दर्शाया गया, फाउंडेशन फॉर फ्युचरिस्टिक सिटीज (एफएफसी) की प्रसिडेंट ने कहा कि सरकार परियोजना के लिए स्वीकृति अनुबंध और मानकों पर काम कर रही है। एफएफसी इस परियोजना में नॉलेज पार्टनर है।

एक सरकारी सूत्र ने पुष्टि की कि शुरुआत में इस परियोजना के लिए सुझाए गए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) ढांचे में अब और बदलाव किए जा रहे हैं ताकि इसके लिए वित्त की व्यवस्था को और लचीला बनाया जा सके। शुरुआत में परियोजना की लागत 35,000 करोड़ रुपये सालाना आंकी गई थी, जिस पर नए सिरे से काम किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2014–15 में इस परियोजना के लिए 7,016 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, लेकिन चालू वित्त वर्ष में यह आंकड़ा घटकर 143 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि कुल आवंटित 7,016 करोड़ रुपये में से अभी तक 924 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए हैं। माना जा रहा है कि नए वित्तीय ढांचे में राज्य और निजी क्षेत्र स्मार्ट सिटी परियोजना में अधिक निवेश करेंगे।

परियोजनाओं की प्रकृति भी लागत को निर्धारित करेगी। पूरी तरह से नए शहर की विकसित करना निश्चित रूप से किसी पुराने शहर को बेहतर बनाने की तुलना में अधिक महंगा होगा। व्यापक तौर पर स्मार्ट सिटी की परिभाषा यही होती है कि यह ऐसा शहर होता है, जो तकनीकी रूप से अधिक जुड़ाव वाला, बेहतर नियोजित और पर्यावरण के अनुकूल होता है।

स्मार्ट सिटी का बन गया नक्शा

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने और देश के 500 शहरों का कायाकल्प करने की परियोजना को आज हरी झंडी दे दी है। इसके तहत केन्द्र पांच वर्ष के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये की रकम आवंटित करेगा। इसमें से करीब 48,000 करोड़ रुपये 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि 50,000 करोड़ रुपये 500 शहरों में अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऐंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) लागू करने के लिए आवंटित किए गए हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना का नाम बदलकर स्मार्ट सिटीज मिशन रखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस परियोजना पर होने वाले खर्चे का ज्यादातर हिस्सा स्थानीय निकायों और कंपनियों को वहन करना होगा। अमृत परियोजना के तहत शहरों को स्मार्ट बनने में मदद की जाएगी।

पांच साल के दौरान प्रत्येक शहर को केन्द्र की ओर से 100 करोड़ रुपये मिलेंगे। जबकि बाकी रकम राज्यों, शहरी निकायों और कंपनियों के साथ बनाए गए समूह को जुटानी होगी। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष हुए सुधारों के आधार पर राज्यों या केन्द्र शासित प्रदेशों को बजट आवंटन की 10 फीसदी रकम प्रोत्साहन के तौर पर दी जाएगी। बाद में समयबद्ध सुधार के लिए राज्यों को सारणी भी भेजी जाएगी। इस परियोजना का क्रियान्वयन विशेष उपक्रम द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक शहर के लिए अलग उपक्रम होगा। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपक्रम के पास संसाधनों की कोई कमी न रहे। परियोजना के लिए स्मार्ट शहरों के नामों का चयन स्मार्ट सिटी चैलेंज के जरिये किया जाएगा। हालांकि अभी तक सरकार ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि पहले चरण के तहत सिर्फ 20 शहरों का ही चयन किया जाएगा। बजट में स्मार्ट सिटी परियोजना की घोषणा करते हुए सिर्फ 7,016 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। लेकिन फरवरी 2015 को पेश किए गए वित्त वर्ष 2015–16 के बजट में इसे महज 143 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। बजट दस्तावेज में बताया गया कि पिछले बजट में आवंटित 7,016 करोड़ रुपये में से महज 924 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। स्मार्ट सिटीज काउंसिल इंडिया के संस्थापक एवं निदेशक ने कहा कि मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिलना एक ऐसा कदम है, जिससे शहरों का कायाकल्प हो सकता है। डेलॉयट इंडिया के वरिष्ठ निदेशक ने कहा कि प्रत्येक शहर के लिए 100 करोड़ रुपये बहुत कम है, लेकिन उम्मीद है कि राज्य सरकार, शहर निकाय व निजी क्षेत्र अच्छा खासा योगदान करेंगे।

तनाव और घटती क्षमता

शालू देशपांडे
उप प्रबंधक

सोचनीय विषय है कि एक महानगर में उच्च मध्यम–आय वर्ग के व्यक्ति को भी टीबी का संक्रमण कैसे हो सकता है? क्या टीबी निम्न आय वर्ग के लोगों को होती है, विशेष रूप से बहुत ज्यादा कुपोषित? लेकिन निजी अस्पतालों सहित सभी डॉक्टर यह पा रहे हैं कि समृद्ध वर्ग के लोगों में भी इस बीमारी की पकड़ बढ़ रही है। 'पिछले 5–6 वर्षों के दौरान समृद्ध वर्गों से आने वाले मरीजों की तादाद दोगुनी हो गई है।' डॉक्टरों का मानना है कि इसकी वजह लोगों की अस्वाथ्यप्रद जीवनशैली है। लोगों की फास्ट फूड खाने की आदतें इसके लिए विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। ऐसा खाना उनकी प्रतिरोधक क्षमता के स्तर को कम करता है। 'टीबी एक छिपे रूप में बने रहने वाली बीमारी है। करीब 80–90 फीसदी लोगों में छिपा हुआ संक्रमण होता है। इसलिए जब प्रतिरोध क्षमता का स्तर घटता है तो संक्रमण सक्रिय हो जाता है।

यह माना जाता था कि टीबी हवा में तैरने वाले बैक्टीरिया के जरिये फैलती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि बैक्टीरिया आपके अंदर होते हैं और आपकी मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता ही इनको दबाकर रख सकती है।' टीबी का प्रसार बढ़ा है और इसका इलाज भी मुश्किल हो गया है। अभी करीब 3 फीसदी मामले मल्टी–ड्रग रिजिस्टंट या एमडीआर के होते हैं, जिसमें एंटी–ट्यूबेकुलर एंटीबायोटिक्स के सामान्य कोर्स से संक्रमण ठीक नहीं होता है। यह गलत धारणा है कि अमीर और नामी–गिरामी लोग टीबी से संक्रमित नहीं होते हैं। यह बीमारी सभी वर्गों में व्याप्त है। लेकिन हां, निम्न आय वर्ग में ज्यादा है।' इसकी वजह गलत जीवन शैली जैसे तनाव, अस्वास्थ्यप्रद खान–पान और धूम्रपान। इसके अलावा जब लोग इलाज योजना का ठीक से पालन नहीं करते हैं तो वे दवाओं के प्रतिरोधी हो जाते हैं।' इसको लेकर चिंतित होने के बजाय डॉक्टरों की सलाह है कि कुछ बुनियादी कदम उठाकर बीमारी के संक्रमण से बचा जा सकता है और अगर आप इससे ग्रसित हैं तो पूरी तरह ठीक होने के लिए दवा के कोर्स का ठीक से पालन करें।

बीमारी की जटिलता

पुरानी बीमारी होने पर टीबी के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज के मरीजों में टीबी पनपने का सबसे ज्यादा जोखिम होता है। 'डायबिटीज के मरीजों में शुगर का नियंत्रण ठीक नहीं होने से उनके शरीर में बैक्टीरिया के पनपने की ज्यादा आशंका होती है।' ऐसे मामलों में टीबी आपके शरीर के अंगों जैसे हड्डियों और तंत्रिकाओं को प्रभावित कर सकती है। लेकिन इनमें आमतौर पर फेफड़ों की टीबी का संक्रमण होता है। एचआईवी पॉजिटिव होना, गुर्दे की बीमारी और हृदय से संबंधित दिक्कतों से भी टीबी का संक्रमण बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। अन्य बीमारियों की तरह धूम्रपान करने वालों में टीबी के संक्रमण का ज्यादा खतरा होता है और अगर लगातार बलगम आ रहा है तो इसकी जांच करानी चाहिए।'

वे युवा विशेष रूप से महिलाएं जो अपनी से पहले खान–पान कम कर देती हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और इसके नतीजतन वे टीबी के संपर्क में आ जाती हैं। 'परीक्षाओं को लेकर तनाव में रहने वाले छात्रों या पेशेवरों के शरीर में पहले से मौजूद टीबी के बैक्टीरिया के सक्रिय होने का ज्यादा खतरा होता है।' कई बार वजन घट रहे लोग भूख और वजन में कमी की वजह डाइट प्लान को मानते हैं और टीबी का पता नहीं चल पाता है।

टीबी को उचित खान–पान से रोका जा सकता है। अच्छा खान–पान प्रतिरोधक क्षमता को सुधारने में मदद करता है। अगर लोग डाइटिंग भी करना चाहते हैं तो उन्हें टीबी को रोकने और इसके इलाज के लिए प्रोटीन से भरपूर भोजन लेना चाहिए। टीबी से बचने के लिए शारीरिक ढांचे पर गलत असर डालने वाली जीवनशैली को अपनाने से बचना चाहिए। टीबी को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस बीमारी का इलाज होने के बावजूद बहुत से लोग बहुत देरी कर डॉक्टर से मिलते हैं। इसके लिए मीडिया की भूमिका और सामुदायिक गतिविधियां बहुत अहम साबित हो सकती हैं।' लगातार बलगम आने, हल्का बुखार रहने, बलगम में खून आना और बेवजह वजन घटने पर डाक्टर मरीज को एक फिजिशियन को दिखाने की सलाह देते हैं।

कई बार मरीज यह मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि उन्हें टीबी है। अगर वह मान भी लेते हैं तो ट्रीटमेंट प्लान का नियमित रूप से पालन करने के लिए उन्हें राजी करना मुश्किल काम होता है।' टीबी के सफल इलाज के लिए यह जरूरी होता है कि दवाइयां नियमित रूप से ली जाएं। बहुत से मरीज हालत थोड़ी सुधरते ही दवाइयां लेना बंद कर देते हैं। इससे आसानी से नियंत्रित हो सकने वाली बीमारी का इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। संक्रमण को पूरी तरह खत्म करने में छह महीने तक का समय लग सकता है। इस वजह से सरकार के डॉट्स कार्यक्रम जैसे बहुत से विशेष क्लिनिक यह सुनिश्चित करते हैं कि मरीज डॉक्टर के सामने ही गोलियां निगल ले। जिन लोगों का रोग प्रतिरोधी तंत्र ठीक नहीं है, उन्हें टीबी से बचाव के लिए भीड़भाड़ में जाने से बचना चाहिए।

सुधार की गुंजाइश

यह जरूरी है कि एमडीआर और अत्यधिक दवा प्रतिरोधी टीबी के बैक्टीरिया की जल्द पहचान होनी चाहिए। इस समय उचित जांच और डायग्नोसिस के लिए सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त उपकरण नहीं हैं। सरकार को बड़े होर्डिंगों के बजाय इस अभियान में सेलिब्रिटीज को जोड़ना चाहिए और मास मीडिया के जरिये जागरूकता पैदा करनी चाहिए। दूर–दराज के इलाकों में स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपकरणों और दवाओं की आपूर्ति सुधारी जानी चाहिए। विश्व पर भारत के टीबी का बोझ कम करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस महामारी को नियंत्रित रखने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी हो। बच्चों में टीबी के मामलों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए पर्याप्त पोषण और जागरूकता की जरूरत है।

काव्य सुधा

पंकज चड्ढ़ा
प्रबंधक

प्रोफेशनल

आजकल छुटभैये , क्या किसी प्रोफेशनल से कम हैं,
चाहे डिग्री नहीं है इनके पास, पर बातों में बड़ा दम है।

कुछ खास, प्रोफेशनल स्किल्स है इन्होंने अपनाये,
आओ थोड़ा सा, इस बारे में आप सबको बताएं,
व्यंग के बहाने, कड़वे सच से सामना कराएं।

ये लोक लुभावन वादों की, लम्बी झड़ी हैं लगाते,
गजब के कम्युनिकेशन स्किल से, हम सबको हैं फसाते।
जनता की हर एक मजबूरी का, फायदा खूब हैं उठाते,
सीट मिलते ही, जनता को ये हैं खूब रूलाते।
गरीब जनता बेचारी, दर्शन को तरस जाती है,
लेकिन पांच साल बाद ही, इन्हें जनता याद आती है।
हाथ जोड़ सिर झुकाए, दीन हीन बन आते हैं,
पूरे होंगे वादे, फिर से झूठा विश्वास दिलाते हैं

ये अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग का, जलवा हैं दिखाते,
साम दाम दंड भेद सहित, सबकुछ हैं अपनाते।
अपना मतलब आने पर, दुश्मन के भी दोस्त बन जाते,
जिनकी कभी गिनाते थे कमियां, अब उन्ही के हैं गुण गाते।
ये नाश्ता एक पार्टी का करते हैं, तो डिनर दूसरे का हैं खाते,
चुनाव जीतते ही, सबकुछ हैं भूल जाते

कुछ तो खास है इनका, लीडरशिप स्किल,
देश पे राज करने की है, स्ट्रांग विल।
सत्ता हथियाने की साजिशों में, लगे रहते हैं दिन रात,
भड़काऊ भाषण भी दे और करें, साम्प्रदायिकता मिटाने की भी बात।
विपक्षीयों को सरकारी नीतियाँ अच्छी नहीं दिखती,
क्योंकि खुशनुमा माहौल में इनकी, रोटियां नहीं सिकती

निर्वाचन के दौरान, इनका हार्डवर्क देख सकते हैं,
दिन रात सभा करते और बिलकुल भी नहीं थकते हैं।
तन मन धन से, जन सेवा का हुंकार भरते हैं,
पर निर्वाचन खत्तम होते ही, ऑफिस में जा दुबकते हैं।
रोती रहे जनता, पर यह किसी की परवाह नहीं करते हैं

शायद आपको भी, उनमें यह सभी गुण नजर आएं,
तब आप ना घबराएं, अपने हाथ उठाएं और प्रभु से विनती गाएं।
राम करें ऐसा हो जाए, उच्च शिक्षित लोग राजनीति में आएं,
कायाकल्प हो जाए देश का, सच में अच्छे दिन सबके आएं

डा0 अमर सिंह सचान,
राजभाषा अधिकारी

आपा–धापी

जीवन की आपा–धापी में
ऐ मानव तूने क्या पाया,
रिश्ते–नाते सब कुछ छूटे
बस केवल कुछ धन ही आया।
छूटा घर, गांव–नगर सब
शहर भी ढंग से हाथ न आया,
मिली शहर की झुग्गी बस्ती
जहां हर कोई लगे पराया।
जिस सुख की तलाश में भटका
वह तो है केवल मृग तृष्णा,
काम–काज में ऐसा डूबा
भूला प्रभु राम व कृष्णा।
ऐसा धन, विकास क्या करना
जिसमें मानवता का नाम नहीं,
मात–पिता संबंधी बिछड़े
पर्व–त्यौहारों का मान नहीं।
धन–दौलत की चाह नशा है
कभी भूख न इसकी मिटती
भाई–बंधु व मात–पिता का प्रेम बड़ा
जिसके सम्मुख न धन की गिनती।

देखो – मुमताज महल

डॉ0 जी.एन. सोमदेवे
सहायक महाप्रबंधक

मैंने तुमको ऐसे पाया
देखो जैसे सावन आया।।
जब से मैंने तुमको पाया
देखो कैसा सावन आया।।
हमने निभाये सारे वादे
देखो तुमने हमें भरमाया।।
हमने खाई लाखों कसमें
देखो खोया, क्या है पाया।।
हमने तुमको सच समझाया
देखो तुमको रोना आया।।
हारे जीते, जीते हारे
देखो–देखो दिल घबराया।।
जब–जब तुमने प्यार जताया
देखो–देखो मैं शरमाया।।
फागुन में जब होली आयी
देखो कैसा रंग जमाया।।
फिर दिवाली आयी नवेली
देखो हमने दीप जलाया।।
पूजा की और खाया–पीया
देखो तुम्हें सब न मन भाया।।
छईमुई सी तुम मुरझाई
देखो फिर मैं जी ना पाया।।
जब फिज़ा ने ली अंगड़ाई
देखो हमने गाना गाया।।
नानक गौतम ओशो से मिल
देखो कैसा जग बौराया।।
छोड़ विकारों को जीए हम
गौतम नानक ने सिखलाया।।
साथ–साथ जब नाम में डूबे
देखो मन फिर भी ना भर पाया।।
याद तुम्हारी जब–जब आती
देखो मैं गहरा सो जाता।।
पल–पल सुहाने सपनों में मैं
देखो खोया सा रह जाता।।
हम उस पथ के राही बने हैं
देखो गुजरे उस पर ज़माना।।
फिर हो आयी उम्र दराजी
देखो साथ टूटने न पाया।।
हमने तुमको ऐसे पाया
देखो जैसे कोहरा छाया।।
आओ हम एक इरादा कर लें
सात जन्म का वादा कर लें।।
देखो तुम यह भूल न जाना
याद रखना आना–जाना।।
देखो तुम क्यों रो रही हो
हंसते जाओ क्यों खो रही हो।।
नायब एक राजमहल बनाया
मैंने एक ताजमहल बनाया।।
आओ देखो राजमहल को
देखो अपने ताजमहल को।।
अब हम आए और गए हैं
देखो याद तुम्हें रखेगा ज़माना।।

हाथी

अर्श रसानिया
पुत्र, सुनील रसानिया

हाथी आया, हाथी आया
सबका प्यारा हाथी आया
पूंछ हिलाता, सूंड घुमाता
चिंघाड लगाता, सबको डराता
जलवे दिखाता हाथी आया
हाथी आया, हाथी आया

केले खाता सामान पहुंचाता
बच्चों को भी सैर कराता
नन्हें को भी साथ में लाया
हाथी आया, हाथी आया
सबका प्यारा हाथी आया

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, 13 मार्च 2015

अधिसूचना सं. एनएचबी.एचएफसी.निदेश.15/सीएमडी/2015 - राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सक्षम होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 (यहां के बाद मुख्य निर्देश के रूप में संदर्भित), तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, नामतः

1. अनुच्छेद 2 में संशोधन

मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 2 में, उप अनुच्छेद (1) में खंड (वाईए) (v) के बाद निम्नलिखित नया खंड डाला जाएगा, नामतः

"(vi) (क) एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता के साथ अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी करने से जुटाई गई कोई राशि और जिसमें 1 करोड़ और उससे अधिक पर प्रति निवेशक न्यूनतम सब्सक्रिप्शन हो, प्रदान करता है कि ऐसे डिबेंचर ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में समय-समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में जारी किए जाएंगे"

[illegible]

कार्यपालक निदेशक

पंजी. सं. दिल्ली इन/2001/6138

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत एक शीर्षस्थ आवास विकास वित्त संस्थान के रूप में हुई थी। अपनी 25 वर्षों की यात्रा में, राष्ट्रीय आवास बैंक ने निम्न एवं मध्य आय वर्ग के परिवारों पर अपना ध्यान केन्द्रित रखने के साथ, जनसंख्या के सभी वर्गों की आवास आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु इस सेक्टर में क्षमता निर्माण पर कार्य किया है।

बैंक आवास वित्त बाजार में समग्र विस्तार एवं स्थिरता को प्रोत्साहित कर रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक की सहक्रियात्मक नीति सर्मथन में आवास वित्त उद्योग की गहनता एवं पहुंच को विस्तारित किया है।

अपनी विनियामक भूमिका को सम्पूरित करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक पूरे देश भर के सभी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित जनसंख्या के सभी वर्गों को सेवा देने हेतु अपने उपभोगता आधार को भी व्यापक बना रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक के ताजातरीन प्रयासों में सरसाई (भारत सरकार द्वारा समर्थित केन्द्रीय रजिस्ट्री) और एनएचबी रेजीडेक्स एक टिकाऊ बाजार अवसंरचना वृद्धि की दिशा में चरण हैं जो कि बाजार में पारदर्शिता एवं संतुलनीयता को बढ़ाएगें।

निम्न आय परिवारों की ऋण पात्रता को सुकर बनाने के क्रम में, बैंक ने आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के तत्वावधान में निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास की स्थापना की है।

अपने प्रोत्साहन अधिकार पत्र के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक रिवर्स मार्टगेज लोन (आरएमएल) उत्पाद के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के हितों को भी समर्थित कर रहा है।

राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त हेतु एशिया–प्रशान्त यूनियन की मेजबानी कर रहा है जो कि एशिया–प्रशान्त क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों, सरकारी निकायों, केन्द्रीय बैंकों तथा सदस्य संस्थानों के बीच ज्ञान की साझेदारी एवं नेटवर्किंग हेतु एक वैश्विक मंच है।

राष्ट्रीय आवास बैंक पूरे देश भर में 13 कार्यालयों के माध्यम से राज्यों में अपनी स्थानीय उपस्थिति को विस्तारित कर रहा है।

रा.आ.बैंक के प्रयासों की विस्तृत जानकारी हेतु, कृपया वेबसाइट www.nhb.org.in को देखें।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

नई दिल्ली (मुख्यालय) अहमदाबाद, बैंगलूरू, चैन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई, पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, नागपुर, जयपुर।

पृष्ठ सज्जा एवं प्रिंटिंग–जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा0 लि0, फोन–011 41012081

मुद्रण तिथि : 30 अप्रैल, 2015